खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-05) / अंक-94

शुक्रवार 21 दिसम्बर, 2018 / 30 मार्गशीर्ष 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-07 (भाग-05) में अंक 93 से अंक 95 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–07 भाग (05) शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 2018/30 मार्गशीर्ष, 1940 (शक) अंक–94

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3– 15
3.	विशेष उल्लेख (नियम – 280)	15–39
4.	विधेयक पर विचार एवं पारण; दिल्ली माल सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2018 (2018 का विधेयक संख्या–05)	39–55
5.	विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण; रा.रा.रा. क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक 2018 (2018 का विधेयक संख्या–07)	55–59
6.	ध्यानाकर्षण (नियम–54); (गंगा तथा हिमालय के संरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले प्रख्यात कार्यकर्ता संत गोपाल दास के कथित रूप से गायब हाने के संबंध में।)	59–70
7.	प्रतिवेदन पर सहमति	71–72
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	72–73
9.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)... जारी 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित करने तथा इन दंगों को भड़काने में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को सजा दिलवाने के संबंध में।'	73–153

दिल्ली विधान सभा की

कार्यवाही

सत्र–07 भाग (05) शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 2018 / 30 मार्गशीर्ष, 1940 (शक) अंक–94

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री सुखवीर सिंह दलाल
7. श्री ऋतुराज गोविन्द
8. श्री संदीप कुमार
9. श्रीमती बंदना कुमारी
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
13. सुश्री अलका लाम्बा
14. श्री आसिम अहमद खान
15. श्री विशेष रवि
16. श्री हजारी लाल चौहान
17. श्री शिव चरण गोयल
18. श्री गिरीश सोनी
19. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
20. श्री जरनैल सिंह
21. श्री राजेश ऋषि
22. श्री महेन्द्र यादव
23. श्री नरेश बाल्यान
24. सुश्री भावना गौड़

24. श्री सुरेन्द्र सिंह
25. श्री विजेन्द्र गर्ग
26. श्री मदन लाल
27. श्री सोमनाथ भारती
28. श्रीमती प्रमिला टोकस
29. श्री नरेश यादव
30. श्री करतार सिंह तंवर
31. श्री सौरभ भारद्वाज
32. सरदार अवतार सिंह कालका
33. श्री सही राम
34. नारायण दत्त शर्मा
35. श्री अमानतुल्लाह खान
36. श्री राजू धिंगान
37. श्री नितिन त्यागी
38. श्री ओम प्रकाश शर्मा
39. श्री एस.के. बग्गा
40. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
41. मो. इशराक
42. श्री श्रीदत्त शर्मा
43. चौ. फतेह सिंह
44. श्री जगदीश प्रधान
45. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र–07 भाग (05) शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 2018 / 30 मार्गशीर्ष, 1940 (शक) अंक–94

सदन अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। आज माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, श्री प्रवीण कुमार जी का जन्म दिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि वे अपने व्यक्तिगत तथा राजनैतिक जीवन में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करें। 280 श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः सर 280 पे बोलने से पहले मैं एक...

माननीय अध्यक्षः 280 पूरा करके मैं आ रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, फिर आप बता दीजिए, हम चाहते हैं हाईकोर्ट ने कल जो बोला है, एमसीडी को...

माननीय अध्यक्षः मैं आ रहा हूँ उसपे, सब पे आ रहा हूँ। अभी नहीं, 280 पूरा हो जाने दो।

श्री नितिन त्यागीः सर नियम 280 के अंतर्गत आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये लोक महत्व का विषय है, हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, चौथा वित्त आयोग...

माननीय अध्यक्षः मैं इसपे आ रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अपना फैसला बता दीजिए इसपे।

माननीय अध्यक्षः मैं आ रहा हूँ ना इसपे। बता रहा हूँ, सदन की इच्छा आ जाएगी सामने।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ध्यानाकर्षण की तो शुरू में ही बात होती है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, तो आप आश्वस्त कर दीजिए सदन को।

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ इस पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी लूँगा इसको। दो मिनट रुक जाइए, 280 पूरा होने दो राजेश जी। 280 पूरा होने दो। किसमें?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जो एमसीडी के...

माननीय अध्यक्षः मैंने अभी कहा, क्या, 280 छोड़ दूँ?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, आप कह दीजिए, आपका 54 जो है, हम टेकअप करेंगे।

माननीय अध्यक्षः मैंने ये नहीं कहा कि मैं टेकअप करूँगा। मैंने कहा, इस विषय को... मैंने क्या करना है, अभी बता दूँगा, थोड़ी देर में। 280 के बाद बता दूँगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 280 तो एक घंटा चलेगा।

माननीय अध्यक्षः हाँ, तो क्या कहूँ? सदन तो छः बजे तक चलेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपको क्या दिक्कत है? हमेशा जो यहाँ पर व्यवस्था है, वो यही है, की जो ध्यानाकर्षण...

माननीय अध्यक्षः तो जगदीश जी को बात करने दो। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप?

श्री जगदीश प्रधानः अभी जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया।

माननीय अध्यक्षः हाँ।

श्री जगदीश प्रधानः उस पर चर्चा कराई जाए और चौथे वित्त आयोग को लागू किया जाए, हमारी ये माँग है।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये तो सरकार का काम है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः सरकार का काम है, अगर सरकार ही नहीं कोई... तो ही तो विपक्ष देख रहा है, अध्यक्ष जी। अगर सरकार नहीं देख पाई तो ही तो विपक्ष देख रहा है ना, सरकार नहीं देख पाई।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, अगर सब बोलोगे तो गुस्सा, एक साथ... देखिए, मैं एक बात बता दूँ इस विषय पर।

श्री नितिन त्यागीः इनका माइक क्यों चला रखा है? आप किसी का भी माइक चला देंगे?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आज छः साल हो गए।

माननीय अध्यक्षः ऐसा है विजेन्द्र जी, राजेश जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, क्या कह रहे हैं ये?

श्री नितिन त्यागीः आपको शर्म आनी चाहिए। जो खाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए जो एमसीडी में पैसे खाते हो। बैठिए आप और 280 होने दीजिए, बैठिए आप। आप बैठिए आप 280, बैठिए आप, बैठ जाइए बैठिए आप, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राजेश जी।

श्री नितिन त्यागीः मैं बार–बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि विजेन्द्र गुप्ता जी हमेशा सदन के कार्य में डिस्टबैंस करते हैं। सर, आप परमानेंटली विजेन्द्र गुप्ता जी को बाहर निकालिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब इस पर मुझे कुछ कहने का मौका देंगे? मैंने जगदीश जी को रखने का मौका दे दिया। विजेन्द्र जी, आप मुझसे बात करो। एक बार उधर आपने, उन्होंने रख दिया ना अपना विषय। उन्होंने रख दिया ना अपना विषय।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप दो मिनट रुकिए। मैं अपनी रूलिंग दे लूँ इस बार। मंत्री जी के बोलने से पहले मैं अपनी रूलिंग व्यवस्था दे लूं इस पर कुछ। जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, फाईनेंस कमिशन की रिपोर्ट इस सदन में रखी गई थी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ जी।

माननीय अध्यक्षः और उस वक्त मंत्री जी ने इस सदन को आश्वासन दिया था हम एज़ इट इज़... टोटो जितनी फाईनेंस कमिशन की रिपोर्ट है, चाहे वो केन्द्र सरकार से रिलेटेड, दिल्ली सरकार से रिलेटिड है। हम इसको एज इट इज... टोटो हम इसको लागू करने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब ऐसा... तो ये सरकार का काम है ना। ये सरकार का काम है। सरकार देखेगी। ये सरकार देखेगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, पहले एक तो, पहले जितना आयोगों की रिपोर्ट आयी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जी।

माननीय अध्यक्षः दूसरा, तीसरा, चौथा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जी।

माननीय अध्यक्षः वो दोनों सरकारें लागू कर लें। आप देखिए, मैं...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो लागू हो गया ना, सारा फैसला कोर्ट में हो गया जी। हम तो वही कह रहे हैं जो हाई कोर्ट ने बोला है।

माननीय अध्यक्षः क्या? चलिए, मैं...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमारे मंत्री जी इसपे आज बस आश्वासन दे दें जो हाई कोर्ट ने उन गरीब लोगों के लिए किया है। एमसीडी में 42... ...(व्यवधान) गरीब लोगों की हैं, उनका पैसा दे दें।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी बैठिए आप। ....ये सदन आज तक है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए मैं, मैं निर्णय सुना रहा हूँ। बैठिए। बैठिये–बैठिये, बैठिये, बैठिये, बैठिये, बैठिए तो सही जगदीश जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, बैठिए तो सही। अब आप चार सदस्य हैं, चारों खड़े हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, चारों खड़े हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी से पूरी बात हो सकती है।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, आप बैठिए प्लीज। सिरसा जी, आप इसमें फिर राजनीतिकरण दे रहे हैं। नहीं, राजनीतिकरण दे रहे हैं। क्या कहा? वो सुन क्या रहे हैं आप? उन्होंने क्या कहा, आप क्या सुन रहे हैं।

श्री नितिन त्यागीः नहीं, ये महामूर्ख हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सरकार से तो जवाब दिलवाइएगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं, सरकार से जवाब। अभी एक सैकंड़, ये अभी बड़े दिन की छुट्टियाँ क्रिसमस डे की चलेंगी। मैं तीन तारीख को एक दिन के लिए हाउस होगा और उसमें सरकार पूरी रिपोर्ट इस पे रखेगी फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट, तीन तारीख को।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तीन दिसंबर को।

माननीय अध्यक्षः 3 दिसंबर को। तीन जनवरी, तीन, तीन जनवरी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जब तक पैसा रिलीज हो जायेगा?

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं ये कैसे कह दूँगा? ये सरकार का काम है। ये तो काम सरकार का है ना, मेरा तो नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए विजेन्द्र जी, जब कोई मैटर हाई कोर्ट में होता है, आप तुरंत उठ के खड़े होते हैं। ये हाई कोर्ट में मैटर है जी। इसमें सदन में चर्चा नहीं हो सकती। मैं कैसे सदन में चर्चा करवा दूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तो ये सरकार देखेगी ना। ये सदन थोड़ी देखेगा। वो तो सरकार देखेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप हमारा सवाल...

माननीय अध्यक्षः ऐसा है विजेन्द्र जी, देखिए, जो जगदीश जी की बात थी, वो मैंने एक्सेप्ट कर दी। इनकी रिक्वेस्ट पर स्पेशल तीन तारीख को फाईनेंस कमिशंस की रिपोर्ट पर सरकार अपनी ओर से रिपोर्ट पेश करेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पाँचवी...

माननीय अध्यक्षः पाँचवें का नहीं, मैंने कहा...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उस दिन कौन सी?

माननीय अध्यक्षः मतलब?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो तो आलरेडी आ चुकी है।

माननीय अध्यक्षः वो आ चुकी है। उस पर उनको क्या, उनको क्या करना है? क्या डिसिजन लेना है। जो कुछ इनको डिसिजन लेना है, जो कुछ सरकार को करना है तीन तारीख को रखेगी सदन में।

श्री ओम प्रकाश शर्माः पैसा तो अब चाहिए। तीन तारीख को क्या करेंगे?

माननीय अध्यक्षः वो ओम प्रकाश जी, ये तो विषय नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, क्या हाई कोर्ट का आर्डर? नहीं आप, आप पढ़ के आये हैं ना। नहीं, बताइए, क्या है?

श्री ओम प्रकाश शर्मा: निगमों को टाइम पे पैसे दे दो।

माननीय अध्यक्ष: बस यही है? अब यही तो दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी यही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मैं आपको बता रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, बताइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: हाई कोर्ट ने बोला है कि चौथे दिल्ली फाईनांस कमिशन की जो रिक्मंडेशंस हैं...

माननीय अध्यक्ष: हाँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: उनके अकॉर्डिंग...

माननीय अध्यक्ष: हाँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: जितना पैसा दिल्ली नगर निगमों का बकाया है, वो सारा पैसा रिलीज किया जाये।

माननीय अध्यक्ष: उससे आगे?

श्री विजेन्द्र गुप्ता: उसमें यही कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने अपना माइन्ड दे दिया कि पैसा रिलीज करो। अब सरकार बहाने ढूँढ़ रही है। हम रिकन्साइल करायेंगे, वो करायेंगे, ये करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा है, जो रिपोर्ट आयी है, वो मैंने पढ़ी है पूरी। 8 तारीख उसमें जल्द पढ़िये।

माननीय अध्यक्षः आठ तारीख को जो ऑर्डर है। उसमें आठ तारीख को डेट पढ़ी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कल, कल।

माननीय अध्यक्षः कल का सरकार देखेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः वे क्या देखेगी क्या नहीं, मैं आठ तारीख की, मुझे आठ तारीख की। जरा गर्म पानी मंगवाना, गर्म पानी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सरकार...

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, तीन तारीख मैंने, जो सदन का अधिकार है, तीन तारीख मैंने दे दी है, अब बैठ जाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सरकार आप बताइए, हम फरियाद लेके आये हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, बैठिए अब। सिरसा जी, आप क्या करोगे डिसिजन पढ़कर। आप पूरा अब पढ़ रहे हैं। या तो पूरा डिसिजन लेके आते साथ। बैठिए, अब बैठिए प्लीज। बैठ जाइए।

श्री नितिन त्यागीः 280 शुरू करने दो।

माननीय अध्यक्षः ये 15 मिनट हो गये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः निगम पर रिपोर्ट आने वाली है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बता दीजिए जो आपके मन में है।

माननीय अध्यक्षः मैंने बता तो दिया आपको तीन तारीख को बतायेंगे। अभी छुट्टियाँ हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी आठ तारीख तक की डेट है, कोई मुसीबत नहीं आ रही। न कोई आश्वासन दे रही है सरकार। ये सरकार का काम है, ये सदन का काम नहीं है। ये सरकार का काम है, सरकार कब रखेगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तो आज सरकार जब रखना चाहेगी, रखेगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप, विजेन्द्र जी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूँ इस सदन की ओर से कि जो भी फाईनेंस कमिशंस की रिपोर्ट हैं, दिल्ली के अंदर...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा है, वो फैसला सरकार देखेगी। मैं रिपोर्टस की बात कर रहा हूँ। आप फिफ्थ की बात...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप दोनों विषयों को जोड़ रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप सरकार से कर रहे हैं। मैं दोनों सरकारों से कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, फिर आप विषय, विषय को घुमा रहे हैं। कि जो, जो केन्द्र सरकार को देना है, मैं झोली फैला के माँग रहा हूँ कि दे दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो हाई कोर्ट में जवाब देंगे। आप हाई कोर्ट हैं क्या?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप हाई कोर्ट हैं? वो हाई कोर्ट में जवाब देंगे। तो वो हाई कोर्ट में जवाब देंगे। हाई कोर्ट में जवाब देंगे। उनका वकील अपने आप जवाब देगा हाई कोर्ट में।

श्री नितिन त्यागीः मिस्टर विजेन्द्र, सर, टाइम खराब हो रहा है सर शुरू करें?

माननीय अध्यक्षः हाँ, चलिए 280 नितिन त्यागी जी। 280 नितिन त्यागी जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ओम प्रकाश जी, मैं अब नहीं मान रहा। आप करिए बॉयकाट करिए, कोई दिक्कत नहीं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: आप जवाब मत दीजिए सरकार को जवाब देने दीजिए। वो जो हाई कोर्ट में फैसला है।

माननीय अध्यक्ष: वो सरकार हाई कोर्ट में देगी। उसका जवाब सरकार हाई कोर्ट में देगी। श्री नितिन त्यागी जी, चलिए, 280। भई, ऐसे नहीं चलेगा। वो आगरा का, वो विषय चल रहा है सदन में आ जायेगा। शॉर्ट नोटिस डिस्कशन, मेरी बात सुनिये।

श्री नितिन त्यागी: सर, उनकी बात ठीक है, वो कह रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर दें। सर, संवेदना व्यक्त कर दें सर।

माननीय अध्यक्ष: नितिन जी, पूरे भारत में ऐसी घटनायें होती हैं। पूरे भारत की परंपरा मत डालो के सदन के अंदर संवेदना प्रकट... नहीं ऐसे नहीं। वो शॉर्ट नोटिस में आयेगा, उसमें वो करेंगे। शॉर्ट नोटिस डिस्कशन का बाकी है ना उसमें चर्चा करेंगे। शॉर्ट नोटिस का आयेगा। मैं शॉर्ट नोटिस डिस्कशन आयेगा। मैं उसमें आपको समय दूँगा। शॉर्ट नोटिस डिस्कशन आयेगा, मैं उसमें समय दूँगा आपको। 280 नितिन त्यागी जी।

विशेष उल्लेख (नियम–180)

श्री नितिन त्यागी: सर, धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, कि आपने 280 में बोलने का मौका दिया और उससे पहले सर एक छोटी सी... मैं जो धन्यवाद देना चाहता था दिल्ली सरकार को, मुख्य मंत्री जी को, उप मुख्य मंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को। एक ये खबर सभी ने पढ़ी होगी कि बिजली कंपनियों को पहले दो घंटे की अघोषित कटौती पर उपभोक्ता को 50 और इससे ज्यादा पर 100 रुपये प्रति घंटा देना होगा, मुआवजा। जब हम लोग एक क्वालिटी सर्विस की बात करते हैं दिल्ली

के अंदर और हर चीज की सर्विसेज को सुधारने की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है बिजली का। जो हैपहैजर्ड तरीके से बिजली की कई बार कटौती होती है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कई–कई घंटे के लिए बिजली गायब रहती है।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, आपका 280 में ये तो नहीं है।

श्री नितिन त्यागीः ये मैं एक धन्यवाद कर रहा हूँ, उसके बाद 280 पर आ रहा हूँ। एक छोटा सा धन्यवाद दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है सारे उपभोक्ताओं के लिए। दिल्ली के हंडरेड परसेंट उपभोक्ता इससे बैनिफिट करेंगे और दिल्ली में चलने वाली ये जो गुंडागर्दी है, प्राइवेट कंपनियों की बिजली की कि जब चाहे तब बिजली उड़ा देते हैं। बिजली की चोरी होने देते हैं, पैसे खाते हैं इनके इम्पलाइज। सर, इस पर रोक लगेगी और थोड़ा सा सीरियसनेस आएगी बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। बहुत–बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का और मैं इसको बहुत एप्रीसिऐट करता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद सर।

280 के अंदर जो मेरा मुद्दा है, मेरे यहाँ पर एक गणेश नगर कांप्लैक्स एरिया है। वहाँ पर एक ड्रेन है। सर, पीडब्ल्यूडी का ड्रेन है और ये पहले एकदम रेलवे लाइन से चिपकी हुई कालोनी है। तो ये ड्रेन पहले रेलवे लाइन की तरफ को जाकर और रेलवे लाइन के थ्रू होता हुआ जो है फ्लड के ड्रेन में चला जाता था। अब रेलवे वालों ने वहाँ पे एक दीवार बना दी है। काफी टाइम हो गया, जिस वक्त मैं इलैक्शन जीता था, बस उसके बाद से ही ये ड्रेन बंद है। ये ड्रेन के जाने का कोई रास्ता नहीं है और सारी की सारी गणेश नगर कांप्लैक्स की जो गलियाँ है, उनकी जो नालियाँ हैं, वो सारी की सारी इसमें आकर गिरती हैं। आज

की तारीख में वो ड्रेन नहीं चल पाता है। इसके लिए कई मीटिंग जो है, मंत्री साहब के साथ भी हो चुकी, चीफ इंजीनियर साहब के साथ भी हो चुकी। इन्फैक्ट लास्ट मीटिंग मनोज परिदा जी थे, उनके साथ भी हुई थी। कई विजिट हो चुकी हैं चार साल से, ऑलमोस्ट चार साल हो गया है हमें एमएलए बने हुए। चार साल से इसके ऊपर काम करने की कोशिश हो रही है, आज तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। पूरा का पूरा एरिया के लोग इससे अफैक्टिड हैं कोई आइडिया किसी को नहीं कि क्या हो क्या रहा है। तो सर, इसका संज्ञान लेते हुए सर मुझे जो है... इसके लिए कहीं न कहीं से तो प्रयास चाहिए कि बहुत लोग इसको... अच्छा ये क्योंकि वहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर बनने की वजह से जब से हम चुनाव लड़े थे, उससे भी बहुत टाइम पहले से ही बन रहा है। वो फ्लाईओवर के अंदर से अंडरपास। तो ये कंफ्यूजन है कि किस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास आता है कि फ्लाईओवर डिविजन के पास आता है। वो कहते हैं जी, वो करेगा, वो कहते हैं, वो करेगा। कभी फिजिब्लिटी स्टडी होती है कभी कुछ होता है। सर, चार साल में ये 200 मीटर का नाला जो है इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है और इसकी वजह से कई सौ लोग... कई सौ घर मैं कहूँगा सर, इसकी वजह से अफैक्टिड हैं और बहुत परेशानी है सर, इसका प्लीज सॉल्यूशन निकलना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः श्री मनोज कुमार जी, अनुपस्थित, अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 280 में मुझे आपने बोलने की अनुमति प्रदान की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लोकनायक हॉस्पिटल और गोविन्द बल्लभ पंत हॉस्पिटल इनको बनाकर जिस तरीके से एम्स दिल्ली के अंदर है। इन तीनों को मिलाकर एम्स की तर्ज पर या एम्स का ही एक मिनी एम्स तरीके से अगर इनको एक करके बना दिया जाए तो दिल्ली के लोगों को काफी बड़ा फायदा होगा। सर, दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व काम किया है। आज दिल्ली से नहीं दिल्ली से बाहर के लोग भी आकर इस सारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अगर आज केन्द्र सरकार और राज्यों को करोड़ों रुपये देती है। दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा टैक्स देती है अगर इन तीनों को मिलाकर एक एम्स की तर्ज पर अगर बन जाए और केन्द्र सरकार से माँग भी करते हैं कि करोड़ों रुपये उनके पास पड़ा हुआ है बेकार, स्वास्थ्य के लिए तो कम से कम दिल्ली सरकार को, हमारे को दें। ताकि एक इससे दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा और सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो इसी से कंसंर्ड है जैसे हमारी सरकार ने जीटीबी अस्पताल के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा कि दिल्ली के लोगों को जो है 80 परसेंट और 20 परसेंट दिल्ली के बाहर के लोगों को... लोकनायक हॉस्पिटल का मैं चेयरमेन हूँ। पूरे नॉर्थ इंडिया से मतलब मैं इधर की बात करता हूँ मुरादाबाद, हरिद्वार तक के लोग पेशेंट्स सारे वहाँ पर आते हैं। लेकिन मैन पॉवर की भी कमी है वहाँ पर। फाइलें हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ रूकी हुई हैं। तो मेरा सर, अनुरोध है, अगर इन तीनों को मिलाकर एक एम्स की तर्ज पर वो कर लिया जाए जिससे दिल्ली के लोगों को काफी फायदा होगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष जी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं

उम्मीद करता हूँ कि सर, इस पर एक बार गौर कर लीजिएगा और इससे दिल्ली के लोगों को काफी फायदा होगा। आपका धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री राजेश ऋषिः ये होना चाहिए। हम भी इसका समर्थन करते हैं क्योंकि पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी रहे हैं, हमें भी ये मालूम है कि दिक्कतें क्या होती हैं। इसको एम्स की तरह बनाया जाए, इसमें हमारा भी समर्थन है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, विजेन्द्र गुप्ता जी अनुपस्थित, श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं अपनी विधानसभा महरौली और समस्त साउथ दिल्ली की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री साहब, उप मुख्य मंत्री साहब और पूरी कैबिनेट का मैट्रो फेस–फोर को पास करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इसमें छः लाइनें पास की गई है जिसमें एक साउथ दिल्ली की लाइन है। जो कि एयरपोर्ट से लेकर तुगलकाबाद की लाइन है। अध्यक्ष जी, इसमें महरौली विधानसभा को बहुत फायदा हो रहा है। टोटल 79 स्टेशन्स बनने हैं अध्यक्ष जी, इसके अंदर। जिसमें कि छः मैट्रो स्टेशन मेरी विधानसभा में महरौली में बन रहे हैं। जिसमें पहला मैट्रो स्टेशन बन रहा है, डी–7 वसंत कुंज में जहाँ मैं स्वयं रहता हूँ। उसके बाद में मसूदपुर में और तीसरा किशनगढ़ में, चौथा महरौली में और लाडो सराय और छठा साकेत में। तो पूरी विधानसभा के अंदर मैट्रो लाइन बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। इसमें मुझे फायदा ये हो रहा है कि मुझे बिल्कुल भी किसी दूसरे साधन से चलने की आवश्यकता नहीं है। मैं मैट्रो से ही पूरी कांस्टिट्यूयेंसी को विजिट कर सकता हूँ तो इसके लिए मैं पूरी कैबिनेट का और माननीय मुख्य

मंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरी महरौली की जनता की तरफ से पूरे साउथ दिल्ली के लोगों की तरफ से। कल अध्यक्ष जी, एक धन्यवाद प्रस्ताव आया था जिसमें मैंने भी हाथ उठाया था, मेरा समय नहीं मिल पाया। इसलिए मैंने 280 में अपना ये मुद्दा लगाया जिसमें आपने मुझे आज मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः लाटरी निकल गई!

श्री नरेश यादवः तो अध्यक्ष जी, वैसे तो पूरी दिल्ली को ही ये बहुत बड़ा एक तोहफा है जिसमें कि 104 किलोमीटर लंबी मैट्रो की छः लाइनें पास की हैं। लेकिन खासकर साउथ दिल्ली के लिए सभी गाँवों को कनेक्ट किया गया है और महरौली के लोगों को इससे बहुत फायदा मिला है और अध्यक्ष जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। साकेत एरिया मेरे क्षेत्र में लगता है। वहाँ जब मैं लोगों से मिलता था तो लोगों को ये लगता था कि ये मैट्रो जो है, वो केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाई जा रही है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ वसंत कुंज के लोगों को, साकेत के लोगों को कि दिल्ली सरकार ने इस फेस–4 के प्रोजेक्ट को पास है। जिसमें दिल्ली सरकार लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का फण्ड दे रही है। तो मैं बहुत सारे लोग हैं जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा वसंत कुंज के। मुझे आए दिन वो पार्कों में मिलते हैं, वसंत वाटिका में मिलते हैं। हमारे माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी बैठे हुए हैं, इनके पास भी एक डेलिगेट गया था मोहन सेठी वगैरह का। जो कि बहुत ये दबाव बना रहे थे कि ये सारा का सारा मैट्रो का जो प्रोजेक्ट है, वो दिल्ली सरकार द्वारा रोका जा रहा है। जब कि मंत्री जी ने कल ये क्लीयर किया कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट अधिकारियों के द्वारा रोका गया और जब हमारे पास ये आया है बोर्ड में, एक हफ्ते पहले ये

पास हुआ और हमारी सरकार ने हमारे मुख्य मंत्री साहब और कैबिनेट ने इसको तुरंत पास कर दिया है और 10 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी महरौली के लोगों को साउथ दिल्ली के लोगों को कि ये सारा का सारा फेस–4 जो बनाया जा रहा है, दिल्ली सरकार की मंजूरी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये बात क्लीयर कर ले दिल्ली सरकार कि 50 परसेंट की भागीदारी है। जिस तरह से हम आए दिन मैट्रो के किराए के लिए भी बात उठाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो केन्द्र सरकार का मुद्दा है। लेकिन मैं आज फिर स्पश्ट करना चाह रहा हूँ, जब 50 परसेंट की भागीदारी हमारी है तो किराया कम करने का अधिकार भी हम लोगों का होना चाहिए और जैसा कि माननीय उप मुख्य मंत्री साहब ने कल कहा था कि अगर मैट्रो में हमें ये राइट दिया जाए तो हम 25 से 30 परसेंट किराया कम भी कर सकते हैं। तो दिल्ली सरकार को ये राइट्स होने चाहिए कि किराया कम किया जाए और इसके लिए जो ये फेस–4 पास किया है, मैं पूरी महरौली की जनता की तरफ से, पूरे साउथ दिल्ली की तरफ से मैं पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूँ और साथ में अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद जो आज मुझे ये मौका मिला, मैट्रो पर धन्यवाद करने का, थैंक्यू वेरी मच।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा....

माननीय अध्यक्षः अभी लास्ट में लूँगा।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। नियम 280 के तहत हमें मौका मिलता है कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को और उनमें होने वाले विकास के ऊपर चर्चा कर पाएँ। मैं सबसे पहले दिल्ली सरकार का क्योंकि धन्यवाद इसलिए

करना चाहूँगी क्योंकि 8 मई, 2008 एक दशक पहले ऐसा डीसी शाहजहाँनाबाद रिडवलपमेंट कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। ये सोचकर की ऐतिहासिक चाँदनी चौक और जामा मस्जिद का सौन्दर्यकरण होगा और वहाँ पे रहने वाले या व्यापारी हों, छोटे दुकानदार हों, खरीदार हों, स्थानीय लोग और पर्यटकों को लाभ पहुँचेगा। एक दशक के लम्बे इंतजार के बाद, मुझे आज खुशी है कि दिल्ली की सरकार ने 01 दिसम्बर, 2018 इसी महीने से चांदनी चौक के विकास कार्य का जो है, वो शुरूआत कर दी है और मैं इसके लिए दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और मंत्री सत्येन्द्र जैन जी का क्योंकि 07 दिसम्बर को चांदनी चौक के टाउन हाल पर आकर जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, खास तौर से मैं कहूंगी, बीजेपी के जो व्यापारी मण्डल हैं, उन्होंने कहा कि ये विकास हम होने नहीं देंगे। सांसद सड़कों पर उतरे, विरोध दिखाने की कोशिश की कि जितने भी व्यापारी दुकानदार हैं, वो यहाँ पर उनको नुकसान होगा। बहुत कोशिश की उन्होंने और साफ कर दिया कि इस काम से हमारा नुकसान नहीं होगा। उनको जो नुकसान होना था, वो नोट बंदी, जीएसटी और सीलिंग में हो चुका है। इससे उन्हें लाभ भी होगा और उस मंच पर एक–एक व्यापारी, एक–एक दुकानदार मनीष सिसोदिया जी और सत्येन्द्र जैन जी की उपस्थिति में इसकी तारीफ की। मैं सिर्फ सरकार से ये अध्यक्ष जी, जानना चाहती हूँ कि चांदनी चौक का सौन्दर्यकरण इस प्लान के तहत शुरू हो चुका है। इस एसआरडीसी की एक मैं सदस्य, विधायक सदस्य के तौर पर डायरेक्टर भी हूँ। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जामा मस्जिद के लोग भी चाँदनी चौक की तरह उस सौन्दर्यकरण का पिछले एक दशक से इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ सरकार को ये कहूंगी कि ये सच्चाई है कि जो लोग चांदनी चौक के रिडवलपमैंट को अभी

तक रोक के बैठे थे, इस बार भी पूरी कोशिश की, विरोध किया कि नहीं हो। लेकिन उनके सारे जो हैं, वो ना कामयाब हो गए और आज विकास चाँदनी चौक का आप देख रहे हैं, लोग खुश हैं। बड़े–बड़े मेप लगा के किस तरीके का चाँदनी चौक होने वाला है; ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, व्यापारी स्थल है, उस हिसाब से क्या होगा। मेरा निवेदन है और बड़े–बड़े इस तरह के मेप वहाँ पे लगाए जाएँ ताकि जिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वो गुमराह नहीं हों कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है, उन्हें पूरी जानकारी हो। एक अखबार में आया कि ये प्रोजेक्ट जो है, मार्च 2020 में अध्यक्ष जी, पूरा होगा। मुझे सिर्फ ये है कि लोग गुमराह हो रहे हैं कि आपने कहा था 6–8 महीने में हो जाएगा, साल में हो जाएगा अब तो 2020 मार्च की बात कर रहे हैं। 15 महीने तो... अखबारों में जो जानकारी लोगों द्वारा दी जा रही है, आधी अधूरी जानकारी वो पैनिक हो रहा है। मेरा यही कहना है एक जामा मस्जिद के ऊपर... सरकार इसमें तुरंत प्रयास करके बताये कि चांदनी चौक के साथ जामा मस्जिद ऐतिहासिक का कैसे होगा और कैसे हम लोग जो इस काम को किस समय सीमा में पूरा कर पाएँगे। मैं एक बार फिर से अपने सारे व्यापारी, दुकानदार भाइयों का वहाँ पर, स्थानीय लोगों इस विकास कार्य में सहयोग के लिए तह दिल से धन्यवाद करती हूँ।

माननीय अध्यक्षः चौ. फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंहः अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने 280 के तहत अपने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में मुझे ये मामला उठाने की स्वीकृति प्रदान की है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भजन पुरा से भोपरा वजीराबाद रोड तक दिल्ली सरकार की लोक निर्माण विभाग

द्वारा एलिवेटिड रोड बनाई जाने के महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ। हाल ही में वजीराबाद में यमुना नदी पर बनाए गए सिग्नेचर ब्रिज के आरंभ हो जाने के बाद से भजन पुरा से आगे तक वजीराबाद रोड पर भंयकर यातायात जाम रहता है और वहाँ से गुजरने वाले हजारों लोगों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस ऐलिवेटिड रोड की पहले से ही आश्वयकता थी लगभग इसे बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि के इस प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को यूटीपेक से स्वीकृति हुए भी काफी समय हो गया है परन्तु मेरी जानकारी में अभी तक इस संबंध में कोई टेंडर प्रक्रिया आदि आरंभ नहीं हुई हैं।

अतः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में अब तक विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अडोप्ट की गई है और अभी इसके टेंडर की प्रक्रिया क्यों आरंभ नहीं की गई? धन्यवाद।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस संबंध में अगर वो वक्तव्य दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से यूटीपेक के पास था। बड़ी मुश्किल से वहाँ से ये निकल पाया और निश्चित रूप से यहाँ पर जिस प्रकार की समस्या...

माननीय अध्यक्षः जैन साहब हैं नहीं, आप लिखित में उनको दे दीजिए, एक चिट्ठी लिख दीजिए।

चौ. फतेह सिंहः शाम को, सुबह इतना ट्रैफिक जाम होता है सारा सिग्नेचर ब्रिज से गुजरने वाला जो भी यातायात है सभी भजन पुरा पर इकट्ठा हो जाता है उस क्राउड के कारण से कई–कई घण्टों लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्षः अब दीजिए लिख के, लिख के दीजिए मंत्री जी को।

चौ. फतेह सिंहः थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं पहले भी इस विषय पर ध्यान दिलाता रहा हूँ कि मेरी और बल्कि आसपास की दो–तीन विधान सभाओं में भी जो बस क्यू शेल्टर्स हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उसके लिए हमने यूडी के अन्दर एक लैटर भी लिखा। मंत्री जी को भी लिखा। वो मंत्री जी ने मेरे को बताया कि एमएलए फण्ड से आप लगवा सकते हैं उसको क्योंकि वहाँ टेंडर नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, उसके लिए भी हमने लिख दिया है। लेकिन अभी तक उसमें कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी कल से बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मैट्रो के लिए। मेरी विधान सभा एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पे तीनों आस पास उसके काफी सारी लाइन्स हैं मैट्रोज की। उसके अन्दर से गुजरती हुई सिर्फ एक लाइन है, वो भी बल्कि बाहर ही है। लेकिन वो रेड लाइन है पास में जो शास्त्री नगर और इन्द्रलोक की जो लाइन है और जैसा कि अभी आपने सुना ही कि इन्द्रलोक से इन्द्रप्रस्थ की नई लाइन चालू हो रही है। एक येलो लाइन है जो मॉडल टाउन और आजादपुर की है और एक तीसरी पिंक लाइन भी है जो शालीमार बाग और नेता जी सुभाष पैलेस की। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी विधान सभा पे यहाँ जाने के लिए ओबियसली बस या किसी साधन की जरूरत पड़ती है। अब उन बसेज को जो छोटी बसेज हैं, वहाँ पे जो फीडर बसिज हैं, वो वहाँ पे आए और इसके अलावा

जो बस क्यू शेल्टर्स हैं, इन मैट्रोज के आने से उनकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई। बहुत खुशी की बात है, मैं दिल्ली सरकार को बधाई देता हूँ कि इन्होंने फेज–4 को पास किया है। लेकिन उस कनेक्टिविटी के लिए अगर वो बेस्ट बस क्यू शेल्टर्स बन जाए क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सब लगभग दो किलोमीटर, ढ़ाई किलोमीटर की दूरी पे उससे सिचुएटेड है तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये हो जाए तो इसमें बहुत अच्छा काम हो जाए।

एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मनीष जी यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी शालीमार बाग मैट्रो स्टेशन मेरी विधान सभा के बिल्कुल, बिल्कुल साथ में ही है, उसमें होते हुए निकलता है और उसके लिए पहले भी ये कहा गया था कि उसमें एक नाम और जोड़ दिया जाए क्योंकि वो वजीरपुर की जमीन के रूकते हुए जाता है तो वो अगर हो जाए जैसे कि अभी राजेश जी ने कहा कि दो नाम, एक नाम और उसमें जोड़ दिया जाए। किसी का हटाया जाए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अगर एक और जोड़ दिया जाए तो वजीरपुर की जनता के लिए बहुत खुशी की बात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्गः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने नियम 280 के तहत मुझे अपनी विधान सभा के एक संवेदनशील मुद्दे को उठाने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो गाँव हैं– टोडा पुर और दसघरा। अध्यक्ष जी, ये बहुत प्राचीन गाँव हैं; लगभग 500 से 600 वर्ष पुराने ये गाँव हैं और दोनों साथ–साथ बसे हुए हैं। इनकी आबादी भी लगभग एक लाख के करीब है। विडंबना ये है अध्यक्ष जी, इन दोनों गाँवों में कोई शमशान घाट की व्यवस्था नहीं

है। गाँव के लोग लगातार डीडीए के पास जा रहे हैं, अपने एमपी के पास जा रहे हैं। बार–बार फरियाद करने के बावजूद उनकी इस माँग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये भावनाओं से और मानवता के आधार पर जुड़ा हुआ मुद्दा है अध्यक्ष जी। क्योंकि जब भी परिवार में कोई मौत होती है तो उनको तीन से चार किलोमीटर दूर या तो इन्द्रपुरी जाना पड़ता है या सत नगर जा के उनका संस्कार, अंतिम संस्कार करना पड़ता है। उनके परिवार का हिस्सा होने के नाते मुझे भी उनकी अंत्येष्ठि में शामिल होना पड़ता है तो वहाँ चाहे कोई बूढ़ा हो, नौजवान हो, महिला हो, उसकी केवल एक ही माँग रहती है अपने विधायक से कि जी, हमारे गाँव के लिए दोनों गाँव के लिए कोई शमशान घाट की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ डीडीए का एक बहुत बड़ा भू–खण्ड दोनों गाँवों के बीच में है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उस भू–खण्ड में से कुछ हिस्सा अगर दोनों गाँव के शमशान के लिए दे दिया जाए तो मैं समझूँगा कि ये मानवता के लिए बहुत अच्छा कदम रहेगा। अध्यक्ष जी, एक न एक दिन सबको जाना है परन्तु ये डीडीए के लोग और ये मेम्बर पार्लियामेंट ये समझते हैं कि हम अजर और अमर हैं। केन्द्र में हमारी बैठी हुई सरकार जो डीडीए जिसके अधीन आता है, कोई उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर रही है। ये मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जाना सबने है। अगर वो ये समझ के बैठे हैं कि हम अजर–अमर हैं तो उनकी ये भूल है और उनको इस भूल पर ध्यान देकर के इन दोनों गाँवों की समस्या को समझते हुए वहाँ शमशान घाट की व्यवस्था करनी चाहिए उन लोगों को हमारी सरकार से बड़ी उम्मीद है कि हमारी सरकार डीडीए से इस मामले में हस्तक्षेप करके कुछ भूमि आबंटित कराए जिससे उन दोनों गाँवों के लिए शमशान घाट की व्यवस्था हो सके, धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र का एक बहुत ही अति–महत्वपूर्ण विषय रखने के लिए आपने मुझे मौका दियाँ मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत इण्डस्ट्रियल लेबर्स के लिए केन्द्र सरकार की एक योजना के अन्तर्गत लोन देकर के अति–गरीब लोगों के लिए मकान बनाए गए थे। समय बीतता गया, अध्यक्ष जी, समय बीतने के साथ–साथ इस कालोनी की देख–रेख नगर निगम को दे दी गयी और आज हालत ये है कि नगर निगम की जमीन नहीं हाने के बावजूद इसमें कमला नगर से बहुत सारे लोग जो झुग्गी–झोपड़ी में रहते थे, उनको उठाकर के इस कालोनी में बसाया गया था, रिसेटलमेंट के रूप में भी। 56 परिवार ऐसे भी रहते हैं इस कालोनी में; दस रुपये किराए पर। आज बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ बताए उन लोगों को उत्तरी दिल्ली नगर निगम, वो पूरी की पूरी कालोनी किसी प्राइवेट बिल्डर को देने का काम कर रही है। आज उनको उजाड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। क्या ऐसी मजबूरी है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कि पूरी की पूरी जमीन किसी प्राइवेट बिल्डर को दे रहे हैं वो? जब हमने कई बार चिट्ठियाँ भी लिखीं हैं लेकिन आज तक उसका जवाब भी नहीं आया अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहता हूँ, हमने पूछा था कि ये मकान किसके हैं, केन्द्रीय सरकार की जमीन पर बसे हुए हैं, दिल्ली सरकार की जमीन पर बसे हुए हैं या एमसीडी की जमीन पर बसे हुए हैं? इसका भी जवाब आज तक जो है, मुझे और मेरे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला। साथ–साथ ये भी पूछने की कोशिश की गयी कि ये जमीन किस परपज के लिए किससे और कब किस दिल्ली सरकार ने एक्वायर किया था, केन्द्र सरकार ने किया था या फिर एमसीडी ने किया था? अध्यक्ष जी, तब तो एमसीडी हुआ भी नहीं

करती थीं। आज फिर उनसे हमने पूछा कि आप ये बताइए कि ये जो मकान बनाये गये हैं, क्या ये स्टाफ क्वार्टर के रूप में बनाए गए थे? इसका ब्राउसर आपने पढ़ा हैं। ये किस परपज के लिए बनाए गए थे। क्या ये स्टाफ क्वार्टर बनाए गए थे। उसका भी जवाब आज तक नहीं आया। अध्यक्ष जी, इसी तर्ज पर 1952 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नीमड़ी कालोनी भी बनाया गया था। वहाँ का मालिकाना हक वहाँ के लोगों को दे दिया गया। वहाँ के लोग आज वहाँ पर अपने मालिकाना हक के अन्तर्गत रह रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि प्राइवेट बिल्डर से मिलकर के उत्तरी दिल्ली नगर निगम बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करके लोगों को उजाड़ने का काम करने जा रही है। सदन इस पर संज्ञान ले। क्योंकि ये जो मकान बने थे, वो अस्सी परसेन्ट लोन पर बने हुए थे। केन्द्र सरकार के यहाँ पर जो बसाए गए थे, वो दलित परिवार के लोग थे, ज्यादातर लोग। सारे सफाई कर्मचारी थे और यहाँ पर जो लोग बसे, उनसे कुछ चन्द दस रुपये का किराया लेकर के इनको बसाया गया था। जब कि रिसेटलमेंट किया गया था। ये लोग कमला नगर रहते थे और कमला नगर से उठाकर के यहाँ पर लाया गया कि आपको वहाँ से जमीन खाली कराई गई है तो आपको अब यहाँ बसाया जा रहा है। अब ता–उम्र आपका मालिकाना हक होगा। आप यहीं पर रहोगे। आज बहुत बड़ा धोखा और षडयन्त्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी जो शासित है, वो लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। अति गरीब लोगों को, अति पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, जैसा हम लोग कहते हैं कि ये दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज पूंजीपतियों के हाथ में ये लोग बिक गये हैं और पूरी कालोनी को बेच दिया है। वहाँ पर माननीय मुख्य मंत्री जी के यहाँ से भी जवाब मांगा गया। उसका भी जवाब उत्तरी दिल्ली नगर ने आज

तक नहीं दिया है। ये क्या मजबूरी है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की। इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये प्राइवेट बिल्डरों को दे रहें हैं और जहाँ तक मुझे खबर आई है कि जो गडकरी जी के विशेष पार्टनर हैं, संचिती जी को इस कालोनी को दे दिया गया है।

अध्यक्ष जी, 1960 से लेकरके 2018 तक 56 परिवार लगभग 60 साल से रह रहे है। एमसीडी के कमिश्नर ने इन लोगों को तीस साल की अवधि में इन...

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, आप कन्क्लूड करिए। पढ़ दिया आपने पूरा।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सर लम्बा है, मैं इसलिए दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप बीच–बीच में से कहीं से कभी बोल रहे हैं। कभी कहीं से बोल रहे हैं।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः तो मेरा एक ही माँग हैं अध्यक्ष जी, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बहुत बड़ा जो करप्शन भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम कर रही है, गरीबों को, दलित परिवारों को उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है और ये षडयंत्र एक कालोनी में नहीं चल रहा है, दिल्ली के मिन्टो रोड में चल रहा है। कमला नगर में हमारे क्षेत्र में बंग्लो रोड पर कालोनी है। वहाँ पर उजाड़ने की तैयारी चल रही है। धीरे–धीरे करके जितने सफाई कर्मचारियों की कालोनियाँ हैं, उसको उजाड़ने का दलित परिवारों को बेघर करने का काम भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम कर रही है। ये जो इसकी जाँच होनी चाहिए और जब तक जाँच न हो तब तक कोई भी अग्रिम कार्रवाई उस पर न हो। न खाली करवाया जाये इस कालोनी को। सदन इस पर ध्यान रखे। ये न्याय होना चाहिए लोगों के साथ। जो पूरी प्रापर्टी बहुत बड़े घोटाले, बताया जाता है 500 से

600 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के तहत घूस लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसमें। तो इस पर संज्ञान लिया जाए, इसको तत्काल रोका जाए। ये बहुत ही बड़ा जनहित का मामला है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी नीति है उसका...

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, हो गया, अब हो गया।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः बहुत बड़ा ये सबूत लेकर आया हूँ। ये सबूत दिख रहा है। इस पर संज्ञान ले सदन, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः मनोज कुमार जी, उपस्थिति नहीं। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, समय देने के लिए आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरिडोर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कारिडोर है। मैं बहुत ही एक अपनेपन में सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि 82. 15 किलोमीटर का ये पूरा जो स्ट्रैच है, इसको सिर्फ 60 मिनट में मेरठ–दिल्ली की दूरी तय हो पाएगी। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से और बीच में 11 स्टेशन्स होंगे और ये जो 11 स्टेशन्स हैं, तो आप समझ सकते हैं अध्यक्ष जी, कि दिल्ली के बाहर जो लोग 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर में रहते हैं, वो चालीस मिनट में दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन पर पहुँच सकते हैं। जिससे... क्योंकि अभी हाल–फिलहाल में ईपीसी ने 25 अक्तूबर को एक रिपोर्ट नं. 92 जारी की है और उसमें कहा गया है कि 40 परसेन्ट व्हीकल जो दिल्ली में चल रहा है, वो एनसीआर का व्हीकल है यानी की जो कंजेशन है दिल्ली में, अगर वो कंजेशन

का बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में 40 परसेन्ट व्हीकल एनसीआर से आ रहा हैं। अगर डिकंजेशन करना है तो हमको इसको अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। तो कंजेशन से पाल्यूशन भी हो रहा है। डिकंजेशन होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा और उसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कारिडोर जो जिसके अन्तर्गत पूरी कार्रवाई हो चुकी है, ये 82.15 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और बाकी उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश ने इस सम्बन्ध में पांच हजार छः सौ करोड़ रुपये का एक कमिटमेंट जो है, वो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर की जो एजेन्सी है; एनआरआरटीएस, उससे वो एग्रीमेंट कर लिया है। दिल्ली का जो खर्चा है वो 1138 करोड़ रुपये का है और पाँच साल में देना है। जिसमें 225 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देना होगा। तो यानी कि मात्र 225 करोड़ रुपये खर्च करके दिल्ली के लिए दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा सकता है और सराय काले खां तक ये पूरा कन्जेशन इसी तरह अलवर–दिल्ली बनेगा। इसी तरह पानीपत–दिल्ली बनेगा। तो ये उसके बाद तीन कॉरिडोर और बनेंगे। ये कुल मिला के दिल्ली का जो एनसीआर एरिया है, उसकी जो कनेक्टिविटी है और हमारा ये मानना है कि इसके शुरू होने के बाद जो लोग आज मजबूरी में अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेकर दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि एक बार प्राइवेट व्हीकल वो लेकर के आएगा तो वो मैट्रो यूज नहीं कर सकता। तो अगर वो प्राइवेट व्हीकल नहीं लाएगा और वो आरआरटीएस से ट्रैवल करेगा जिससे कन्जेशन कम होगा। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि ये योजना रूकी हुई है पिछले कई वर्षों से, दिल्ली सरकार ने मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगा वो भी इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें और अपनी भावनाएँ व्यक्त करें क्योंकि मैं समझता

हूँ हम सबका एक मिला–जुला प्रोजेक्ट है और ये दिल्ली में लागू होना चाहिए। अभी दो कन्डीशन दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई हैं। पहला, कि हमारे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो हम कोई पैसा नहीं देंगे। ये लिखित आपका बयान भी टाईम्स ऑफ इण्डिया में मैंने पढ़ा था और ये सरकार ने टाईम्स ऑफ इण्डिया में मैंनें बयान पढ़ा और उसके जो कॉरसपॉन्डेंस इनका हुआ, वो भी मेरे पास है। सरकर के साथ जो कॉरसपॉन्डेंस हुआ, आरआरटीएस का या सेक्रेटरी, अरबन डवलपमेंट का या मंत्री का। दूसरा सरकार ने बोला है कि जो सराय काले खां पर जो स्टेशन बन रहा है, वो एलिवेटेड नहीं होना चाहिए, वो अन्डरग्राउन्ड होना चाहिए। ये बड़ी हैरानी की बात है, अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा कि एक तरफ आपने बात की कि मैट्रो में हम एलिवेटेड चाहते हैं, अण्डरग्राउन्ड नहीं चाहते और चार हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च होगा अंडरग्राउंड बनाने मे। अंडरग्राउंड बनाने से तीन नुकसान होंगे; समय अधिक लगेगा, दूसरा चार हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च होगा और तीसरा जो आईएसबीटी, सराय काले खां अब जो दिल्ली सरकार बनाना चाहती है, वो प्रोजेक्ट जो है, वो ठंडे बस्ते मे चला जाएगा क्योंकि जब कई साल अंडरग्राउंड मैट्रो का ही काम आरआरटीएस का काम चलेगा जबकि एलिवेटेड बनाने मे दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। आप आईएसबीटी भी डेवलप कर सकते हैं और एलिवेटेड आरआरटीएस का स्टेशन जो इंटीग्रेटेड होगा जो तीनों रेल; अलवर से आने वाली, उसके बाद पानीपत से आने वाली और मेरठ से आने वाली, तीनों वहाँ आएँगी। उसी के साथ इंटीग्रेटेड मैट्रो का स्टेशन है। उसी के साथ इंटीग्रेटेड आईएसबीटी होगा तो एक पूरा हब जो है, वो विकसित होगा और पूरा हब जब विकसित होगा तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे ये समझ मे नहीं आ रहा।

माननीय अध्यक्षः अब विजेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कि ये सरकार 53 हजार करोड़ रुपये का बजट जिसके पास है, वो 225 करोड़ रुपये सालाना न देने का बहाना करके प्रोजेक्ट को रोक रही है। आपने मैट्रो को डिले किया, आज मेरी बात नोट करिए, फिर आप कल धन्यवाद प्रस्ताव लाएँगे कि हमने अब आरआरटीएस को, आपने आज आरआरटीएस को ऑलरेडी एक साल आपने डिले कर दिया है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, जो आपने लिखकर दिया था, उससे चार गुना बोल चुके हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट। जो आप कह रहे हैं ना...

माननीय अध्यक्षः दिक्कत यही आती है आपके साथ। जो लिखकर दिया था, उससे चार गुना बोल चुके हैं आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जो मैंने इसमे अध्यक्ष जी, जो बात यहाँ रखी गई है।

माननीय अध्यक्षः आप कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कि रेपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अध्यक्ष जी, मेरा इतना अनुरोध है कि सरकार आश्वस्त करे कि ये जो दोनो बहुत ही मैं कहता हूँ कि ऐसे आपने ऑब्जेक्शन्स लगाये हैं, ऐसी कंडीशन्स रखी हैं जो साफ रूप से लगता है कि आप प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं मंत्री जी, आप बताएँ कि आप रेपिड रेल, पहले ऐसे ही मैट्रो के लिए यहाँ हंगामा हुआ था, आज रेपिड रेल के लिए बात हो रही है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, अब बैठिए, आप प्लीज। कन्क्लूड हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब आप जवाब दीजिए। अभी आप लिख रहे थे, लिख रहे थे।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मुझसे बात करिए आप। आप मुझसे बात करिए। अब ये कोई तरीका नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ सरकार...

माननीय अध्यक्षः आप हाइजैक करते हैं। आप सदन को हाइजैक करने का प्रयास करते हैं। मंत्री जी की इच्छा होगी, उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अगर उनकी इच्छा होगी तो उत्तर देंगे, बैठिए आप। विजेन्द्र जी आप। एक सेकण्ड माननीय मंत्री जी, विजेन्द्र जी, देखिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, कुछ सदन की थोड़ी मर्यादा... आप मुझसे बात करिए। मुझे बार बार टोकना पड़ता है और आप सदन को, जब भी समय मिलता है, आप हाइजैक करते हैं। अब मंत्री जी जवाब देंगे या नहीं देंगे आपने रिक्वेस्ट कर लिया है। वो देंगे तो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो आप उनको प्रेशराइज मत करिए प्लीज। मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ, मंत्री जी दे रहे हैं, बात खत्म है चलिए।

परिवहन मंत्रीः किस अधिकार से वो जवाब माँग रहे हैं? 280 का सवाल है अपना जो उन्होंने कहना है, वो कहकर बैठें आराम से। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, किस अधिकार से!

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, सही राम जी, बाजपेयी जी, बैठिए। देखिए, विजेन्द्र जी, जो उन्होंने कह दिया, कह दिया। मैं उस पर 280 मे ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। 280 मे कोई ऐसी रूलिंग नहीं है कि मंत्री जवाब दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अच्छा, बैठिए आप। अनिल बाजपेयी जी, बैठिए। सही राम जी, बैठिए प्लीज। सहीराम जी, किसी नियम में नहीं है आपका।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बाजपेयी जी, ऐसे नहीं प्लीज। आपका 280 आ चुका।

...(व्यवधान)

श्री सहीरामः ...(व्यवधान) कारण दिल्ली की झुग्गी–झोपड़ियों मे प्रापर्टी टैक्स लगाने का काम करती है। मैं दिल्ली के इतिहास की बात कर रहा हूँ। दिल्ली मे झुग्गी कालोनियों में

...(व्यवधान) देते हो ये सीवर देते हों, ये बिजली देते हों क्या व्यवस्था करते हैं ये। दिल्ली सरकार दे रही है पानी की व्यवस्था पीने का पानी दे रही है, सीवर दे रही है, गलियाँ बना रही है। हाउस टैक्स ये वसूल करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, यहाँ माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि कमिश्नर को बुलाकर कम से कम एक बार ये तो पूछें कि

झुग्गी झोपड़ियों मे हाउस टैक्स कब से लगाना शुरू कर दिया और 15 दिन का टाइम दिया है। इन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी को झुग्गी झोपड़ियों मे...

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, आप लिखकर दीजिए।

श्री सही रामः गरीब लोग, मजदूर लोग वोट देते नहीं, इसलिए इन्हें टॉर्चर करो। पहले

ये –(व्यवधान)– को पीटेंगे।

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, एक बार सुनिए, व्यवस्था सुन लीजिए आप। इसको लिखकर दीजिए जो नोटिस आए हैं, उनकी कापी लगाकर दीजिए, जिस झुग्गी क्लस्टर मे है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, ये भई नितिन जी, दो मिनट इस पर निर्णय लेने दीजिए आप ये लिखित मे मुझे दीजिए।

श्री सही रामः मैं लिखित मे दे रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी, ये बैठे हैं, विपक्ष के नेता बैठे हैं जो पैसा–पैसा करते हैं ये। अरे! पैसा का क्या करोगे? खाकर मरोगे क्या? गरीब लोगों पे भी टैक्स ले रहे हो। गरीब लोगों को तो बख्श दो कम से कम। दलित विरोधी तुम, किसान विरोधी तुम, मजदूर विरोधी तुम, झुग्गी झोपड़ी विरोधी तुम। क्या करना चाह रहे हो, दिल्ली को उजाड़ना चाह रहे हो?

...(व्यवधान)

श्री सही रामः अरे! कापी है, जुमलों की सरकार नही है। ये कापी है मेरे हाथ मे। ऑन रिकार्ड है। ये जुमलों की सरकार नहीं है कि पंद्रह लाख रुपये आ गये।

माननीय अध्यक्षः मैंने नोट कर लिया है।

श्री सही रामः ये दोनों नेता कह रहे हैं, ये फेक है, झूठा है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसकी जाँच करा लें अगर ये झूठा है तो यहाँ से सदस्यता से मेंबरशिप का मैं त्याग–पत्र दूँगा, वर्ना ये दोनों देंगे।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, ये सरकारी कागज है। जो सदस्य कह रहे हैं, ये कागज है। विपक्ष कह रहे हैं, ये फर्जी है। ये सदन आपसे जानना चाहता है, ये कागज फर्जी है या सच है, प्लीज अध्यक्ष जी?

श्री सही रामः अगर ये फर्जी है तो यहाँ से जाने के लिए मैं तैयार हूँ। वर्ना ये दोनों मेंबरशिप से रिजाइन करेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी, ये आ गया है, मेरे पास आ गया है।

सुश्री अलका लाम्बाः तो अध्यक्ष जी, बता दीजिए सदन को।

माननीय अध्यक्षः मैं बता रहा हूँ, सुनिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई नितिन जी, वो जा रहे हैं तो जाने दो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सही राम जी की ये समस्या जो है ना, नोटिस अण्डर सैक्शन 123(ए) ऐण्ड 123 (बी) ऑफ द डीएमआरसी एक्ट, 2003 और ये मजदूर कल्याण कैंप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया को भेजा गया है। आप एक एप्लीकेशन

लिखकर मुझे दीजिए। मैं इसको स्पेशल कमिटी ऑन एमसीडीज उसको रेफर करता हूँ। अब दीजिए मुझे लिख के, वो जाँच करेगी।

सुश्री भावना गौड़ः हमारी विधानसभाओं में भी आया है।

माननीय अध्यक्षः जिन जिनकी विधान सभाओं में आया है, वो लिख के दे दें एक बार। अब माननीय मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को सदन मे पुरःस्थापित दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 (2018 का विधेयक संख्या 5) पर विचार किया जाए।

विधेयक पर विचार एवं पारण

माननीय उप–मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 का विधेयक संख्या पांच पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा। अब इस पर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं। अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2 जिसमें धारा–2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–2 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–3 जिसमें धारा–7 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–3 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–4 जिसमें धारा–9 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–4 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–5 जिसमें धारा–10 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–5 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–6 जिसमें धारा–12 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–6 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–7 जिसमें धारा–13 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–7 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–8 जिसमें धारा–16 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–8 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–9 जिसमें धारा–17 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–9 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–10 जिसमें धारा–20 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–10 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–11 जिसमें धारा–22 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–11 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–12 जिसमें धारा–24 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–12 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–13 जिसमें धारा–25 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–13 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–14 जिसमें धारा–29 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–14 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–15 जिसमें धारा–34 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–15 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–16 जिसमें धारा–35 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–16 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–17 जिसमें धारा–39 का संशोधन है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–17 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–18 जिसमें नई धारा–43क जोड़ी गई है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–18 विधेयक का अंग बन गया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो ही एजेन्डा है। अलग कहाँ से हो जाएगा? तो ये तो जो आपको बिल दिया है, बिल को पढिए ना जी। बिल को पढिए। ये पचास पेज का एजेंडे में नहीं आ सकता। ये बिल दिया है आपको। आपके कहने से सदन

नहीं चलेगा। आपको जानकारी नहीं है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। जानकारी नहीं है। बोलने से मतलब है ओम प्रकाश जी। कल दिया गया है आपको पूरा। नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका। मैं हड़का नहीं रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ। विजेन्द्र गुप्ता जी को एक बार शाट लगा लें।

प्रश्न है कि खण्ड–18 जिसमें नई धारा–43क जोड़ी गई है ,विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–18 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–19 जिसमें धारा–48 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–19 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–20 जिसमें धारा–49 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–20 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–21 जिसमें धारा–49 क तथा 49ख को जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–21 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–22 जिसमें धारा–52 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–22 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–23 जिसमें धारा–54 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–23 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–24 जिसमें धारा–79 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–24 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–25 जिसमें धारा–107 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–25 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–26 जिसमें धारा–112 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–26 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–27 जिसमें धारा–129 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–27 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–28 जिसमें धारा–143 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–28 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–29 जिसमें अनुसूची–1 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–29 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–30 जिसमें अनुसूची–2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–30 विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–31 जिसमें अनुसूची–3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–31 विधेयक का अंग बन गया।

माननीय अध्यक्षः अब प्रष्न है कि खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक का पुरःस्थापन

माननीय अध्यक्षः अब श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को सदन में पुरःस्थापित "दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 05)" को पारित किया जाए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को सदन में पुरःस्थापित "दिल्ली माल सेवा और कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 05)" को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 07)" को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की परमिशन माँगेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 07)" को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आकस्मिक निधि विधेयक, 1994 का विधेयक है, मूल विधेयक और इसमें सरकार के पास में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपये की कंटिंजेंसी फण्ड का प्रावधान है। 1994 से ये यही चला आ रहा है। अभी सरकार को बीच बीच में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ आ जाती हैं जैसे कि केरल में बाढ़ आई थी, तो उस वक्त भी पैसे देने पड़े थे और उस बीच कुछ शहीद सैनिकों के जो एक करोड़ रुपये फण्ड देना होता है, वहाँ भी आकस्मिक रूप से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी थी तो ये एक बफर फण्ड है जिसको सरकार बहुत इमरजेंसी के लिए रखती है। वहाँ ये 10 करोड़ रुपये पिछले कई साल से काफी कम महसूस किया जा रहा था। इसको बढ़ा के इसमें बस मामूली सा परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, इसमें 10 करोड़ की जगह इसको 100 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि का प्रस्ताव है, मैं सदन की अनुमति से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि संशोधन विधेयक 2018 (2018 का विधेयक संख्या 07)" को सदन में इन्ट्रोड्यूस करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय सदस्य, अगर कोई इच्छुक हैं तो चर्चा में भाग ले सकते हैं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ तर्क देना... अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड 2 जिसमें धारा 2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने,

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने,

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड –1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज सदन में पुरःस्थापित "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 07)" को पारित किया जाए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन में आज पुरःस्थापित "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 07)" को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

ध्यानाकर्षण (नियम –54)

माननीय अध्यक्षः ध्यानाकर्षण (नियम–54) सोम नाथ भारती जी।

श्री सोम नाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नियम– 54 के तहत एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, ये अति महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भाजपा और मोदी जी अपने आपको हिन्दूवादी और हिन्दू हित के लिए अपने आपको बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, 4 दिसम्बर, 2018 को मेरे पास दोपहर में एक फोन आया कि संत गोपाल दास जी एम्स से गायब हैं। तो मैंने पता करने का प्रयास किया तो मालूम पड़ा कि उनको एडमिट कराया गया था लेकिन वो एम्स वाले बता नहीं रहे हैं कि वो कहाँ चले गये। तो मैं गया, एम्स में बकायदा धरने पे बैठा और 35 घंटे धरने पर बैठने के बाद एम्स के डायरेक्टर ने आके बताया कि हाँ, कुछ गलतियाँ तो हुई हैं। उसपे जाँच बिठाऊँगा; किस तरह से कहाँ भेजा गया है और क्यूं भेजा गया है जाँच बिठाऊँगा।

अध्यक्ष महोदय, अब संत गोपाल दास जी हैं कौन? इसको जानना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, ये जानकारी मैं इसलिए सदन पटल पे रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे धरने पे बैठने के बावजूद माननीय केजरीवाल साहब के ट्वीट करने के बावजूद न तो मीडिया ने ढंग से इस बात को उठाया, न भाजपा के सदस्यों ने चिंता जाहिर की, न कांग्रेस के लोग आए, ये जो कांसपिरेसी है, क्योंकि संतों के बल पे ये पार्टी आयी हुई है, कहती है, "हम संतों के लिए आए हुए हैं।" लेकिन संतों के साथ क्या दुव्यर्वहार कर रही है ये पार्टी, वो बात आपके जरिए सदन को बताना जरूरी है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात होगा माननीय मोदी जी या भाजपा हमेशा ही जब ये बात करती है पॉलिटिक्स की तो भगवान श्री राम को ले आते हैं, हनुमान जी को ले आते हैं, माँ गंगा को ले आते हैं, गऊ माता को ले आते हैं। आजकल तो एक नया तरीका निकल गया। हनुमान जी के साथ ऐसा भद्दा मजाक चल रहा है। कोई कहता है कि जाट हैं, कोई कहता है मुसलमान हैं, कोई कहता है दलित हैं। इंसान तो इंसान, भाजपाइयों ने

और मोदी जी ने भगवान तक को जाति–पाति में बांट दिया। इससे असंगत बात क्या हो सकती है! और ये हिन्दुओं के साथ ये भद्दा मजाक और ये जो लोग हंस रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि हिन्दूवादी ताकतों के आधार पे ये सत्ता में आने का प्रयत्न करते हैं और भगवान श्री राम के साथ, भगवान हनुमान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय मोदी जी ने कहा, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, भाइयो और बहनो! मां गंगा ने मुझे बुलाया है और बनारस में क्या हो रहा है अभी? 200 मंदिरों को, 1–2 नहीं, मोदी जी ने आधुनिकीकरण के नाम पर...

श्री सोम नाथ भारती: 200 मंदिरों को तोड़ा है।

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी, गोपाल दास जी पे आइए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती: उसी पर आ रहा हूँ मैं, तोड़ा है और भगवान शिव के साथ जो अन्याय किया है, भगवान हनुमान का, भगवान श्री राम का और भगवान शिव का जो आपने अपमान किया है, उसके लिए आपको इतिहास याद रखेगा।

माननीय अध्यक्ष: गोपालदास जी पर आइये सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: माननीय संत गोपालदास जी और उनके पूर्व प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल साहब जिनको प्रोफेसर सानंद के नाम से भी जानते हैं और उनके पूर्व निगमानंद जी उनके पूर्व बाबा नागनाथ जी इन चारों महानुभावों ने जो त्याग का परिचय दिया है माँ गंगा के लिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ; 11 अक्तूबर 2018 को संत सानंद जी ने जिनको हम प्रोफेसर अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 120 दिन अनशन पर बैठने के बाद अपना जीवन त्याग दिया उन्होंने अपना देह त्याग दिया और

उन्होंने उसके बाद बाकायदा चिटठी लिखी गई 28 अक्तूबर को ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी ने जो मातृसदन के हेड हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी अपने आप में अद्‌भुत है और इनके सारे क्लेम्स को जो कहते हैं कि हम हिंदू के लिए हैं, हम हिंदू वादी हैं। इनको सुनने की ताकत नहीं है, भाग जायेंगे, ये भाग जायेंगे। अरे! आपको सुनने की ताकत नहीं है, आपको सुनने की ताकत नहीं है।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, आप अपनी बात रखिये। सोमनाथ जी, ये दिक्कत है। आप विषय से भटक रहे हैं, विषय को रखिये।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं उसी के ऊपर हूँ।

माननीय अध्यक्षः मैं आग्रह कर रहा हूँ।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं सिर्फ उसी के ऊपर ही हूँ।

माननीय अध्यक्षः उसी पर रखिये।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं सर, उसी के ऊपर हूँ।

माननीय अध्यक्षः दिल्ली का विषय है दिल्ली के...

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरी दो पीड़ा हैं; पहली पीड़ा तो ये है कि एक संत जो 160 दिन से अनशन पर बैठा था जो माँ गंगा के लिए अपना परिश्रम देकर के एक आंदोलन करना चाह रहे हैं कि माँ गंगा के साथ न्याय हो, वो गायब हो गया। कल एम्स की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बाकायदा एम्स ने माना है कि हाँ, हमारे लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाकर के देहरादून ले गये और अकेले छोड़ दिया। एक इंसान जो 160 दिन से अनशन पर बैठा है, जिसके नाक में नली लगी हुई है, उस इंसान को आप देहरादून में आठ बजे रात को अकेले छोड़ देते हो, डीएम आफिस के बाहर। इस बात को आपने माना है और आज

कहते हैं... उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि हाँ, ये बात सत्य है कि वो गायब हैं और हम इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस पीड़ा के कारण संत सानंद जी ने, जिस पीड़ा के कारण संत निगमानंद जी ने, जिस पीड़ा के कारण बाबा नागनाथ जी ने प्राण त्यागे, वो पीड़ा बताना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे श्रीमद्भागवत गीता जी में आता है कि जो संसार को त्यागकर सन्यासी हो चुके हैं संसार से उपरांत सांचित वाले हैं ब्रह्म निष्ठ हैं, लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी हैं, वो अपने अंग संग से तुम्हारे पापों का हरण कर लेंगे। क्योंकि उनके ह्दय में पाप का भेदन करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। ये क्या, ये किसने कहा? ये राजा भागीरथ जी के तप से जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित होने को आई तो उन्होंने गंगा जी ने भागीरथी जी से पूछा था कि मुझमें लोग अपने पाप छोड़ेंगे तो फिर उस पाप से मुझे मुक्त कौन करेगा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने ऐसा कहा था। आज माँ गंगा का हाल ये है कि रूद्रप्रयाग जैसे इलाके में मई के महीने में माँ गंगा बिल्कुल एक नाले की तरह बहती है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और माँ गंगा के साथ ऐसा अपमान हो रहा है! आज चाहे गऊ माता हो चाहे माँ गंगा हों, चूंकि इसी प्वाईंट पर बार बार क्लेम करने वाले भाजपा और भाजपाई जो भाग गये, उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, ये चिटठी कई सारे संतों ने और कई सारे सांसदों ने माननीय मोदी जी को लिखा और ये चिटठी का मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय। जो आपके जरिये सदन के संज्ञान में आई। इसमें लिखा है अध्यक्ष महोदय, कि ये पीड़ा है कि आपने माँ गंगा को केवल एक जल संसाधन मात्र मान लिया और सब तरह के व्यापारों के द्वार उन पर खोल, विकास के नाम पर

उन्हें हर तरह से रौंदने का जरिया बनाया है। स्वामी सानंद जी के आपको प्रेषित पत्रों में भी साफ झलकती इस पीड़ा का गंभीर संज्ञान लें। यदि आपने इस पीड़ा की वास्तविकता को समझा होता तो पवित्र गंगाजली को मार्किटिंग के नजरिये से देखने वाली, देख कमाई करने वाली सोच रखने वाले व्यक्ति को आप गंगा मंत्री ना नियुक्त किया होता। आप के गंगा मंत्री जी ने ये असत्य और खोखला बयान दिया कि स्वामी सानंद की माँगे मान ली गई हैं। तो इस असत्य संवेदनहीन व्यवहार को देख उनके हृदय में पीड़ा हुई और अपने जान गंवाने के एक घंटे पूर्व उन्होंने इस बात को सबको बता दिया कि किस तरह से माननीय मोदी जी ने और किस तरह से भाजपा सरकार ने उनको धोखा दिया। इस मुददे पर अध्यक्ष महोदय, आज पीड़ा ये है कि एक तरफ तो ये सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है लेकिन विकास का पूरा नजरिया इनका है। इनके पूरे डेवलेपमेंटल माडल में हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की गर्व की प्रतीक माँ गंगा का कोई उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ वेस्टर्न मॉडल पर आधारित होकर के अपना विकास करने का ढोंग इसलिए रचते हैं क्योंकि उस डेवलेपमेंटल माडल में पैसे की बहुत चोरी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जब स्वामी सानंद ने इस बात पर अपने प्राण के आहुति देने की ठानी...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, साढ़े तीन बजे तक कन्क्लूड कर लीजिए। पाँच मिनट और दूँगा।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं कर दूँगा। तो जब ठानी तो मोदी जी ने और इनकी सरकार ने इनको उपेक्षित कैसे किया? कहा कि ये तो एक आदमी की जिद्द है। अब कोई जिद्द के कारण क्या अपना जान देता है? कुछ तो कारण होगा अध्यक्ष महोदय। ये बात भी बता दूँ। इनके प्रधानमंत्री बनने में प्रोफेसर सानंद ने इतना

कुछ किया इनके लिए, इनके लिए कहा कि भई यही एक आदमी है जो कि हिंदुओं की सारी जितनी भी जो उनके सपने हैं; हिंदुत्व का विकास हो और हिंदुओं का विकास हो और भारत का विकास हो, माँ गंगा का विकास हो, इसी के जरिये होगा। लेकिन वो सब तो वोट लेने के लिए है। अभी हो गया ना वो। क्योंकि चुनाव आने वाला है तो अयोध्या में फिर पहुँच गये सारे ये। 'राम जी टाट में, और ये ठाट में।' आज तक...

श्री सुरेन्द्र सिंहः मिस्त्री भाग गये।

श्री सोमनाथ भारतीः मिस्त्री, जी ये है कि राम जी टाट में अभी तक और ये सारे ठाट में तो इनकी ठाट और हनुमान जी के साथ भद्दा मजाक और माँ गंगा के साथ न्याय ये उजागर करता है। इन्होंने तो बाकायदा तो कह ही दिया कि भई हम मुसलमान विरोधी हैं, हम दलित विरोधी हैं लेकिन हिंदु विरोधी ये हैं। अंदर से ये बात आज उजागर करना चाहता हूँ, आपके जरिये अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये चूँकि इस चिट्ठी का हिस्सा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। उससे बात जाहिर हो जायेगी जो मैं कहना चाहता हूँ सदन के माध्यम से।

वर्ष 2012 में मातृसदन के संत स्वामी निगमानंद कुंभ नगरी हरिद्वार में गंगा को खनन की विभीषिका से मुक्त करने हेतु बलिदान हुए वर्ष 2014 में वाराणसी में मणिकर्निका घाट पर लंबे समय से गंगा की अविरलता... अब अविरलता क्यों महत्वपूर्ण है? आज गंगा अविरल नहीं है और ये बात भी नहीं करते। ये कहते हैं, "गंगा की निमर्लता की बात करेंगे, अविरलता की बात नहीं करेंगे।" जगह–जगह बांध बनाकर पूरे उत्तराखंड में और जगह–जगह इन्होंने गंगा को ऐसा कर दिया, अध्यक्ष महोदय, कि जो हिंदुओं का एक विश्वास था कि मरने वाले व्यक्ति को हम

गंगा जल पिलायेंगे, आज आप गंगा जल नहीं पिला सकते। क्योंकि गंगा जल में कीड़ा लग गया है, अविरलता खत्म हो गई है गंगा जल के अंदर। अब गंगा जल के अंदर अविरलता खत्म हो गई है जिसके कारण गंगा जल में कीड़ा लग गया है और उस कारण से अविरलता पर इनका कोई जोर नहीं है। चूंकि इन्होंने पूरे देश को और पूरी आस्था को अंबानी और अदानी जैसे लोगों के माध्यम से बेच दिया है।

अध्यक्ष महोदय, अविरलता हेतु अनशन पर बैठे बाबा नागनाथ ने अनशन से जीर्ण हो चुके शरीर को छोड़ दिया जो देश में अधिक चर्चा का विषय न बन सका। इसके बाद चार साल बाद इनकी सरकार में गंगा को लेकर कुछ कठोर व ठोस करने की संवेदना उजागर करना तो दूर, इनकी सरकार ने गंगा की उद्गम हिमालयी घाटियों के पर्यावरण को ही नाश करने के लिए कदम उठा लिया। जून 2013 की आपदा के बाद इन्होंने सबको भुला दिया। इसी संवेदनहीनता से आहत जून 2018 में...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड करिए आप।

श्री सोमनाथ भारतीः दो मिनट और।

माननीय अध्यक्षः नहीं, विषय जहाँ से शुरू हुआ था...

श्री सोमनाथ भारतीः दो मिनट और।

माननीय अध्यक्षः विषय अलग हो गया।

श्री सोमनाथ भारतीः दो मिनट और। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं, इसको कन्क्लूड कीजिए।

श्री सोमनाथ भारतीः इनका जो फेक क्लेम है हिंदुत्व के प्रति, उसको बताना बहुत जरूरी है, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः संत गोपालदास जी का विषय गौण हो गया।

श्री सोमनाथ भारतीः उसी पर आ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए इसको

श्री सोमनाथ भारतीः इसी व्यथा से पीड़ित गोपालदास जी 24 जून को भगवान बद्रीनाथ के चरणों में अनशन पर बैठने को बाध्य हो गये और वहाँ से जोशीमठ उठाया गया, चमोली भेजा गया, ऋषिकेश (एम्स) लाया गया। ऋषिकेश, (एम्स) के बाद यहाँ दिल्ली (एम्स) लाया गया और इतना उनको परेशान किया गया, इतना तंग किया गया कि भई वो आदमी अपना अनशन तोड़ दे। ये चाहते हैं कि इस आदमी के जरिये जो इनका पोल खुल रहा है,

माँ गंगा के प्रति जो इन्होंने विश्वासघात किया है, उसका जो पोल खुल रहा है, इस आदमी को समाप्त करना चाहते हैं ये। इसी कारण अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहता हूँ कि जो दो बातें हैं; एक तो ये जैसा कि कहीं आज मैं पढ़ रहा था माँ गंगा कहते हैं, लेकिन सीवर की जितनी लाइनें माँ गंगा में गिर रही हैं, एक भी इनके शासन काल में बंद नहीं हुआ है। आज सीवर का गंदा पानी पीने को मजबूर है माँ गंगा।

अध्यक्ष महोदय, ये जो 12, चूंकि मैं जो आपने कहा संत गोपाल दास जी के बारे में बता दें। 29 साल के ये नौजवान हैं, 160 दिन से अनशन पर हैं, 24

जून, 2018 से अनशन पर है। इनको कई बार तंग किया गया। इनके जो अनुयायी हैं, उनको तंग किया गया और आखिरकार जब ये एम्स में एडमिट थे, इनको फोर्सिबली, जबरदस्ती एम्स ने उठाकर के गाड़ी में डालकर देहरादून ले गए और रात को 8 बजे इनको छोड़ दिया। एक आदमी के नाक में नली लगा हुआ है, उसको छोड़ दिया, इस बात को माना। मैं माँग करना चाहता हूँ भाजपा से और भाजपा केंद्र सरकार से, ...(व्यवधान), हमको तो माँग करनी है अध्यक्ष महोदय से। और सिरसा जी उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए है। अध्यक्ष महोदय, एम्स भाजपा का, दिल्ली पुलिस भाजपा का, उत्तराखंड सरकार भाजपा का, केंद्र सरकार भाजपा का। जब सारे भाजपा के तो उनको ढूँढकर कौन निकालेगा? आज मैं आपके जरिए माननीय गृहमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको संज्ञान में लें। चूंकि दिल्ली के अंदर से गायब हुए हैं ये, तो आप संज्ञान में लें और भारत सरकार से पूछें इसके बारे कि संत गोपाल दास जी कहाँ हैं और कब आएँगे और कौन–कौन उनकी चिंता में लगा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात मैं माँग करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि जिस कारण से वो अनशन पर बैठे हैं, स्वामी सानंद संशोधित गंगा एक जो पार्लियामैंट में पेश नहीं कर रहे है वो, उसको पेश करें और इसी सत्र में पास किया जाए। मेरी दो मांगें हैं; संत गोपाल दास जहाँ भी है, उनको निकाला जाए, उनको सुरक्षित वापस लाया जाए और गंगा एक्ट को इसी सत्र में पास किया जाए। धन्यवाद, आपका।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। पंकज जी, बहुत संक्षेप में पंकज जी, लम्बा न करिएगा।

श्री पंकज पुष्करः अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप में बस माननीय सदस्य सोमनाथ भारती जी की भावना से पूरी तरह सहमत होते हुए, मैं बस इस

गम्भीरता की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा सदन का, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि ये मामला केवल संत गोपाल दास जी के गायब होने का नहीं है। ये पूरे भारत के परिदृष्य पे से, भारत के भौगोलिक परिवेश में से नदियों को लूट लेने का और उनको गायब कर देने का मामला है। माननीय महोदय, हम भारतवासियों का एक कड़ा परीक्षा है। दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार केंद्र में आकर बैठ गई है जो भारत के जंगल, भारत की जमीन, भारत के किसान, भारत के हर मूलवासी, भारत के सच्चे नागरिक, आजादी की लड़ाई; 1857 की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान, भारत की नदियों, सबको गायब कर देना चाहती है। माननीय महोदय, और इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत तौर से कहना चाहता हूँ कि मैं इस आंदोलन का पुराना सिपाही हूँ। यहाँ पर पूरे मीडिया को किस तरह खरीदा गया है, जब संत गोपाल दास जी को गायब करने से पहले संत सानंद जी जो आईआईटी के प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर जी.डी.अग्रवाल जी, उनके देहांत से चार दिन पहले हम सब लोगों ने चाहा कि एक विज्ञापन पैसे देकर दिल्ली की मीडिया में छापा जाए कि एक सीएम, एक पीएम साहब को एक अपील दी जाए कि एक बार उनकी सुनवाई कर लें, माननीय महोदय मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, माननीय गृहमंत्री महोदय और माननीय सीएम महोदय को मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि दिल्ली का पूरा मीडिया इतना साहस नहीं कर सका कि पैसे लेकर भी विज्ञापन के तरीके से भी उस चिट्ठी को छाप सके। ये भारत के जो लोकतंत्र का चौथा खम्बा है, उसके गिर जाने की, उसके बिक जाने की बहुत खतरनाक खबर है। ये सदन, ये दिल्ली की विधान सभा क्योंकि देश भक्तों की और शहीदों की विरासत को सम्भालने वाली विधान सभा है, इस बात का संज्ञान ग्रहण करे। तो केवल जान संत गोपाल दास की

खतरे में नहीं है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है और वो भाजपा की वजह से खतरे में है। इस बात को संसद में, ये इस विधान सभा में दर्ज किया जाए। एम्स जैसे निरपेक्ष स्थान को, एम्स जैसे ईमानदार संस्थान को बर्बाद कर दिया गया। उसको दबाव डाला गया, फोर्स किया गया कि संत गोपाल दास को रातों–रात गायब कर दिया जाए। इसकी उच्च स्तर पर जाँच हो, माननीय गृह मंत्री महोदय जो दिल्ली सरकार के हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि इसको केंद्र सरकार के गृह मंत्री के सामने इस मामले को उठाएँ।

माननीय महोदय, मैं आखरी बात केवल ये कहना चाहूँगा कि गुरूनानक देव जी आज से 500 साल पहले जब रावी नदी के अंदर उन्होंने डुबकी लगाई, निकल कर उन्होंने कहा कि न मैं हिंदू, न मैं मुसलमान, मैं इंसान हूँ, मैं मानव हूँ। इस देश को बर्बाद करने वाले लोगों को चेतावनी, गुरू नानक देव जी के मानने वाले हम सब लोगों की तरफ से जानी चाहिए कि हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। देश की नदियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। देश को हिंदू–मुसलमान में बाँटने नहीं देंगे। अगर एक भी सच्चा सिपाही गुरू नानक देव जी को मानने वाला इस सदन में बैठा है, उसको आज कसम खानी चाहिए कि वो हिंदू–मुसलमान पर लड़वाने वाले के खिलाफ हों, हिंदुस्तान की नदियों को बर्बाद करने वाले के खिलाफ हों। संत गोपाल दास जी को ढूंढा जाएँ, एम्स पर जाँच बैठाई जाए, ये मैं सदन की तरफ से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से ये प्रतिवेदन जाना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद पंकज जी, बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री जितेन्द्र सिंह तोमर जी, श्री मदन लाल जी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत सरकारी आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। प्रस्ताव करें।

प्रतिवेदन पर सहमति

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ये सदन दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को सदन में प्रस्तुत सरकारी आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जी, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय गृह मंत्री, कार्य सूची में दर्शाए गए अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की हिंदी–अंग्रेजी प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, जो अभी सोमनाथ जी ने वो मुद्दा उठाया, पहले वो माँग रहे हैं, उसके ऊपर, दो मिनट मैं उसके ऊपर बोल देता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो।

माननीय अध्यक्षः हाँ–हाँ।

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, संत गोपाल दास जी का दिल्ली के एम्स से इतने लम्बे अनशन के बाद और उनका इलाज जो चल रहा था, इस तरह से गायब होना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो सोमनाथ जी

ने बात कही केंद्र सरकार भाजपा की, एम्स भाजपा का, दिल्ली पुलिस भाजपा की और जहाँ पर कह रहे हैं छोड़ा है, वो राज्य भी भाजपा का। अब आपके मोबाइल तक तो उनके हाथ में हैं, मतलब आज का आप ऑर्डर देखिएगा, आप मोबाइल फोन के अंदर किसी को मैसेज भी भेजेंगे, ऑफिशियली 10 एजेंसीज हैं जो उसको डाउनलोड कर सकती हैं। मतलब कुछ भी तो सीक्रेट नहीं है और फिर ये कहते हैं हम ढूँढ नहीं पाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी आदमी को जगा रहे हो, सोते हुए को जगाना बड़ा आसान होता है, पर जो ड्रामा कर रहा है सोने का, उसको जितना मर्जी हाथ भी लगाते रहो, उसको पता ही नहीं लगेगा। तो सोते को जगाना आसान है, जागते को जगाना मुश्किल है। मेरा ये कहना है कि सोमनाथ जी का ये कहना है कि ढूंढ़ें। अरे! ढूंढ़ें तो वो जिसको पता ना हो। उनको तो पता है कि वो कहाँ पर हैं, या नहीं हैं। जब केंद्र सरकार को पता है कि कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं है, तो ढूंढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को एक ऐसे संत जिन्होंने गंगा को बचाने के लिए अपनी जान पूरी अनशन करके अपनी जान जोखिम में डाली, उनको इस तरह से, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है और इसके प्रति सरकार को संजीदगी रखनी चाहिए और पूरे देश को बताएँ कि वो इस टाइम कहाँ पर है।

सदन पटल पर प्रस्तुत दस्तावेज

अध्यक्ष महोदय, दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक–6 में दर्शाए गए अपने विभागों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।[1]

---

[1] पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–20431–20434. पर उपलब्ध।

1. अधिसूचना संख्या एफ/9/87/2018/एच.क्यू/5980 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 तथा अनुवर्ती अनुशेष दिनांक 05 नवम्बर, 2018 के तहत अधिसूचित दिल्ली कारागार नियम, 2018 की अंग्रेजी प्रतियाँ।

2. अधिसूचना संख्या एफ/9/87/2018/एच.जी/भाग–II/6894–99 दिनांक 12 नवम्बर, 2018 के तहत अधिसूचित

दिल्ली कारागार नियम, 2018 में शुद्धिपत्र की अंग्रेजी प्रतियाँ।

3. इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड का वित्त वर्ष 2016–17 से संबंधित 16वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा कम्पनी के

16वें वार्षिक प्रतिवेदन का सारांश (अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी एवं उर्दू प्रतियाँ)

4. प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2016–17 से संबंधित 16वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा कम्पनी के 16वें वार्षिक प्रतिवेदन का सारांश (अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी एवं उर्दू प्रतियाँ)[2]

माननीय अध्यक्षः अब सौरभ भारद्वाज जी द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को प्रारम्भ चर्चा में सदस्य भाग लेंगे। 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों के पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित करना तथा इन दंगों को भड़काने में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को सजा दिलवाना। श्री जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधान सभा में बोलने का मौका दिया। सर, विषय बड़ी संजीदगी वाला है अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे... पहले ही मैं आपसे से माफी माँग रहा हूँ। सर, किसी भी देश की मान्यता तब दी जाती है जब उसका कानून लागू किया जाता है, संविधान

लागू किया जाता है। और हमारे संविधान का सबसे मजबूत स्तम्भ जो है, हमारी न्याय पालिका है, या किसी भी देश की जो स्तम्भ है, वो उसका कांस्टिट्यूशन होता है और अगर मैं बात करूं 1984 सिक्ख कत्लेआम की तो आज 34 साल बाद एक केस में जो है, कन्विक्ट किया गया। दुःख जरूर लगता है कि इतनी देर लगी।

फिर भी एक सिम्बॉलिक इसको मान लिया जाए कि चलो इतनी देर बाद सही, कुछ तो हुआ है। लेकिन अगर पहले कहा जाता था कि सीबीआई जो है, कॉग्रेस का तोता है और कहीं न कहीं न्यापालिका पे भी बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया ताकि इनको 17 कमिशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी कोई फैसला नहीं दे पाई वो और 17 कमिशंस की रिपोर्ट जो दी गई, वो किसी आम इंसानों ने नहीं दी। उसमें बड़े–बड़े देश के दिग्गज लोग थे जिन्होंने इस कमिशन्स पे रिपोर्ट दी। अगर ये फैसला समय से आया होता तो कल सौरभ भारद्वाज ने जिस बात को कहा कि अगर 1984 का टाईम से फैसला हो जाता तो महाराष्ट्र में 1991 में दंगे हुए थे, 2002 में गुजरात में हुए थे, हँस रहे हैं आप। और 2014 में मुज्जफरनगर में हुए थे, 2018 में अभी बागपत में हुए हैं, ये शायद ना होते, बुलंदशहर... मैं माफी चाहता हूँ। कल सौरभ जी ने बड़े अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को निकाल के बताया कि किस तरीके से ये हुआ, मैं आज इस भरी विधान सभा में दुबारा से कुछ चीजों पे रोशनी डालना चाहूँगा क्योंकि शायद उस वक्त कुछ लोग दिल्ली में थे या नहीं थे। हमारे सिरसा जी भी शायद सिरसा में होंगे उस वक्त। तो आज इनको दर्द थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि शायद जो अकाली दल है, जिसकी नुमाइंदगी ये करते हैं, अकाली दल (बादल) वो भी कुछ नहीं कर पाया, 34 साल से। उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई और बादल साहब बहुत बार दिल्ली में

आए लेकिन शायद किसी विधवा के घर में जाके उन्होंने ये नहीं पूछा कि बहन, तेरा क्या हाल है। सर, कल रात को एक किताब मैं पढ़ रहा था जिसमें कि ये बताया गया कि जब ये कत्लेआम चल रहा था तो जो मॉब है, वो जंग पुरा में आगे चलते–चलते एक अस्पताल के आगे रुक गया, क्योंकि उनको बताया गया कि इस अस्पताल में एक सिक्ख औरत है जिसके अभी बच्चा होने वाला है और वो वहीं खड़े हो गए और कहते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, लड़की हो जाएगी तो छोड़ देंगे इसको बाद में देख लेंगे, लड़का होगा तो इस सॉप के बच्चे को अभी खत्म करके जाएँगे। एक घंटे बाद जब डिलीवरी हुई तो लड़का हुआ। उसकी बदनसीबी ये रही उस बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को दिवार पे जोर से फेंक के मारा गया और पैदा हुए बच्चे ने भी इस कत्लेआम में शहादत दी है। कैसी मानसिकता रही होगी, कैसा स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा! एक बच्चा, उस बच्चे का क्या कसूर था, वो तो अभी दुनिया का मुँह भी नहीं देख पाया। उसको भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा और हजारों लोगों को मारा गया, ऑफिशियली लिखा जाता है कि 2733 लोग जो है इस कत्लेआम में मारे गए। ये झूठ है जी, ये सरासर झूठ है। कम से कम 5 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या दिल्ली में हुई थी जिनकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई और बाद में अगर हम कहते हैं कि एक अर्थक्वैक आया है जो लोग उसमें घायल हो जाते हैं, तो वो भी उस डिजास्टर में काउंट होते हैं अगर वहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं, वो धीरे–धीरे करके जो मरते चले गए, वो भी इस कत्लेआम में गिना जाएगा। एक बच्चा अपने घर में अकेला रह रहा होता है। उसकी माता जो थी, इस सरकार की सेवा में लगी हुई थी, अस्पताल के अंदर काम करती थी और उसके पिता उस परवरदिगार को, उस परमात्मा को इतना मानते थे कि रोज उसके दर पे जाके सजदा करते थे, उन्होंने उस पिता को भी

नहीं छोड़ा। उस पिता के सर पे भी इतने सारे लोगों ने हमला किया, रॉड मारी, कम से कम वो डेढ़ महीने तक वो उस फियर फैक्टर के ट्रॉमा में रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। 12 दिन तक तो घर वालों को नहीं पता चला, वो पिता गया कहाँ? उनको ढूँढ़ते रहे, हर थाने में जाके जो बाद में बची–खुची लाशें जो मॉर्चरी में पड़ी हुई थी, जो बदबू मार रही थी, उस माँ ने जाके देखी, उन कपड़ों को जो ढ़ेर इकट्ठा किया गया था, वो पाँच हजार सिक्खों के कपड़ों में, जा–जा के थानों में वो अपने बच्चे के साथ देख रही कि ये कपड़ों में देखो कहीं पिता जी कि कोई कमीज हो, कोई पैंट हो। लेकिन कहीं नहीं मिल रहे थे कपड़े। एक थाने से एक सिपाही आता है और वो जब कपड़े लेके आता है, वो कहता है कि ये आपके हैं क्या? वो कपड़े हम लोग पहचान लेते है और पता चलता है वो हमारे पिता के कपड़े थे और जब हम उनसे मिलने गए तो वो हमसे भी डर रहे थे कि मुझे मार ना दें। ये वो बच्चा आपके सामने खड़ा है। उस वक्त शायद मेरी उम्र 13 या 12 साल की रही होगी। बहुत नाइंसाफी हुई है इस देश में। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये काला दाग है, सुप्रीम कोर्ट लखनऊ में कई केसेज अपने आप उठा लेती है और उनके फैसले कर देती है, कहती है कि ये जनहित में जरूरी था। क्या वो पाँच हजार लोग जनहित में जरूरी नहीं थे, उनके बच्चे, उनकी विधवाएँ, वो जरूरी नहीं थे। इतने लोगों ने शहादत दी। आज आजादी में 86 परसेंट सिक्खों का हाथ है, आज भी आप आर्मी में जाके देखें कितनी सिक्ख रैजीमेंटस हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को नहीं गवारा और उन सरकारों ने 10 साल तक ऐसा डर बनाके रखा कि कोई भी सिक्ख आवाज उठाएगा, उसको आतंकवादी या उग्रवादी करार देके, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, टाडा का केस लगा दिया जाएगा। उसको इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि उससे साइन करा लिए

जाते थे, इसपे असलाह मिला है, इसके पास खंजर मिला है, इसके पास बंदूक मिली है। 10 साल तक ये आवाज नहीं उठ पाई। 1995 में बाद... 1995 में पहली बार जो है इसके लिए प्रोटैस्ट हुआ। मैं भी डर गया था, हम लोग भी डरते थे क्योंकि वहाँ से आवाज आती थी कि हरीनगर में एक सिक्ख ने आवाज उठाने की कोशिश की, उसको पुलिस रात को उठा के ले गई, इतना मारा, इतना मारा उसके नाखून उतार लिए गए और उस पर केस दर्ज कर दिए गए, इस तरीके से ये सब किया।

पटेल नगर में मुझे याद है, जब हम लोग रहते थे। तो छत से शादीपुर डिपो का पुल दिखाई देता था। वहाँ पर लोग मारूति में बैठे हुए हैं और लोग उनके शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आग से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गाड़ी जल नहीं रही। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ एसएचओ था गरीबदास जो कि शादीपुर डिपो थाने का एसएचओ था। उसने कहा, ''गाड़ी सीधी कभी नहीं जलेगी, इसको उल्टा कर दो।'' वो कहता जी, ''अंदर मर जायेंगे।'' कह रहा है, ''कोई बात नहीं उल्टा कर दो।'' जो अंदर थे, वे अंदर ही मर गये और उस गाड़ी को उल्टे करके उसमें आग लगा दी गई। एसीपी शर्मा इन्वॉल्व था इसके अंदर। ये बहुत उस वक्त गाड़ियों को जलाना और सबसे हैरानगी की बात ये है कि पूरी दिल्ली में जब अब मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में; कत्लेआम के बारे में, हर जगह पे रोड, हर जगह पे वो सफेद पाउडर है, हर जगह पे पुराने टायर डाले गये, हर जगह पे मिट्टी का तेल यूज किया गया।

और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मोबाइल पे वाट्सअप हो जाता है। न उस वक्त मोबाइल होता था और किसी–किसी के घर एमटीएनएल का फोन लगा होता था। एकदम पूरी दिल्ली में रॉडें पहुँच गई, एकदम पूरी दिल्ली में वो सफेद

पाउडर पहुँच गया। जहाँ पर मेरे भाई... ये आज आये नहीं हैं। यहाँ पर 32 ब्लॉक में 400 घरों में से सिक्खों को निकाल–निकाल के जला के मार दिया गया। त्रिलोकपुरी में, राजू धिंगान के यहाँ। राजनगर में वो ट्रक आया था। मुझे... अभी किसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है कि जिसको सज्जन कुमार लेके आया था। सौरभ ने बिल्कुल सही नाम दिया कि दुर्जन कुमार है वो, सज्जन कुमार तो गुरूनानक देव जी के टाइम पे एक सज्जन ठग था, वो ठग का भी वो राक्षस है। मैं कह रहा हूँ शैतान भी डर जाता होगा ऐसे आदमी से जो कि ट्रक भरके रॉडें लेके आया। किसी पुल की रॉडें थीं वो, पूरी दिल्ली में बांटी गई। 12 बजे के करीब एक नवंबर को रोहतक से एक ट्रेन आती है जिसके अंदर 10 हजार लोग होते हैं जिनके पास मिट्टी का तेल होता है, सफेद पाउडर होता है। ये नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है और कई गवाहों ने इसको माना है। बताया है कि ऐसे ट्रेन आयी थी ये। इस तरीके से और वो लोग उतरते हैं। और वो 10 हजार लोग पूरी दिल्ली में सिक्ख नर–संहार करते हैं। हर जगह पे जाके फैल जाते हैं। डीटीसी बसों का यूज़ किया जाता है और दुःख की बात ये है कि 34 साल इस चीज को जब लग जाते हैं तो कहीं न कहीं सिरसा जी, आज ही आपको अकाली दल से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि बादल सरकार का.... मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि वहाँ पर दर्शन कौर को गुरूद्वारा कमिटी का आफिस, जहाँ माता सुंदरी कालेज में पहले था, वहाँ उसको मारा गया और उस ड्राइवर का नाम तक लिखा हुआ है। अवतार सिंह हेत, उसकी तब नुमाइन्दगी कर रहे थे गुरूद्वारा कमिटी की और जिसमें जसवीर सिंह शायद ड्राइवर था और एक आदमी और उनको मारता है कि अपना बयान बदल ले। तूने सज्जन कुमार के खिलाफ बयान नहीं देना।

...(व्यवधान)

आत्मा सिंह लंबाड़ा हाँ जी, बिल्कुल। आत्मा सिंह लंबाड़ा, हाँ वो गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी का मेम्बर आज ही उसको निकाल दीजिए जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, सभी न बोलिये प्लीज।

श्री जगदीप सिंहः ये तीनों लोग जो हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हुई और इनको जेल में भी बंद किया गया। क्योंकि इन्होंने उस औरत के ऊपर हाथ उठाया था, उसको बयान बदलने के लिए कहा गया था बाद में। मजे की बात है कि चौकी के अंदर उसको 15 लाख रूपया ऑफर किए जाते हैं, वो उसको मना कर देती है, अपना बयान बदलने को। ये सब चीजें सिक्खों ने छाती पे हंडाई हैं। आज तिलक नगर में चले जायें आप। वहाँ के ब्लॉक तिलक विहार ब्लॉक की दीवारें तक रोती हैं। उन बीबियों से मिलके देखें आप, कितनी तकलीफ है उनको। आज जब मेरी माँ जब नीचे सुन नहीं सकती वो, लेकिन जब टीवी के नीचे सब टाईटल पढ़ती है वो 1984 तो आंखें गड़ाये वो टीवी पे बैठ जाती है कि शायद कुछ होने वाला है। मेरा आज आपसे निवेदन है कि हम यहाँ से एक ऐसा मजबूत रेजल्यूशन पास करके भेजें। मैं आपसे भी कहूँगा कि 13 साल आप लोगों की भी सरकार रही अब अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत जगा लो नहीं तो ये हिन्दुस्तान की जनता ही किसी दिन तुम्हें मार देगी। तुम्हारे घर में भी ऐसे होगा। आज वो बच्चा जो मरा था ना दीवार में टकरा के, उसकी हाय लगेगी अगर आज आपने इस रेजल्यूशन में साथ में खड़े होके साथ नहीं दिया कि एक ऐसी कोर्ट तैयार कर देनी चाहिए जो उस जज को ये ऑर्डर कर देने चाहिए कि जो सारे केसेज जो पैंडिंग हैं, उन केसेज पे सिर्फ वो सुनवाई करें और इमीडियेटली एक साल के अंदर सारे केसेज के ऊपर जिनको बिहाइंड द बार्स जाना चाहिए, उनको भेजा जाये

और ये 34 साल से जो लटका हुआ, ये लोगों की उम्मीदें हैं जो इंसाफ की गुहार लगा के बैठी हैं, जो विधवायें बहनें बैठी हैं, जो बच्चे आज भी वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ होगा, वो जज जो है एक इतिहास कायम करें इस हिन्दुस्तान की धरती पे। एक ऐसा रेजल्यूशन पास करें। मैं अपने विधायकगण जितने हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खड़े होके ऐसे रेज़ल्यूशन के लिए एक बार जरूर बोलें सब लोग।

माननीय अध्यक्षः अभी रेजल्यूशन आने दो, तब करेंगे उसको। रेजल्यूशन आने दो।

श्री जगदीप सिंहः विजेन्द्र गुप्ता जी, आप भी सर।

माननीय अध्यक्षः रेजल्यूशन आने दीजिए।

श्री जगदीप सिंहः आप खड़े तो हों मेरा...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दोनों गायब हैं। आपके दोनों नेता गायब हैं, उनको भी याद करूँगा।

श्री जगदीप सिंहः सर, अभी आ जाएँगे वो लोग भी।

श्री जगदीप सिंहः आप हमेशा कमियाँ निकालते रहना।

माननीय अध्यक्षः टी ब्रेक, आधा घंटे के लिए टी ब्रेक प्लीज।

(सदन की कार्यवाही आधे घण्टे चायकाल के लिए स्थगित की गयी।)

सदन अपराह्न 3:20 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान सिरसा जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने मेरे को 1984 के कत्लेआम के ऊपर हाउस में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, हम 34 सालों से ये सुनते आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग है जिन्होंने इस कत्लेआम को बहुत नजदीक से देखा। 31 अक्टूबर 1984 को तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कत्लेआम के बाद दिल्ली की सड़कों के ऊपर एक नारा लगना शुरू हुआ – 'इंदिरा हमारी माँ है, सिक्ख ने उसको मारा है, सिक्ख हमारे गद्दार हैं, हमारी माँ के कातिलों को मारो।' और ये ऐसी शुरूआत नहीं थी कि कोई कुछ लोगों ने चुने–मुने लोगों ने अपने मन में बना लिया। इसके लिए बाकायदा पहले देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के घर पर इसके लिए बैठकर साजिश रची गई। ये कहा गया उसके द्वारा कि मेरे माँ को इन्होंने मारा है। इनसे बदला लो और सिक्खों को खत्म कर दो। 31 तारीख शाम तक ये संदेश पहुँचना शुरू हो जाता है और ये तय किया जाता है प्रधानमंत्री के घर पर बैठकर कि अगर इन सिक्खों को पूरी तरह खत्म करना है तो फिर सरकार साथ दे। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट दी गई, केमिकल दिए गए। बहुत सारे लोग सरकार के, तब के साथ लगे। शायद आपके भी ध्यान में होगा देश के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉ. मनमोहन सिंह जी, उनकी बेटी अशोक विहार में रहती थी। उनके दामाद नॉन–सिक्ख थे। उनकी बेटी के घर के बाहर भी क्रॉस लग गया था। जब दंगाई वहाँ पर उनको आग लगाने के लिए घर पर पहुँचते हैं तो उनके दामाद बाहर आकर कहते हैं कि घर मेरा है। वो कहते हैं हमारी लिस्ट में तो ये घर सरदार का

है। कहते नहीं, ये घर मेरा है। अब देखिए कि सरकार ने केवल ये तय नहीं किया कि हमें मरवाना है। सरकार ने ये भी तय किया कि मरवाना किस तरह से है, किस तरह से इनको आग लगाई जाएगी। अध्यक्ष जी, जो अभी रीसेंट जजमेंट आई, उसमें जो जज साहब ने कहा, माननीय जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल जी ने यहाँ तक कहा कि ये नीति अपनाई गई थी कि इनके परिवार के मुखिया को घर के आदमियों को मर्दों को बाहर निकाला जाए, उनको आग लगाई जाए फिर इनके घर तबाह किए जाएँ और ये जिंदगी भर कभी उठ न पाएँ ऐसा कत्लेआम किया जाए। ऐसा–ऐसा मंजर अभी मेरे भाई जगदीप जी ने अपना बताया। ये ठीक कह रहे थे, मैं दिल्ली में नहीं था। पर अध्यक्ष जी, जहाँ मैं था, सिरसा में था तो वहाँ भी यही हुआ था। बाजार में आग लगाई जा रही थी और मैं भी 11 साल की उम्र में अपने स्कूल से बाहर निकलकर टीचर के पास ट्यूशन के लिए गया हुआ था। मेरे मैथ्स का टीचर जो था, जब उसके बाजार में वो रहते थे, मैं उनके घर पर पढ़ने के लिए गया हुआ था। जब ये सारी आगजनी शुरू हुई तो उन्होंने मुझे अपने घर के पीछे एक चक्की के अंदर एक बाथरूम में छुपाकर रखा। शाम को मेरे माता जी और पिताजी और लोग पहुँचे मुझे निकाला। पर मैं किस्मत वाला था, निकल आया। बहुत बदकिस्मती थी जो बच न पाए। ऐसे–ऐसे कत्लेआम हुआ। अभी आपने देखा जो पटियाला हाउस में यशपाल और दो लोगों को सजा दी। उस केस के अन्दर जब उस परिवार के जिसने अपनी आँखों के सामने अपने भाई को मरते देखा, तो उससे पूछा गया। सरकारी वकील ने कहा कि इनको जज साहब ने पूछा, इनको मुआवजा कितना मिलना चाहिए। सरकारी वकील ने कहा, ''जी 10 लाख मुआवजा ठीक है।'' उससे पूछा गया कि आपको लगता है, कितना मुआवजा आपको मिलना चाहिए तो क्या बोलता है? कह रहा

है जज साहब मुझको मुआवजा नहीं चाहिए? ये मेरी दुकान से उधार माल लेके जाते थे इनको मैं ब्रेड दिया करता था। इन बच्चों, इनके बच्चों को खाने के लिए मैं सामान दिया करता था। अरे यार! तूने मेरे को मेरे भाई को, मेरे बाप को आग लगा दी। मेरे सामने इनको फाँसी दो। मुझे 10 लाख नहीं चाहिए और अध्यक्ष जी, वो इतने गरीब थे कि शाम को अपने घर जाके कीर्तन करने वाले, इतने परिवार से आर्थिक तौर पर इतने कमजोर हैं कि एक भी दिन अपना कीर्तन मिस नहीं कर सकते। इतने गरीब इंसान के मन के अन्दर भी इस बात का दर्द है, 'मुझे ये 10 लाख नहीं, इन लोगों को फाँसी चाहिए। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, एच. के.एल. भगत, शास्त्री अनेकों ऐसे लोग थे, इनमें होड़ लगी थी कि बड़ा कांग्रेसी कौन है। हम बताएँगे राजीव गांधी को, हम तेरे भाई हैं, हम तेरे लिए अपनी माँ के लिए ज्यादा लोगों को मारेंगे। अभी सागर पुर की बात कर रहे थे हमारे भाई, इनके कॉस्टिट्यूएंसी में है।

अध्यक्ष जी वहाँ पे एक आदमी तीन दिन तक जलता रहा वो बार बार जलता था। उसके ऊपर पानी डालके आते थे लोग फिर वो आके आग लगाते थे तीन दिन तक जलता रहा। आखिर कार उसकी औरत ने और एक आदमी ने जाके कहा कि अब इसको आग लगा दो उसपे रजाई डालके उसको जिंदे को लगाना पड़ा। इतना तड़पा, तीन दिन तक सड़क पे तड़पता रहा किसी ने उठाया नहीं। अभी जगदीप जी ने एक बात सही कही थी कि ठीक है, हम इस देश के वासी हैं। हमने इस देश के लिए लड़ाईयाँ लड़ी। पर एक ये सच्चाई है ये हम सबको माननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तब भी होता था। सुप्रीम कोर्ट ने चार दिन तक ये कोर्टें बंद रहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक भी सु–मोटो वो नोटिस नहीं लिया।

अध्यक्ष जी, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया होता। 2002 में ये कत्लेआम हुआ, उसके लिए सुमोटो लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईटी बनाई। लेकिन उसके लिए किसी ने सुमोटो नहीं लिया। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर के के.पी.एस तुलसी, एडवोकेट भी हैं लीडिंग लॉयर हैं। अभी चार दिन पहले अगर आपने भी शायद सुना हो वो टीवी पे, खुद ही ये एडमिट कर रहे थे कि कत्लेआम के बाद जो कमिशन बने, उन कमिशन के आगे जो ऐफिडेविट देने जाता था, उनको वहाँ से उठा के ले जाते थे। ऐफिडेविट तक नहीं देने देते थे। हाईकोर्ट को अपनी जजमैंट में भी ये लिखना पड़ा। अध्यक्ष जी कभी किसी ने ऐसी कल्पना करी होगी! हमें झुंड में इकट्ठा करके, झुंड हमारे पे आग लगाएगा, गले में टायर डालेगा और फिर कहेगा, ''देखा, सरदार डांस कैसे करता है।'' यार! वो इंसान कैसे थे! वो इंसान नहीं हैवान थे! पर मैं आज भी अपने परिवार के सब बैठता हूँ, मैं किसी के साथ ये चर्चा करता हूँ, मैं खुद सोचने को और समझने को मजबूर हो जाता हूँ, किसी इंसान के अन्दर ऐसी हैवानियत कैसे भरी जा सकती है कि वो किसी पार्टी के नाम से, किसी धर्म के नाम से दूसरों को जिंदा जला दे। जैसे अभी बताया, बच्चों को जिंदा जलाया गया। छोटे–छोटे बच्चों को उठाके दीवारों पे फेंका गया, आग में फेंका गया। ये जगदीश कौर बिल्कुल 2002 में भी किसी भी... मैं 2002 की बात हो या उसके बाद की बात हो या हिन्दू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, देखिए अगर एक भी इंसान मरता है, मेरे भाइयो, एक भी इंसान, किसी एक भी माँ का बेटा मरता है और उसको धर्म के नाम पे मारा जाता है, वो कोई भी हो, न उस सरकार को बख्शा जा सकता है, न उस पार्टी को बख्शा जा सकता है।

एक बात मैं आपके सामने बिल्कुल समक्ष कहना चाहता हूँ, इंसान—इंसान है। इंसान की कीमत पार्टियों के साथ तोली नहीं जा सकती। इंसान की कीमत सरकारों के साथ बढ़ और कम नहीं हो सकती। कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, हमारे सबके अन्दर वो दर्द है, हमने अपने को मरते देखा है। हमने अपनी आँखों के सामने उन लोगों को रोते देखा है जिनको इंसाफ नहीं मिला। अध्यक्ष जी, इंसाफ तो छोड़िए, जो मैं आपको बताना चाहता था। यार! ये सरकार और ये पार्टी कितनी गिर गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी को मारा था। अरे! तो मारने वाले इंदिरा गांधी को वो कातिल थे। वो कातिल थे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई नहीं थे। वो कातिल थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, इंदिरा गांधी के कत्ल की उनको सजाए मौत मिल गई। हमारा क्या दोष था? इस पार्टी ने... ऐसा जहर था इन लोगों के अन्दर, ऐसा विष मैंने कभी नहीं देखा। आप बाताइए, पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अन्दर अगर आप जर्मन में हिटलर को भूल जाएँ तो दूसरी और कोई घटना पूरी दुनिया में ऐसी नहीं घटी, जो मॉडर्न हिस्ट्री के अन्दर पढ़ाई जा सकती हो। जिसके अन्दर हजारों लोगों को एक धर्म के पर्टिकुलर लोगों को... तब हमें ये नहीं देखा गया कि ये सिक्ख जो है कांग्रेस से है, ये सिक्ख भाजपा से है। मैं पत्र पढ़ रहा था... खान साहब, फातिमा थी आपके वहाँ पे। मैं नाम फातिमा का भूल रहा हूँ। उस औरत को आग लगाई गई। हमारे रकाबगंज में उसका नाम लिखा हुआ है। क्यों लगाई गई क्योंकि उसने आगे खड़े होके दो सिक्ख बच्चों को बचाने की कोशिश की। वो कहती है, ''मेरी बेटी की तरह ये भी, मेरे को आग लगा दे। ये मेरे बच्चे हैं।'' तो क्या किया? उसको लगा दी, आग! हिन्दू परिवारों के लोगों के केवल इस लिए मारा गया क्योंकि उन्होंने हमें बचाने की कोशिश की और यहाँ नहीं रुकी कांग्रेस, अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया के अन्दर केवल ये दिल्ली ऐसी है जहाँ

पे विधवा कालोनी के नाम से कालोनियाँ हैं। ये जरनैल हमारा बैठा है, इसके इलाके में पड़ती है। मेरे इलाके में दो, तिलक विहार में, मादी पुर में। कभी आपने सुना है कि विधवा कालोनी के नाम से कोई कालोनी बन जाए और कहाँ बनाई गई वो कालोनियाँ? मैं कहता हूँ, नीचता की हद ही पार कर दी इस पार्टी ने। कितनी नीच हो सकती है कोई। कालोनियाँ बनाई गई जहाँ पे सज्जन कुमार, एच.के. एल के घर थे, वहाँ पे बनाई गई ताकि जिंदगी भर ये उठ ना पाएँ। मादी पुर सज्जन कुमार के वहाँ बनाई गई। पीरा गढ़ी चौक में सज्जन कुमार के घर के पास बसाया गया। इसलिए बसाया गया ताकि ये कभी जिंदगी में वापिस खड़े न हो सकें, वापिस में आके इंसाफ न माँग सकें। फिर यहाँ भी नहीं रुकी इसकी कमियाँ। इतना कोई इंसान कैसे गिर सकता है? यहाँ भी नहीं रुके अध्यक्ष जी, फिर वहाँ नशे बिकवाने शुरू किए। उन बच्चों के माँओं के बच्चे थे, छोटे–छोटे, उनको मुफ्त नशे पे लगाना शुरू किया। शायद ये दर्द हमारा कभी समझ नहीं पा रहा।

अभी मेरे भाई ने यहाँ कहा, किस तरह से वो जो विटनेस हैं, फिर वो विटनेस भी हमारी तरह ही इंसान हैं। वो कोई अलग नहीं हैं हमसे। उनके घर वाले छीन लिए, उनके बच्चे छीन लिए, आर्थिक तौर पर उनको खत्म कर दिया है। बेचारों के पास नौकरी नहीं, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने... मैं कल पढ़ रहा था, परसों अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में जब सज्जन कुमार को सजा मिली तो एक आर्टिकल छपा था। एक स्टोरी छपी थी। उस स्टोरी में उन्होंने त्रिलोकपुरी की एक बेटी ने अपनी बात, एक औरत ने अपनी बात को बताते हुए कहा, ''हम इस कत्लेआम के लिए कुछ नहीं कर पाए, हम नहीं लड़ पाए। लेकिन हम उन माताओं को सलाम करते हैं जिन्होंने सिक्खों की गिरी हुई पगड़ी को वापस सिर के ऊपर रखा है। जगदीश कौर जैसी लोग, जगशेर सिंह

जैसे लोग, मनप्रीत कौर जैसे लोग, ये सिक्खों के साथ तीसरा घल्लूघारा था और हमने अध्यक्ष जी, हमेशा उन चीजों का जवाब दिया है। हमें अकेला–अकेला करके कई बार मारने की कोशिश की है। लेकिन सिक्ख ने अभी अपनी उस बात को, उस परमात्मा ने जो उसको ताकत दी है, हमने हमेशा उस लड़ाई का जवाब दिया है। हमें जिंदगी भर मलाल रहता, अगर हम इस लड़ाई का जवाब न दे पाते।

आज सज्जन कुमार गया है। छोड़ेंगे हम जगदीश टाइटलर को भी नहीं। और छोड़ेंगे इस कमलनाथ को भी नहीं। हमें 34 साल लगे इंसाफ लेने में। बहुत सारे भाई पूछ रहे, ''34 साल क्यों लगे।'' अध्यक्ष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको 34 साल हमें क्यों लगे। जितने केसों में अध्यक्ष जी, सजा हुई है, जितने भी केसों में आप सुनकर ये बहुत हैरान होंगे, चौकेंगे इस बात को सुनकर, कुछ मेरे भाइयों को जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ, सारे केसेज बंद कर दिए गए थे। अध्यक्ष जी, हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा। ये जो अभी जज साहब ने जजमैंट दी, 'This was an extraordinary case, where it was going to be impossible to proceed against A1… A1 *yahan pe sajjan kumar hai.* In the normal scheme of things because their appear to be ongoing large scale efforts to suppress the cases against him but not even recording or registering them, even if they were registered, they were not investigated and even the investigation which was in progress was not carried to the logical end.'

मुकद्दमें दर्ज नहीं किए गए, किए गए तो इंवेस्टिगेट नहीं किए गए। अगर इंवेस्टिगेट किए गए तो कभी उनकी लॉजिक्ल एण्ड पर नहीं पहुंचाया गया। जज साहब ने यहाँ तक कहा, अब देखिए, अगर जज साहब को ये कहना पड़े, कहते हैं 'The statement among the circumstances established the apathy of Delhi Police.

*Ye Delhi Police katilon ki police thi a*nd they were acting in connivance in the brutal murder with the perpetrators.

ये लोग, पुलिस के लोग वर्दी में हमें मारने का काम कर रहे थे। भाटी जैसे एस.एच.ओ. एक अभी जगदीप जी नाम बता रहे थे मैं नाम भूल गया जगदीप जी, जिसका नाम ले रहे थे शर्मा.... गरीब दास जो...

अध्यक्ष जी, मैं एक बात और आपको जरूर इसमें... क्योंकि 34 साल हमें क्यों लगे? 'The comment to the instance of mass crime are targeting of the minorities and attacks sphereheaded by the dominant political actors facilitated by the law enforcement agencies.'

ये जो डोमिनेंट पार्टी थी। ये उसके एक्टर थे। सज्जन कुमार, जगदीश टाईटलर, एच.के.एल. भगत जैसे उनके एक्टर थे जो तब की डॉमिनेन्ट पार्टी थी कांग्रेस। कोई और नही करा रहा था और यहाँ तक कहते हैं, 'The criminals responsible for the mass crimes have enjoyed the political patronage and manged to evade prosecution and punishment.' जज साहब ये कहें। हाईकोर्ट को 34 साल बाद ये कहना पड़े कि ये अब तक वेट करते रहे, ये जेलों से बचते रहे। ये प्रॉसिक्यूशन से बचते रहे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो थी, ये उसके एक्टर थे। अध्यक्ष जी, चार केसों में अब तक सजा–ए–मौत हुई। आप ये भी सुनकर हैरान होंगे। चारों केसों को बाद में सजा–ए–मौत वालों को उम्र कैद में और तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने बकायदा लिखित में दिया, त्रिलोकपुरी का बूच्चर जो एक... आदमियों को उसने बूच्चर की तरह क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, जो कसाई, कसाईयों की तरह जिसने काटा था और शीला जी ने क्या लिखकर कहा उसके लिए? इसका किरदार बहुत अच्छा है, इसको छोड़ दिया जाए। बदली

नहीं कांग्रेस की 34 साल में मानसिकता! अगर राजीव गांधी की मानसिकता थी। अगर इन्दिरा की मानसिकता थी तो क्या इन्दिरा के बाद राजीव की, राजीव के बाद सोनिया की और सोनिया के बाद राहुल की बदली? नहीं बदली किसी की मानसिकता। कांग्रेस की मानसिकता आज भी सिक्खों के साथ दुश्मनी की है। हर वो कोशिश करता है। मुझे राहुल गांधी का बयान नहीं भूलता। जब उसने कहा था जब मेरी दादी मरी थी तो मुझे बहुत दुःख हुआ था। आज भी जब मुझे मेरी दादी की बात याद आती है तो मुझे दुःख आता है। तेरी दादी को मारने वालों का तो केस क्लोज हो गया। उनको तो फांसी पर लटका दिया। पर ये जो आठ हजार लोग थे। इनका तो तुमने कभी हाल नहीं पूछा। ये कैसी पार्टी है देश के अन्दर! जो किसी भी आज तक कत्लेआम के बाद सजा मिलने पर प्रेस कांफ्रेंस नहीं करती। किसी भी सजा मिलने के बाद अपना मुँह नहीं खोलती। आज तक 1984 के कत्लेआम का हिसाब लेने के लिए सड़क पर नहीं उतरती और भी क्या कहती है, ''हम सिक्खों को इन्साफ दिलाना चाहते हैं।''

अध्यक्ष जी, जो केस की मैं आपको बता रहा था। ये केस बन्द कर दिया था। 2005 के... जैसा हमने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। केस को बन्द कर दिया 1990 में। 1984 में दखल हुआ, 1990 में बन्द कर दिया। 2000 में आके जब नानावती कमिशन कान्स्टीट्यूट होता है, नानावती कमिशन ने डंडा देके सीबीआई से ये केस खुलवाया, डंडा देके। 2005 से अध्यक्ष साहब, ये केस खुला और 2005 से लेके 2013 तक हमें ये ट्रायल कोर्ट में ये लड़ाई लड़नी पड़ी और अध्यक्ष जी, जिस दिन ट्रायल कोर्ट से फैसला आया, आप जरा अगर मेरे तरफ देखें, मैं आपको बताऊँ। जज साहब ने क्या किया अध्यक्ष जी, फैसला पढ़ रहे हैं, जगदीश कौर वहाँ खड़ी है जिसके पिता को, जिसके बेटे को मारा था। अध्यक्ष जी, जो

उसका बेटा था 19 साल का, गोल्ड मेडलिस्ट बेटा था उसका और उसका श्वास नहीं निकल रहा था। वो मर नहीं रहा था। उसका श्वांस नहीं निकल रहे थे। एक माँ अपने बेटे को क्या कहती है? अपनी गोदी में सिर रखके उसको कहती है, ''अब बेटा, तेरा और मेरा नाता आज से खत्म हो गया। उस परमात्मा के पास जा रहे हो।'' उसके मुंह में अमृत डाल के कहती है, ''बेटा, तोड़ अपने साथ मेरा नाता और अपने श्वास छोड़। अब तेरे मेरे साथ नाता नहीं।'' एक मां को अपने बेटे के ऐसे श्वांस निकलवाने पड़े, परमात्मा का नाम लेके। उसके बाद उसका अन्तिम संस्कार न हो पाये तीन दिन तक। अपने घर का फर्नीचर तोड़ा। अपने घर का फर्नीचर तोड़ के अपने पति और अपने बेटे के संस्कार किया जिस माँ ने और तब ये कसम खाई, कुछ भी न रह जाए मेरे पास। पर ये मेरी जो ये पगड़ी उतरी है, इसको मैं सिर के वापस लेके आऊँगी। इसलिए 34 साल लड़ाई लड़ी। 2005 में ये केस बन्द खुलवाया दुबारा। अध्यक्ष जी, जिस दिन जज साहब 2013 में फैसला सुनाते हैं। आधा फैसला... उसके मुँह से फैसला नहीं निकल रहा था क्योंकि अन्त में उसने ये कहना था, सज्जन कुमार बरी हो गया। बाकियों को मैं सजा देता हूँ। अन्दर जहर था। अन्दर वो ये भी था कि मैंने सजा नहीं देनी। पता था सज्जन कुमार कातिल है। क्या करता है वो जज? आधा फैसला सुनाके और कोर्ट से भाग जाता है। भाग जाता है, आपने सुना है कभी। जज फैसला सुनाते कोर्ट छोड़ के भाग जाये और जजमेंट पकड़ा जाता है, ''पढ़ लेना आप।'' जगदीश कौर ने उस जजमेन्ट... उस कोर्ट के अन्दर गिर गयी, बोली, ''मुझे फाँसी दे दो। तुम अगर सज्जन कुमार को सजा नहीं दे सकते। मुझे फांसी दे दो।'' अध्यक्ष जी, उसी केस को हमने 2013 से लेके 2018 तक फिर लड़ा। मैं हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, ये पहला नहीं, जो दूसरा केस है। अध्यक्ष जी, यशपाल और नरेश सहरावत को महिपालपुर में जो सजा हुई।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, ये केस बन्द कर दिया था। मैं एक मिनट और लूँगा अध्यक्ष जी। ये केस बन्द कर दिया था। ये एसआईटी इसी सरकार ने आके दुबारा खोली। एक साल में इन्वेस्टिगेशन हुई है, एक साल में कम्प्लीट कर दी और एक साल में ट्रायल कम्प्लीट की और देश के अन्दर हिस्टोरिकल लॉ पाया। 32 साल बाद दो साल में सजा हो सकती है। दो साल के अन्दर–अन्दर ट्रायल भी कम्प्लीट हुआ और सजा भी हुई। तो फिर 34 साल में क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि हमें कोई इन्साफ देना नहीं चाहता था।

अन्त में अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कमलनाथ का केस आपको पता है। पार्टियों के ऊपर दूषनबाजी लगी। मैं दूषणबाजी में जाना नहीं चाहता। बहुत सारे दोष मेरे भाई कालका ने लगाये। वैसे मैं उनको एक बात बस याद कराना चाहता हूँ। कमलनाथ की विटनेस कोई और नहीं, मुख्तयार सिंह, दिल्ली कमिटी का एम्पलाई था और ये 15 साल उस सज्जन कुमार के कातिलों का साथ देने वाला, टाईटलर को बचाने वाले परमजीत सिंह शर्मा के साथ रहे हैं। 15 साल तक इन्होंने कातिलों को इन्साफ नहीं लेने दिया। अगर 15 साल तक इन्होंने कमिटी में इनको इन्साफ देने की कोशिश की होती, आज ये नौबत नहीं आती। पर मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अध्यक्ष जी, आपके ध्यान में दो बातें लाना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई अवतार जी नहीं, ये विषय बहुत गम्भीर है। नहीं उनको कहने दीजिए, जो कह रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, सब कुछ बोला है इन्होंने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अवतार जी, मेरी बात सुनिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है। जरनैल जी को बोल दीजिए, वो उत्तर देंगे। ये गम्भीर विषय है। सदन में इसको न लें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं अन्त में, अध्यक्ष जी, दो बातें... रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई अमानतुल्लाह जी, प्लीज। अमानतुल्लाह जी, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं पिछले लगातार चार सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूँ। 29/9/2018 को मैंने लिखा, 26/5/2016 को मैंने लिखा, 7/12/2017 को मैंने लिखा, 19/3/2016 को मैंने लिखा। जो विधवा कालोनियाँ हैं, उनको फ्री होल्ड करके, उनको मालिकाना हक उनको देना चाहिए। उनका राइट है। आज तक कुछ नहीं हुआ सरकार की तरफ से।

अध्यक्ष जी, दूसरी बात जब आपने सबको नौकरी की बात कही है। आपने कहा, ''हम 1984 के लोगों को इन्साफ देंगे।'' इन्साफ तो छोड़िए। आप उनको आर्थिक तथ्य पर हर परिवार को एक नौकरी देने की बात की गयी। ये सरकार इतनी बड़ी सरकार है। 1984 के कातिलों के साथ आप खड़े न हों। हम ये तो

आपसे अपील करेंगे पर हम आपसे ये भी तो उम्मीद करते हैं, आप 1984 के पीड़ितों की बात तो सुनें। उन लोगों ने आपको वोट दिया, आपके साथ खड़े हुए हैं। उनके परिवार को एक नौकरी मिले।

माननीय अध्यक्षः अब सिरसा जी, कन्क्लूड करिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए...

माननीय अध्यक्षः बीस मिनट हो गये पूरे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं ये प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। मेरे भाई जगदीप जी ने जो लाये थे प्रस्ताव, मैं ये प्रस्ताव सदन के सामने लाना चाहता हूँ। कांग्रेस सिक्खों की कत्लेआम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस खूनियों की पार्टी है। कोई व्यक्ति खूनी कांग्रेस से सम्बन्ध रखे और 1 नवम्बर, 1984 को काले दिवस के रूप में याद किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं ये आपके सामने ये रेजल्यूशन देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी, सर्वसम्मति से इस रेजल्यूशन को आपके पास भेज रहा हूँ। आप देखिएगा इसको और अध्यक्ष जी, एक बात मैं अपनी कह के समाप्त कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं भाई, ऐसे नहीं सिरसा जी, ये बहुत लम्बा हो गया। कम से कम आधा घण्टा हो गया, ये तो देखिए, बीस मिनट हो गये। पूरे बीस मिनट हो गये। नहीं, अब इतना नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं हो गया, सारी रिक्वेस्ट हो गयी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सरकार को उन लोगों को नौकरियाँ देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः शिवचरण गोयल जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, अध्यक्ष जी, मेरी बात तो कम्पलीट करने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, हो गयी ये बात।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने बात रख दी। एक–एक बात रख दी आपने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं आपने एक–एक बात रख दी। कोई बात आपकी नहीं बची है। मुझे भी सदन चलाना है। चलिए, शिवचरण गोयल जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरी बात सुनिए, मैंने बार–बार मुख्यमंत्री...

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मैं ऐसे हाउस हाईजैक नहीं करने दूँगा। आपको सबसे ज्यादा समय दिया है मैंने।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं ये विधान सभा से रिजाइन दे दूँगा, मैं विधान सभा से रिजाइन दे दूँगा।

माननीय अध्यक्षः आप दे दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः उन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली। उनके घर फ्री–होल्ड नहीं किए गए तो मैं इन हाउस ऑन दि फ्लोर पर कह रहा हूँ। मनजिन्दर सिंह सिरसा अपनी विधान सभा की मेम्बरशिप से रिजाइन कर देगा। मुझे ऐसी मेम्बरशिप नहीं चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी, बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मुझे ऐसा एमएलए नहीं बनना। अध्यक्ष जी, अगर सरकार ने यह नहीं किया तो मैं विधान सभा से रिजाइन कर दूँगा। मेरे पास...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इतना बढ़िया चल रहा था। चलिए जगदीप जी। जगदीप चलिए अन्दर।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम 1984 पर काम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं बोले।

माननीय अध्यक्षः नहीं, बैठ जाइए आप।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसलिए हमारी नौकरियाँ मिलें। हमारे मकान फ्री होल्ड हों।

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये रेजल्यूशन...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बैठ गया मैं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, बैठिए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बैठता हूँ पर मैं रेजल्यूशन पढ़...

माननीय अध्यक्षः नहीं प्लीज बैठिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी, आपकी बारी आएगी, जब बोलिएगा। बैठिए, आप बैठिए।

श्री जगदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इमोशनल होके अपनी बात नहीं पूरी कर पाया था,

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए।

श्री जगदीप सिंहः मेरे को दो बातें कहने दो।

माननीय अध्यक्षः नहीं, जगदीप जी, मैं कोई मौका नहीं दूँगा, प्लीज। आपने जो बात कहनी है जरनैल जी को दीजिए। आपने जो कुछ कहना है, जरनैल जी को दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तो जरनैल जी जवाब देंगे ना। और जवाब नहीं देंगे उनको?

माननीय अध्यक्षः आप उनको लिखके दीजिए। नहीं मैं ऐसे अलाउ नहीं कर रहा हूँ। शिवचरण जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने जो कुछ कहना है, अभी जिनको बोलना है, उनको लिखके दीजिए। शिवचरण गोयल जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी, आप चीफ व्हिप हैं। अपने साथियों को जो कुछ है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा ऐसे। आप बोलते रहिए, मैं अलाउ नहीं करूँगा। आपकी ये चीज ठीक नहीं है। आप अपने साथियों को लिखके क्यों नहीं देते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप लिख के दो उनको। आप लिख के दो उनको भई।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जो जरनैल जी को लिखके दो, जरनैल जी को लिख के दो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये समझ मे नहीं आता, चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे प्लीज। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप जरनैल जी को... नहीं मैं बिलकुल अलाउ नहीं कर रहा हूँ। आप जरनैल जी को लिखके दीजिए। आप चीफ व्हिप हैं। आप उनको लिखके दो जो कुछ है वो बोलेंगे अपने बारे मे। शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने गंभीर विषय पर बोलने दिया। 1 नवंबर भारतीय इतिहास का सबसे भयावह दिन...

माननीय अध्यक्षः भई बातचीत नहीं आपस मे प्लीज।

श्री शिवचरण गोयलः बहुत भयानक घटना थी जब हजारों निर्दोष सिक्खों को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी इतनी गंभीर वार्ता चल रही थी। अभी हमारे विपक्ष के नेता इसका राजनीतिकरण कर रहे थे इसका। ये एक बड़ा... यहाँ कम से कम भी इतने गंभीर मुद्दे पर तो कम से कम हम एक मत रखें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ये उचित नहीं है। 1984 से किसने समझौता किया है? काँग्रेस से समझौता किसने किया?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये क्या बात कर रहे हैं? 1984 से किसने समझौता किया है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, शिव चरण जी, आप अपनी बात रखिए। उनको मत बोलिए। उनको इंगित करके भी मत करिए। समय खराब हो रहा है सदन का।

...(व्यवधान)

श्री शिवचरण गोयलः अध्यक्ष जी, सन् 1984... पूरा सीन मेरी आँखों के सामने दौड़ रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, सोमनाथ जी। अरे भई आपकी बारी आयेगी। आप उनको बोलने दें। सोमनाथ जी ऐसा नहीं, बैठ जाइए आप। सोमनाथ जी, बैठ जाइए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए प्लीज। सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। आपने जो बात रखनी है सीधे बात रखिए। किसी पर इंगित करके मत करिए।

श्री शिव चरण गोयलः अध्यक्ष जी, 1 नवम्बर का सीन...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, ये ठीक नहीं है। सोमनाथ जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सत्ता पक्ष के आदमी हैं। उनको रोने दीजिए, आप बैठिए आराम से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, मैं। जगदीप जी, इनको चुप करवाइये, सोमनाथ जी को चुप करवाइये प्लीज।

श्री शिवचरण गोयलः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई एक सेकण्ड, बैठिए। मैं माननीय विधायकों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यहाँ इतना ये गंभीर विषय है। बहुत से सिक्ख बंधु दर्शक दीर्घा मे बैठे हैं.... शायद इस चर्चा को सुनने के लिए आए थे। मैं आग्रह कर रहा हूँ, सदन को उस ढंग से पेश करें कि इस पर गंभीर चर्चा हुई है। वो तो आपको उकसाएंगे। आप उकसेंगे तो मामला खराब होगा। प्लीज मैं कहना चाह रहा हूँ, शांति से करें।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, हमारे पर आरोप लगा रहे हो आप सीधा।

माननीय अध्यक्षः किस पे?

श्री ओम प्रकाश शर्माः जो बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः अगर जो वो बोल रहे हैं कांग्रेस, कांग्रेस से समझौता करेंगे? नहीं, काँग्रेस से समझौता करेंगे? नहीं, क्या बोला उन्होंने?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, कांग्रेस से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्यों हक नहीं है? पूरा हक है मुझे बोलने का।

श्री ओम प्रकाश शर्माः मिसयूज कर रहे हैं इस सीट का।

माननीय अध्यक्षः सीट का मिसयूज कर रहे हैं! आप जो मर्जी आए बोल लें?

श्री ओम प्रकाश शर्माः वो जो मर्जी बोलेंगे?

माननीय अध्यक्षः आप जब मर्जी आए, बायकाट कर दें सदन का।

श्री ओमप्रकाश शर्माः आपने ठेका लिया है... जो मर्जी बोलेंगे!

माननीय अध्यक्षः मैंने सदन का ठेका लिया है। वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस से समझौता करेंगे। आप कहिए कांग्रेस से। क्या तमाशा है ये? ये सदन है। अपनी बात रखिये कायदे से। बैठ जाइए आराम से। बैठ जाइये। शिवचरण जी प्लीज।

श्री शिवचरण गोयलः अध्यक्ष जी, 1 नवंबर 1984 को जब दंगे चल रहे थे, तब मेरी उम्र 22 साल की थी और मेरी शादी को करीब सवा साल हुआ था। एक बच्ची भी मेरे पास थी, 3 महीने की और मैं घर के बाहर उस समय कि जैसे अंदेशा था, हम घर के बाहर खड़े थे। पंजाबी बाग का जयदेव पार्क क्षेत्र के अंदर उसकी पूरी हलचल थी। करीब दोपहर का समय था और हमारे जयदेव पार्क मे करीब 12 मकान सिक्खों के हैं। तो 3/6 जहाँ से स्टार्टिंग होती थी जयदेव पार्क मे एक जत्था लाठियों के साथ, डंडों के साथ, पाउडर के साथ 3/6 पहला मकान सिक्खों का, वहाँ पर आकर आग लगाने की कोशिश करने लगा। उसकी फिएट गाड़ी में और उसके मकान मे आग लगाने लगा। उस समय मैंने ये देखा तो मैं देखने गया बाद में अकेला उस भीड़ के आगे चला गया करीब वो ढ़ाई–तीन सौ

लोग थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इसमे आग क्यों लगा रहे हैं, मकान में? और कार में आग क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने दोबारा कहा कि आप इसमे आग मत लगाएँ। उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जब मैंने कहा कि आप इसमे आग मत लगाएँ, तो वो भीड़ पूरी कहने लगे, ''जी, ये सिक्खों का हिमायती है, पहले इसको मारो। वो सारी भीड़ मेरे ऊपर आ गई और मुझे डंडे से जो भी है, मारना शुरू किया लेकिन तब तक पीछे हमारे क्षेत्र के निवासी इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने जब मुझे पिटते हुए देखा तो सारे इकट्ठे होकर भागते हुए आए और वो भीड़ चली गई। हम पूरी रात सोते नहीं थे और पूरी ठंड का, उस समय ठंड का इतना आलम था हम आग जलाकर चौराहे पर बैठते थे कि ताकि कोई अनहोनी न हो। हमने तीन दिन/चार दिन कैसे गुजारे हैं। हम जानते हैं कि उस मंजर को क्योंकि वो मंजर मैंने अपनी आँखों से देखा। 4 दिन के बाद मिलिट्री आई, उसके बाद जाकर कहीं शांति हुई है लेकिन ये जो राजनीतिक साजिश रची गई और उसके अंतर्गत जितने भी ये केसेज दिल्ली के अंदर हुए और आज तक भी उसका फैसला हो नहीं पाया, अभी भी वो डेट आगे डाल दी गई है जनवरी के अंदर। तो यदि ये उस समय 1984 मे इसका फैसले की शुरूआत हो जाती तो कहीं न कहीं अब उसकी पुनरावृत्ति चाहे वो 1992 में थी, चाहे 2002 मे थी, तो आगे नहीं होती। तो उसके बाद पालिटिकल पार्टियों ने इसको हथियार बनाया और आज भी हथियार बना रहे हैं। इसको और उस हथियार को बनाकर आज उसको कहीं न कहीं ये पोलोराइज कर रहे हैं। वोटों का पोलोराइज ताकि उसके दम पर हम जीतकर आगे आ सकें। जैसे सौरभ ने भी कहा कि उसकी वजह से आज लोगों के अंदर एक अलग सी भावना आ चुकी है। तो काफी हद तक इसको कहीं न कहीं हमें बैठकर सोचना पड़ेगा और कहीं

न कहीं इसके ऊपर एक अंकुश लगाना पड़ेगा। तो ये तो मेरे मन मे दर्द था कि 1984 के अंदर जब कि उस समय जवानी थी। उस समय प्रोग्राम हुआ था और सामने उस समय खौलता हुआ खून था, मैं रुक नहीं सका लेकिन ये चीजें दोबारा से नहीं हों, हमें उसके ऊपर कुछ न कुछ करना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः संदीप कुमार जी।

श्री संदीप कुमारः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई जो उनके सुरक्षाकर्मी जो सिक्ख समुदाय से थे, उसके बाद इस देश मे जो हुआ, 1984 का दंगा, जब कत्लेआम सरकारी हुआ जिसके बारे मे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा के जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके आस–पास की धरती हिलती है। इस तरह का कायरतापूर्ण बयान किसी प्रधानमंत्री के मुँह से क्या अच्छा लगता है जबकि वो देश का मुखिया होता है।

अध्यक्ष जी, मैं जिस विधान सभा से आता हूँ, सुल्तान पुरी से, वहाँ मंगोलपुरी भी साथ में विधान सभा है। मेरे से पहले जो कांगेस का विधायक था, वो भी लिप्त था इसमें। कांग्रेस पार्टी ने पचास लोगों के नाम कटवाए थे उस समय के और ये जो बीजेपी वाले बात कर हैं, आरएसएस के भी 49 लोग थे जो मीडिया के माध्यम से समाचारों में भी बताया गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसमें लिप्त थे। एक ओर बात अध्यक्ष साहब, जो ये सुल्तान पुरी और मंगोलपुरी में जो लोग मरे, ये या तो मजहबी सिक्ख थे, या सिक्लीगर कम्युनिटी से थे। जो दलित हिन्दू हिन्दुओं की पीड़ा से जो मनुवाद जो इस देश में चलता है, जो कनवर्टेड

सिक्ख थे, वो सबसे ज्यादा संख्या में मरे थे, वो दलित परिवार थे। अध्यक्ष साहब, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे 1984 के दंगे हों गोधरा का कांड हो जिसमें मुसलमान भाइयों को जला कर मार दिया गया या गोहाना कांड हो, जिसमें दलितों के घर फूंके गए या मिर्जापुर कांड हो या सहारनपुर के दंगे हो या देश में बहुत बार इन्सानियत की हत्या हुई हो। हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश में ऐसा क्यों होता है।

अध्यक्ष साहब, ये एक इकलौता देश है जहाँ पर दो विचार धाराएँ चलती हैं; एक पाखंडवाद है जो मनुवाद है और एक अम्बेडकरवाद है जो मानवता की बात करता है। जिसका प्रतीक भारत का संविधान है। अध्यक्ष जी जब तक देश में मानवतावादी सरकार जिसका घोषणा पत्र भारत का संविधान नहीं होगा, तब तक देश में ऐसे हालात बने रहेंगे। क्योंकि भारत का जो संविधान है, वो एक अकेला ऐसा डाक्यूमेंट है जिसमें जनता के अधिकार और कर्त्तव्य निहित हैं। अध्यक्ष साहब, देश में जो दंगें होते हैं, यही कारण है कि यहाँ हमेशा केन्द्र में मनुवादियों की सरकार बनी है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का मौका आपके पास है। ये साबित करने का जो मान्यवर कांशी राम कहते थे, '15 और 85 की जो लड़ाई है, वो आने वाला है।' वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। ये आपको साबित करना पड़ेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। मैं बहुजन समाज के लोगों से विशेष कर एग्जाम्पल देता हूँ आपको एच.एस.फुलका का जो मेरे सिक्ख भाई बैठे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को, जिसने सिक्ख दंगों के लिए लड़ाई लड़ी और अपना विपक्ष का जो नेता है, वो पद छोड़कर अपनी कौम के लिए खड़ा होगा। तो हर

आदमी को जो भी एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी के लोग हैं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा; ये जो टिकटें हैं और ये मंत्री के पद हैं, ये किसी के बाप की औकात नहीं है, हमें दे दें। अगर मेरी सीट रिजर्व नहीं होती तो किसी की औकात नहीं थी जो मुझे जनरल सीट से लड़ा दे। ये बाबा साहब की डेमोक्रेसी है। अगर देश का संविधान नहीं होता तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती। और जो बाबा साहेब को नहीं मानते हैं, सरेआम बीजेपी के लोग संविधान को जलाते हैं। वो लोग इस देश के कैसे हितैषी हो सकते है, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता से अपील भी करना चाहता हूँ। एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी के जो लोग हैं। अपने समाज के लिए बोलना शुरू कर दो। अपने समाज की बात रखना शुरू कर दो। ये लोग विधान सभा और संसद में ऐसे बैठे हैं; जैसे वो फिल्म में सन्नी दयोल का डायलॉग है, 'कातिया, ये कुत्ते! अगर इनकी हाईकमान कहती तो भौंकतें है, अगर इनकी हाई कमान कहती है तो काटते हैं।' इस हाई कमान से ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी। आपको इस समाज के लिए देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये चुने हुए लोग पार्टियों के प्रोटोकोल में रहकर के मानवता की निर्मम हत्या करवाएँगे तो ये देश कैसे चलेगा, ये बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा, ये सोचना पडेगा। और मैं तमाम अध्यक्ष साहब, इस सदन के माध्यम से इस देश के एससी/एसटी/ओबीसी/ माइनॉरिटी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 2019 का चुनाव जो 2019 का चुनाव है। xxx[3]

माननीय अध्यक्षः भई संदीप जी, कन्क्लूड करिए।

---

[1] **XXX** अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार चिह्नित अंश सदन की कार्यवाही से निकाला गया।

श्री संदीप कुमारः किसी की औकात नहीं है।

माननीय अध्यक्षः आप विषय से भटक रहे हैं।

संदीप कुमारः xxx

माननीय अध्यक्षः संदीप जी जो आपको समय दिया है इसका ये अर्थ नहीं है।

श्री संदीप कुमारः xxx

माननीय अध्यक्षः ये आप भटक रहे है विषय से। आपको जो समय दिया गया है, इसलिए नहीं दिया है कि आप जो मर्जी आए बोलेंगे।

ये जो संदीप जी ने बाद में बोला है xxx ये शब्द हटा दीजिए।

संदीप कुमारः आप निकाल दो आपका अधिकार है आपकी सरकार है। ये मनुवादी पार्टियाँ सारी इनकी जड़ें देख लो, एक ही परिवार से निकली हुई पार्टियाँ हैं।

माननीय अध्यक्षः बैठिए संदीप जी, बैठिए प्लीज।

संदीप कुमारः अगर आपको बचाना है इस देश को तो संविधान लागू कराना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्षः संदीप जी, आप बैठ जाइए प्लीज।

श्री संदीप कुमारः आज बहुजन समाज खतरे में है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड, अरे भई, क्या बात कर रहे हो आप! जो xxx का नाम लिया गया है संदीप द्वारा वो सारा विषय इसमें से काट दिया जाए कार्यवाही में से। श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने बहुत ही एक संजीदा विषय पर बोलने का मौका दिया है। ये एक नक्शा दिखाना चाहूँगा। अगर आप कैमरे से इसको थोडा सा लार्ज कर दें तो। ये पूरी दिल्ली का नक्शा है सर। ये जो डार्क स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे, ये जितने डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं जहाँ पास के से निशान हैं। ये सारे के सारे सर, वो हैं, जहाँ पर दंगे हुए और उनके पास में गोल–गोल बिन्दु हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। एकदम पास–पास में गोल गोल बिन्दु हैं। ये सारे पुलिस स्टेशन हैं। जहां–जहां पर अटैक हुए हैं। उसके पास में पुलिस स्टेशन्स हैं। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ।

बहुत सारी बातें बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे लोगों ने आपबीतियाँ बताई हैं। पर ये कुछ फैक्टस मैं जरूर बोलना चाहूँगा सर, एक सेइंग है इंग्लिश में जिसे कहते हैं: 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर जस्टिस या न्याय मिलने में देरी होती है और वो भी इतनी देरी होती है, ऐसे समझिए जैसे न्याय मिला ही नहीं हो। पूरी की पूरी मशीनरी ने ये डेलिब्रेट अटैम्प्ट किया कि किसी को न्याय न मिले। ये 1984 में हुआ। अभी 1984 की बात करता हूँ। पूरे के पूरे कांस्टीट्यूशन को ताक पर रखा गया, बार–बार रखा जाता है। वैसे तो हमारा कांस्टीट्यूशन का जो प्रिएम्बल है, वो शुरू होता है, जो हमारे को देश की जो डेफिनेशन जो बनाना चाहता है, वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एण्ड डेमोक्रेटिक

रिपब्लिक जिसमें कि सबको बराबर माना जाए। पर पता नहीं क्यों हमारे देश में बार–बार धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर दंगे होते हैं। क्योंकि ये भेद है, सभी के मन में भेद है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उस समय पर या अब तक ज्यूडिशयरी पर सौ परसेंट दबाव रहा है। सारे प्रूफ्स कहते हैं कि ज्यूडिशयरी पर दबाव रहा है और मैं तो बल्कि ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो लोगों ने उस टाइम पर ज्यूडिशयरी में रहते हुए इन दंगों की तहकीकात को ठीक से नहीं देखा, इन पर न्याय ठीक से नहीं किया, इनको डिले किया सर। एक बार तो उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने अपने कर्त्तव्य से मुँह फेरा। हरेक की बात हम करते हैं पर उन लोगों की बात कौन करेगा जो इसमें सम्मिलित थे, जो न्याय दे सकते थे, जो लोग दबाव में आए; चाहे आर्थिक रूप से दबाव में आए। चाहे पोजिशन के रूप से दबाव में आए और ये भी देखना चाहिए उन लोगों को कितना प्रमोशन मिले उसके बाद में। ये झूठे न्याय देने के बाद में कितने लोगों को उस वक्त प्रमोशन मिले। उस समय पर इन सब पुलिस स्टेशन में जो लोग तैनात थे, वो आज किस पोजिशन में है और किस पोजिशन से रिटायर हुए। सर, एक डेटा आपको बताना चाहूँगा। सर, साढ़े छः सौ के करीब एफआईआर हुई सर, दिल्ली पुलिस ने जो करी। वो 587 बता रहे थे पर वो तकरीबन साढे छः सौ एफआईआर थी। जिसमें चार्ज शीट सर, 363 पर फाईल की गई। तीन सौ चौबीस केसेज वो ऐक्विटल ऑफ ऑल एक्यूज्ड सारे के सारे ऐक्यूज्ड को एक्विट करके निर्दोष बताकर छोड़ दिया गया। 3081 लोग गिरफ्तार किए थे सर, पुलिस ने। 3081 आज तक जो भी जिस भी लेवल पर कन्विक्शन्स हुए हैं, तकरीबन 442 हुए हैं। दो डेथ सैंन्टेंस हुए हैं। 51 को लाइफ इम्प्रिजनमैंट हुई है। तीन को दस से या उससे ज्यादा जेल हुई है। पाँच को पाँच से दस साल तक की जेल हुई है। 156 को

तीन से पाँच साल की जेल हुई है और 67 को तीन से भी कम साल की जेल हुई है। 117 को फाइन और वार्निंग के साथ छोड दिया गया। इज इट जोक? मजाक है। लोगों को जिंदा जलाया जाता है। टॉयर बांध कर जलाया जाता है। फॉस्फोरस डालकर जलाया जाता है और फाइन करके छोड़ देते हो; वार्निंग देकर के दोबारा मत करना। वार्निंग का मतलब तो ये ही होता है कि दोबारा मत करना। इसके अलावा तो कोई मतलब नहीं होता वार्निंग का। चेता दिया जाता है कि दोबारा मत करना। ये काम किया है ज्यूडिशयरी ने। ये काम किया है पूरी की पूरी मशीनरी ने। और ये परफैक्ट एग्जाम्पल है कि क्यों बार–बार हमारे देश में दंगें होते हैं। क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं, वो बपौती समझते हैं पूरी मशीनरी को। पूरी मशीनरी को बपौती समझते हैं। इसलिए सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा; ये सीबीआई हमारी है, ये पुलिस हमारी है, ये ज्यूडिशियरी हमारी है, हम जैसे चाहेंगे, वैसा दंगा करवाएँगे। ये सत्ता का नशा है कि दूसरे को इंसान को इंसान नहीं समझता आदमी। ये नशे में ही हो सकता है, होशो–हवास में नहीं हो सकता, ये सत्ता का नशा है। चाहे वो 1984 में हुआ हो या 2002 में हुआ। लोगों को पद मिल जाते हैं बड़े–बड़े। उनके ऊपर एक्शन नहीं होता और हम उनके इन हीनियस क्राइम को, इन पापों को... ये पाप हैं उनके, उन्हें भूल के, उन्हें सम्मानित पद देते हैं, उन्हें वोट देते रह जाते हैं। एक बड़ी गुमराह करने वाली बातें ये लोग करते हैं, अमित शाह जी हैं, जो पार्टी केंद्र में है, उसके अध्यक्ष हैं। जिस दिन ये डिसीजन आया सज्जन कुमार साहब का, बहुत ज्यादा इज्जत दे दी। सॉरी सज्जन कुमार साहब कह दिया, वो कहते हैं, 'Victims of 1984 riots had lost all hope of justice because those responsible for crime against them enjoyed political patronage of congress leadership Delhi High Court's conviction of Sajjan Kumar

has once again assured the victims that criminal 1984 will not go scot free?' *aur wo likhte hain.... Ek second Sir,* "I want to thank prime minister Sh. Narender Modi for setting up SIT in 2015 which initiated re-investigation into several cases of 1984."

वो प्राइम मिनिस्टर साहब को.... इसमें भी पॉलिटिकल गेन लेना चाह रहे हैं। मैं आप सब को बताना चाहूँगा, कितना भी गुमराह कर ले विपक्ष, इस सज्जन कुमार के वर्डिक्ट में उस एसआईटी का कोई रोल नहीं। एक परसेंट भी रोल नहीं है। ये नानावती कमिशन की रिपोर्ट पे 2008 में जिसकी सुनवाई थी, उसके बेसिस पे हुआ है। एसआईटी इसमें कोई रोल नहीं है। मैं एसआईटी के बारे में भी बताना चाहूँगा जिसके लिए बहुत उछल रहे हैं भाजपा के लोग। मैं इस का भी सर, आपके सामने बताना चाहूँगा सर, 1998 से लेके 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी जिसमें अकाली दल भी शामिल था। एक बार भी एसआईटी की बात नहीं की गयी उस टाइम। ये लोग जो इसको राजनीतिक तरीके से यूज करते हैं। इनके दिल में सच्चा दर्द नहीं है, ये राजनीति की तरह से यूज करते हैं इसको। मैं कमी नहीं निकालना चाहता, पर मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि किसी को भी राजनीति करने से पहले ये सोचना चाहिए कि दूसरों के इमोशंस से नहीं खेलना चाहिए। आज आप दूसरी पार्टी की तरफ उंगली उठा रहे हो, वो तो नालायक हैं ही, इसीलिए वो बाहर हैं, इसीलिए आज एक भी आदमी उनका यहाँ पे नहीं है, वो तो हैं ऐसे। पर तुम क्या कर रहे हो! तुमने क्या किया? इस देश में पहली एसआईटी 2014 में 49 दिन की सरकार के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इनीशिएट किया था जिसको कि उस वक्त के कांग्रेस के जो लेफिटनेंट गवर्नर थे, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। नजीब जंग जी, उन्होंने

कूड़े के डब्बे में डाल दिया। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट पावर में आई 2014 में। कोई एसआईटी नहीं बनाई गयी, बहुत सारे वादे किए थे पर कोई एसआईटी नहीं बनाई गयी। फिर 2015 का सर, चुनाव होता है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है सर, अचानक से हंगामा हो जाता है। उससे पहले मोदी वेव चल रही थी। 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है। दिल्ली में हंगामा हो जाता है, पूरा देश उठ के देखता है कि हुआ क्या? 14 तारीख को स्वैयरिंग इन सेरेमनी थी, उससे दो दिन पहले सर, एसआईटी की बात शुरू हुई थी। सिर्फ इस भय से कहीं अब की तो फुल पावर में आ रहे हैं, तब तो 28 थे, कहीं आते ही ये फिर से बना दें! इन्होंने तो वादा किया था, वो वादा निभाया पिछली बार। हो सकता है इस बार भी वादा निभा दें। अरविंद केजरीवाल तो है ही ऐसा, वो जो कहता है, वो करता है। तो उससे पहले इसको पॉलिटिसाइज और उस एसआईटी ने क्या किया जो 2015 में बनाई गयी सर? 241 मामले थे, सिर्फ 241 मामले। उन्होंने कह दिया कि इसमें 'नो फरदर इंवेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड।' इन्हें बंद कर दिया जाए। 241 मामले जो मोदी जी ने एसआईटी बनाई थी जिसके लिए कांग्रेच्युलेट कर रहे हैं अमित शाह जी, उन्होंने 241 मामले को बंद करने के लिए कह दिया और मैं सैल्यूट करूँगा फुल्का जी को। उस लोन क्रूसेडर को, उस आदमी को, उस के लिए एक बार थपथपा के बजानी चाहिए हम लोगों को ताली! उस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट को कन्विन्स किया कि ये बहुत जरूरी है, दोबारा से ये सारे मामले उठने चाहिए। तो सर, इस साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप एसआईटी बनाई, वो एसआईटी चल रही है जिसके लिए अमित शाह अपनी पीठ ठोक रहे हैं, नरेन्द्र मोदी की पीठ ठोक रहे हैं और पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये सोचिए! और ये सच है और ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि विपक्ष के नेता खड़े

होके फिर से झूठ बोलने की कोशिश करें। जो मैंने बोला है, उसे झुठला नहीं सकते ये। ये सच है।

एक बात और कहूँगा, ये जो सज्जन कुमार का वर्डिक्ट आया है, इससे पूरे देश को आस बंधी है। 1984 का एक–एक आदमी जो अब बचा है, जिस पे केस चल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि उसको सजा जरूर होगी। उसको भी होगी जिसके 2002 के लोग कातिल हैं। उसको भी होगी, जो मुज्जफर नगर के कातिल हैं, जो मुंबई के कातिल हैं। जहाँ भी इस देश में संविधान को ताक पर रखा गया है, इंसानियत को ताक पे रखा गया है, हर कातिल को होगी सजा। जिसके भी जाने के बाद। सर, सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस के एक नेता हैं, वो चाह रहे हैं कि इस वर्डिक्ट को वो हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। वो उनकी सोच हो सकती है। मैं भी एक चीज चैलेंज करना चाहूँगा सर, ऐसे लोगों को उम्र कैद नहीं सर, फाँसी मिलनी चाहिए, फाँसी। इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कितनी भी उम्र हो जाए एक जानवर, जानवर ही रहता है। एक शैतान, शैतान ही रहता है। वो इंसानियत के दुश्मन हैं जिन्होंने ये किया। बुड्ढे भी हो जाएँ तो भी फांसी मिलनी चाहिए। इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। हम सबको ये रिजॉल्व करना चाहिए सर, कि इस तरीके के जो हादसे हमारे देश के इतिहास के साथ हुए हैं, ये जनरल साइड है। एक तो इनको रॉयेट्स कह के इनको हल्का नहीं कर देना चाहिए। रॉयेट्स में तो दो जगह लड़ रहे होते हैं आपस में। एक तरफ पूरी की पूरी मशीनरी मिल के मार रही होती है एक समुदाय को सर। ये सेक्यूलर डेमोक्रेटिक कंट्री, कैसे हो गया! हम लोग अपने आप को... हमें इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा कि कांस्टीट्यूशन हमारी अपनी जिम्मेदारी है और हम लोग सब अपने इस देश को सेक्यूलर बना के रहेंगे। जिन लोगों के मन में ये पीड़ा

है कि वो किसी दूसरे समुदाय से हैं, किसी दूसरे समुदाय से सुपीरियर हैं, कुछ भी है ये उनके मन से भी निकालना पड़ेगा। आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के जो भी मामले बार बार आते हैं, इनके ऊपर आवाज धीमी नहीं पड़नी चाहिए। ये उठ के सबके सामने आनी चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सोम नाथ भारती जी।

श्री सोम नाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

आज सदन में कई साथियों ने जो बातें रखी, उसमें से कुछ साथियों ने इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का फायदा किया। कोई साथी कह रहा है कि बसपा का सरकार बनना चाहिए, कोई कह रहा है सिर्फ कांग्रेस दोषी थी, कोई बैठ के मुस्करा रहा है। सिक्ख साथी देखने आएँ हैं सदन की इस गरिमा को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1984 के रॉयेट्स और उसमें हुए ऐसे ऐसे कांड जिसको सुन कर के आज भी रोम रोम सिहर उठता है, कई साथियों ने; अवतार सिंह जी ने, सौरभ भाई ने, जगदीप ने बहुत डिटेल में बताया इन घटनाओं को, अध्यक्ष महोदय। सिक्ख समुदाय के साथ उस वक्त क्या हुआ, आज सिरसा जी... बोलने में उन्होंने कोताही बरती और ये उनके जुबान से न निकल पाया कि किस तरह से इस नरसंहार में भाजपा और आरएसएस के लोग भी सम्मिलत थे। इस बात को कई तरह से बताया गया है, कई सारी रिपोर्टों में, उसमें 14 एफआईआर रजिस्टर हुए थे 49 भाजपा और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ में। बादल साहब ने आज तक एक बार भी इस बात का जिक्र न किया। सिर्फ चुनाव में 1984 याद आता है। उसके पहले याद न आता इतने साल हो गये

लेकिन एक भी बार एक भी अकाली ने भाजपा, आरएसएस का नाम नहीं लिया। बाकायदा नाम है राम कुमार जैन, प्रीतम सिंह, रामचंद्र गुप्ता ये कुछ लोग हैं जो भाजपा और आरएसएस के थे और जो इसमें सम्मिलित थे लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था है, कैसे नाम ना लें इनका, इनके साथ सरकार चलानी है।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने जहर भरा, कह दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि आज एक दूसरी पार्टी जहर भर रही है हर तरफ भाजपा ने भी जहर भरा। ये दोनों पार्टियों ने जहर भर के राजनीति करने का प्रयास किया हिंदुस्तान के अंदर 2002 का दंगा हो या 1984 का दंगा हो, इन दोनों दंगों में नेताओं के हाथ खून से सने हुए हैं। कांग्रेस का हाथ सिक्खों के खून से सना है और भाजपा के नेताओं का हाथ मुसलमानों के खून से सना है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जिसस क्राइस्ट को, जिस शासक ने फांसी की सजा दी थी जिसने उन्हें क्रूसिफाइड किया था, वो ता उम्र अपने हाथ धोता रहा। उसको लगता था मेरे हाथों में खून लगा हुआ है। आज नेताओं को नींद नहीं आती है कि भई जो इतने भारी स्तर पर कत्लेआम देश में हुआ, वो क्या बगैर पॉलिटिकल इनवाल्वमेंट के हो गया! अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में जिस तरह के रॉयेटस अभी तक हुए हैं, पूरी कालोनियल टाइम में 25 ऐसे नरसंहार हुए जब अंग्रेज सरकार थी तब 18 ऐसे नरंसंहार हुए जिसमें कि सबसे बड़ा जब पार्टीशन हुआ, उस वक्त बीस लाख लोग मारे गये और आजाद भारत में 68 नरसंहार हुए अगर उसको टोटल करेंगे, आजाद भारत के दौरान, तो मरने वालों की संख्या कई गुणा ज्यादा है और दुःख की बात ये चाहे 1919 का जलियांवाला बाग कांड हो, तब भी सिक्ख के साथी मारे गये। पार्टीशन हुआ, तब हिंदु, मुस्लिम, सिक्ख सारे मारे गये अधिकतर उसमें सिक्ख थे और 1984 में तो देश के अपने लोगों ने मारा और वो

गुंडे थे, न वो हिंदू थे, न वो मुसलमान थे। वो गुंडे थे; कांग्रेसी गुंडे थे और मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ सज्जन कुमार बड़ा मछली है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है। बड़ा वाला बच गया सबसे बड़ा मछली बच गया इसमें और मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि उस शख्स को जिसने ये स्टेटमेंट दिया कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, उसको भारत रत्न दिया आपने। शर्म नहीं आती! डूब मरते कहीं पानी में और मोदी जी से पूछना चाहता हूँ मैं, आपकी सरकारें इतने साल रहीं, क्यों न छीन लिया उसका भारत रत्न! ऐसा शख्स जो इतने नरसंहार को जस्टिफाइ करता फिरता हो, मैं आज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मोदी जी, अगर आपके दिल में तनिक भी शर्म है तो राजीव गांधी जी का आप भारत रत्न छीन लीजिये। आज... गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अगर आप समर्थन करते हो तो मैं ये माननीय स्पीकर महोदय को कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जो प्रधानमंत्री पद पर होकर ऐसा स्टेटमेंट दे दे, उसका भारत रत्न छीन लिया जाना चाहिए। अगर समर्थन देते हो तो होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि अमानत जी ने कल बड़ी अच्छी बातें कहीं कि किस तरह से 1992 दो हजार दो बना, उसके पहले 1984 से 1992 बना अगर इन नरसंहारों का समयानुसार जैसे आज सुप्रीम कोर्ट अब कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है कि भई किसी नेता के खिलाफ जो भी कोई केस हो, एक साल के अंदर खत्म होना चाहिये। चौंतीस साल लग गये चार कमिशन, नौ कमेटियाँ दो एसआईटी बैठा चौतीस साल लग गये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 34 साल इसीलिये लग गये कि पॉलिटीकल पार्टियाँ इन कमेटियों के बहाने, कमिशनों के बहाने एसआईटी के बहाने, जहाँ न्याय होना चाहिए, वहाँ अन्याय करती हैं और जहाँ उनके लोग फंस रहे हों, वहाँ डिले करती है। अध्यक्ष महोदय, ये

डेलिब्रेट था और ऐसी कौम जिसके प्रथम पादशाई ने कहा, जैसा आज मेरे साथी ने कहा कि न कोई हिंदू, न मुसलमान, ऐसी कौम जिसके प्रथम गुरू ने कहा खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य उपदेश चहुं वर्णो को सांझा। उस कौम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती आज शर्मसार करता है। मेरा सिर शर्म से झुका हुआ है कि 34 साल लगा इन नरसंहार के लोगों को सजा देने में अध्यक्ष महोदय, कई सौ करोड़ खर्च हुए इन कमिशनों के पीछे और जब कमिशनों के बारे में बताऊँगा मैं, तो मालूम पड़ेगा किस तरह से कमिशनों को यूज किया गया। चाहे 2002 का मामला हो, कमिशनों को इन्होंने यूज किया कि वो किस तरह से... जगदीश टाईटलर हो, एचके एल भगत हो दुनिया भर के लोग हों, उन सबको बचाने का काम किया गया अध्यक्ष महोदय। ये मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ी जरूरत है। मैं बाद में बताऊँगा कि किस तरह से ये जो उस वक्त सौरभ ने बहुत डिटेल तरीके से बताया कि कैसे इंसान में हैवानियत आ जाती है। एक इंसान के अंदर राम भी है और रावण भी है लेकिन वो प्रवृत्तियाँ, वो माहौल जो आदमी के रावण को उकसाता है, उसका बहुत बोलबाला है। पहली बार एक ऐसा माहौल आया देश में, ऐसा शिक्षा मंत्री आया देश में जिसने कि शिक्षा के अंदर वो बदलाव किए जिसके अंदर आदमी का राम उकसता हो, जिसके अंदर आदमी का राम की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो। मैं माननीय मनीष जी को बधाई देना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस कुरिकुलम और इस तरह के जितने भी आयाम किये हैं, शिक्षा में जो बदलाव किए हैं, उसके कारण आने वाले समय में उन बच्चों के अंदर राम की प्रवृति हावी होगी, रावण की प्रवृति हावी नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, इस बधाई के वो पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कमिशनें बनीं और जिस तरह के रिपोर्टस आये, उन रिपोर्टों को रखना सदन पटल पर बहुत

जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, पहली कमिटी इनकी बनी मारवाह कमिशन और इसमें देखेंगे किस तरह से इन कमेटियों के द्वारा...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, सब कमेटियों की रिपोर्ट रखेंगे, बहुत समय लगेगा।

श्री सोमनाथ भारतीः ज्यादा नहीं है, मैं एक–एक मिनट बोलूँगा उसमें।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब इसको कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, चूंकि...

माननीय अध्यक्षः बारह मिनट हो गये है आपको बारह मिनट।

श्री सोमनाथ भारतीः आज ये अब किसी को आपने वो आधा घंटा दिया।

माननीय अध्यक्षः नहीं प्लीज, नहीं। देखिए, सोमनाथ जी, अब ये इसमें चर्चा मत करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तथ्य हैं अगर रिकॉर्ड पर आ जायें अगर आज हमने ये हंसते हुए लोगों को थोड़ा होगा...

माननीय अध्यक्षः अब कमिटी की रिपोर्ट जो भी है, सदन पटल पर रख दीजिए, रिकॉर्ड में आ जायेगी।

श्री सोमनाथ भारतीः मारवाह कमिशन, जो अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है जो 34 साल बीता। सज्जन कुमार को लाइफ टर्म का मतलब क्या बनता है अब! कितना साल रह गया उनकी जिंदगी में 45 साल से 75 साल की जो मस्ती जीती है आदमी ने, क्या मतलब बनता है उसका इस जजमेंट के अंदर! कोर्ट ने कहा

है कि जो रूल आफ लॉ है, उसका वॉयलेशन हुआ है, कोर्टो का मिस यूज हुआ है। किस तरह से हमको स्ट्रेंग्थन करना है कोर्टों को, इस बात को रखा है। इस बात में सभी शामिल हैं। इस 34 साल लगने के पीछे कोर्ट भी शामिल है कोर्ट के पीछे लगे जो पॉलिटिकल नेता वो भी शामिल हैं और जो आज क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो क्रेडिट सीकिंग सिंड्रॉम जो सफर कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, ''नहीं जी, ये तो जो एसआईटी हमने कर रखा है, उसके कारण हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मारवाह कमिशन ने कहा, इसमें बड़ा इन्टरेस्टिंग रहा कि बन तो गया कमिशन 1984 में लेकिन जैसे ही कमिशन कुछ तथ्यों पर पहुंचने लगा, वैसे ही राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि भई इन्कवायरी रोक दो, तथ्य पर न पहुँच पाओ। और फिर मिश्रा कमिशन आ गई। 1985 में मिश्रा कमिशन आई तो मिश्रा कमिशन के सारे रिकार्डो को ट्रांसफर किया गया लेकिन जो उनके जो मारवाह कमिशन के हैण्ड राईटिंग नोटस थे, उसको ट्रांसफर नहीं किया गया। मिश्रा कमिशन ने फिर तीन कमेटियाँ बैठायी। उसके बाद मिश्रा कमिशन ने बाकायदा इस बात को माना कि जी, इसमें बहुत बड़े स्तर पर...

माननीय अध्यक्षः नहीं, सोमनाथ जी, मैं अब समय नहीं दे रहा हूँ, कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः रोल ऑफ पुलिस...

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं अब समय नहीं दे रहा हूँ प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः पाँच मिनट दे देंगे मुझे।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ।

श्री सोमनाथ भारतीः पाँच मिनट दे देंगे।

माननीय अध्यक्षः पूरे पूरे 16 मिनट हो गये हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः इसको समाप्त कर दूँ मैं?

माननीय अध्यक्षः करिए, समाप्त करिए प्लीज। समय की मर्यादा रहती है। अब एक मिनट में समअप करिए इसको।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, ये बाकायदा इस बात को मिश्रा कमिशन ने कहा किः 'Large number of cases especially against politicians or police officers had not been registered. The report even highlighted the fact that there had been a delay in the response by the Army.'

अध्यक्ष महोदय इसमें राजीव गांधी जी को क्लीन चिट्ट दे दिया। एच.के.एल. भगत को क्लीन चिट्ट दे दिया। फिर ढिल्लो कमिटी बनी। ढिल्लो कमिटी में बकायदा इस बात को कहा कि किस तरह से पुलिस के हाथ... दुःख की बात ये है कि जिस पुलिस के लोगों ने इतने बड़े नरसंहार को अंजाम देने में साथ दिया कांग्रेस का, एक के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मैं पूछना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे सिरसा जी ने वो दो जिनको पहले कन्विक्ट किया गया था कोर्ट के अंदर और उस पर अटैक किया था, तो कब सज्जन कुमार को मारने वाले हैं ये, मैं जानना चाहता हूँ?

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जैन अग्रवाल कमिटी बनी। जैन बनर्जी कमिटी बनी। आहुजा कमिटी बना। आहूजा कमिटी, पॉट्टी रोजा कमिटी बना। जैन अग्रवाल कमिटी बनी। नरूला कमिटी बनी। उसके बाद 15 साल लग गए

नानावती कमिशन बनने में और पहली बार ये हुआ कि एच.के.एल.भगत, कुमार, षास्त्री और टाइटलर और साथ में कमलनाथ को भी इन्होंने उसमें इन्क्लूड किया और रिपोर्ट को सब्मिट किया। उसके बाद माथुर कमिटी बनी। 2014 में अध्यक्ष महोदय, ऑफ्टर मैनी इयर्स जिसने कहा कि: 'Proper investigation of the offences committed was not conducted and some kind of same effort had been made to give it in the shape of investigation.'

अध्यक्ष महोदय, आज मैं जब पढ़ रहा था वो जजमेंट...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अब कन्क्लूड करिए सोमनाथ जी, और डाक्यूमेंट मत निकालिए प्लीज। नहीं, एक मिनट। अब एक मिनट आपसे कहा है। टाइम आपका खत्म हो चुका।

श्री सोमनाथ भारती: मैं उस हाई कोर्ट के जस्टिस को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हिम्मत दिखाई। जस्टिस मुरलीधर साहब ने जिस तरह से इस जजमैंट को लिखा है और जो बातें लिखी हैं और जो एडमिशंस हैं, ये तो एक स्टडी होना चाहिए इसका कि पहली बार एक किसी कोर्ट ने इस तरह की हिम्मत दिखाई कि जी, बकायदा उन चीजों को मेन्शन किया और आज दो लोग सलाम के योग्य हैं – एक हैं एच.के.एल.भगत, सॉरी एक है एच.एस.फुलका और एक है जगदीश कौर जी। जगदीश कौर जी ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई और इतनी लम्बी लड़ाई लड़ी, उस माता को मैं सलाम करता हूँ। पूरे सदन को मैं कहता हूँ कि आप अपने मेज थपथपाकर के बताए जगदीश कौर जी ने जिस तरह से

लड़ाई लड़ी है, बहुत हिम्मत है, एक महिला होकर के उन्होंने इन सारे जितने भी जाइंटस थे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सोमनाथ जी, अब ये...

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः और फुल्का साहब ने लड़ा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं अगला नाम बोल रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं अब अगला नाम बोल रहा हूँ प्लीज। आइ ऐम नॉट गोइंग टु एलाउ। छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब छोड़ दीजिए। बैठ जाइये। नहीं, अब बैठ जाइए आप। प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः और कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब बैठ जाइये।

....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप मेरी लीनिएन्सी का फायदा उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कांग्रेस को...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, वो ठीक है। सारे चलते हैं। बैठिए। आपकी बात पूरी हो गई।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस वालो सुधर जाओ, सज्जन कुमार को तो हुआ है, बाकियों को भी मिल जाए, जल्दी से जल्दी सजा हो जानी चाहिए। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। (नहीं है, अनुपस्थित) जरनैल सिंह जी। विजेन्द्र जी। जरनैल जी, रुकिए दो मिनट। विजेन्द्र जी को बोल लेने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आज दूसरे दिन जो चर्चा यहाँ चल रही है। वो वास्तविकता में पूरे देश के एक–एक नागरिक ने राहत की सांस ली है क्योंकि...(व्यवधान)

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, मैं बीच में नहीं टोकना चाहता, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ सिरसा जी कहाँ है?

माननीय अध्यक्षः भई ये कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, तो आप अपनी बात रखिए। कोई जरूरी थोड़ी है। अननेसेसरी आप परेशान कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, छोड़ दीजिए उसको। आपकी बात आएगी, उसमें बोल लीजिएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आज पूरे देश ने राहत की साँस ली है कि जो 1984 का नरसंहार था, जो लोग उम्मीद खो चुके थे कि न्याय मिलेगा और कमिशन पर कमिशन बनती रहीं लेकिन न्याय नहीं आया; एक उम्मीद जगी है कि देश की कानून व्यवस्था, देश का संविधान, देश का न्यायालय, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो कानून के आगे छोटा है। सज्जन कुमार को जो सजा हुई है, वास्तविकता में 1984 के नरसंहार में इन लोगों का हाथ था, ये कौन नहीं जानता। ये कौन नहीं जानता कि किस तरह सड़कों पर कत्लेआम हुआ। अगर इस कत्लेआम की जिम्मेदारी इन लोगों की न होती तो सौ–सौ पुलिस वाले लेकर ये लोग साथ न चलते। इसका मतलब ये तय था कि इन्होंने लोगों को मारा और मरवाया और इसीलिए अब ये सौ–सौ पुलिस वालों के साथ चल रहे हैं। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा, चर्चा बहुत लम्बी हुई है, सभी लोगों ने भाग लिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई जगदीप जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि 31 अक्टूबर की रात को...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपको बोलने का मौका मिला था ना, उस वक्त बोलते।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, मैं छोड़ देता हूँ। मैं चर्चा छोड़ देता हूँ। बंद कर देता हूँ चर्चा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि सदस्य अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात को भी सुनने की मनोस्थिति होनी चाहिए, दूसरों की भावनाएँ भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये प्रायोजित नरसंहार था क्योंकि जो दुर्घटना हुई थी, जो हत्या हुई थी श्रीमती गाँधी की, वो 31 अक्टूबर को सुबह की घटना है और उसके बाद 10–12 घंटे के बाद अचानक, इसको दंगे का नाम नहीं दिया जा सकता, दंगा वो होता है जो दो पक्षों के बीच में हो, दोनों लोग आघात हो, कोई मुददा ऐसा हो, लेकिन यहाँ इन्नोसेंट लोग जिनका कोई दोष नहीं था और विशेष रूप से गरीब लोग जिनका कोई दोष नहीं था, दूर–दूर तक जिनका कोई... जिनको मामले की जानकारी तक नहीं थी कि क्यों हो रहा है ये, उनको जिंदा जलाया गया। यहाँ पर कांग्रेस ने दो अपराध किए; पहला निहत्थे असहाय लोगों को मारा और दूसरा उन कातिलों को बचाया, पहले मारा और कत्ल करने वालों को पनाह दी, उनको सजा न हो पाए, उन पर

कार्रवाई न हो पाए, और तीसरा अपराध कांग्रेस ने जो किया जिन्होंने कत्लेआम करवाया, उनको बड़े–बड़े पदों से नवाजा गया। उनको सच्चा कांग्रेसी बताया गया। उन्हें इंदिरा परिवार का सच्चा साथी माना गया। उन्हें बार–बार लोकसभा की सीटें दी गईं, मुख्यमंत्री पद दिए जा रहे हैं, जब मौका मिला उनको आगे बढ़ाया गया।

कांग्रेस इस पूरे मामले में, कल हमारे साथी यहाँ बोल रहे थे, सौरभ भारद्वाज जी। यहाँ कल से मैं चर्चा सुन रहा हूँ। जब इस तरह का नरसंहार होता है तो जिन लोगों के विरूद्ध ये कार्रवाई होती है, उस पर फिर चर्चा में उसको सेलेक्टिव नहीं करना चाहिए। यहाँ बार–बार 2002 की बात की जा रही है, मुजफ्फरपुर की बात की जा रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बात एक बार इस सदन में नहीं आई। जो 1984 में सिक्खों के साथ हुआ, वो ही 1987–88–89 में कश्मीर के पंडितों के साथ हुआ। कल हमारे साथी बोल रहे थे सौरभ भारद्वाज जी। मैं देख रहा था, वो पहुँचे वहाँ तक। वो वहाँ तक पहुंचे...(व्यवधान) वो वहाँ तक पहुंचे...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी, आपको समय मिलेगा ना, नोट कर लीजिए। जो बोल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, जवाब दीजिएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कल सौरभ जी बोल रहे थे, उन्होंने अपने जीजा के बारे में बताया कि वो कश्मीरी पंडित हैं लेकिन उनकी भावनाओं को वो बताने से, सदन को अवगत कराने से कतरा गए। क्यों, क्यों? ये चर्चा सेलेक्टिव क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के साथ भी जो हुआ, वो भी सारा देश जानता है। वो अन्याय भी सारा देश जानता है।

अध्यक्ष जी, आर्मी को बुलाने में कांग्रेस ने जान–बूझकर देरी की, कांग्रेस की सरकार ने। 31 अक्टूबर की घटना थी, नरसंहार हुआ और 4 नवम्बर को, तीन दिन बाद दिल्ली में आर्मी आई, जब तक सब कुछ, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सब कुछ घटित हो चुका था। इसके साथ–साथ मेरा ये साफ रूप से कहना है कि इस नरसंहार को रोका जा सकता था लेकिन जानबूझकर...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्लाह जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आर्मी को बुलाने में कॉग्रेस ने जानबूझकर देरी की, कॉग्रेस की सरकार ने, 31 अक्तूबर की घटना थी, नरसंहार हुआ और 4 नवम्बर को तीन दिन बाद आर्मी आई, जब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ घटित हो चुका था। इसके साथ–साथ मेरा ये साफ रूप से कहना है कि इस नरसंहार को रोका जा सकता था लेकिन जान–बूझकर आर्मी बुलाने में देरी की गई और जिस तरह के हालात देश में पैदा किए गए, मैं अंत में जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने, हमने जो एक इसमें एक अमेंडमेंट दिया है, हम चाहेंगे कि सदन में पारित किया जाए कि कॉग्रेस पार्टी से इस सदन में बैठे हुए किसी सदस्य का कोई वास्ता नहीं रहेगा, धन्यवाद।

सभापति महोदयः अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कल से हम इसपे चर्चा कर रहे हैं पर मैं दो लाइनों से शुरू करूँगी और मुझे लगता है, उसका अपने आप में निचौड़ निकल जाएगाः

'ऐ काफिले वालो! ऐ काफिले वालो! तुम इतना भी नहीं समझे,

लूटा तुम्हें रहजन, रहबर के इशारों पर।

सब कोई जानते है कि 84 के दंगे, जब हुए थे तब अध्यक्ष जी, मैं खुद मात्र 9 वर्ष की थी, लेकिन बचपन में वो जो दहशत, क्योंकि मेरे साथ वाला सी–39 मेरा टैगोर गार्डन में था तो सी–40 में हरबंश अंकल रहते थे, सिक्ख थे आज 75 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं, खामोश हैं तब से। वो खौफ.... वो मंजर देखा और बस सर्दियों का दिन था आज भी वो जहन में याद है, 9 वर्ष की आयु में कि सबको घरों के अंदर वहाँ पर सर्दियों में वहाँ चारपाई लेकर, लकड़ियॉ जलाकर, आग लगाकर हम सब बैठे रहते थे और जैसे ही होता था कि कोई दंगाई अगर इलाके में आएँगे तो सब जो है, घरों से निकल के उन दंगाइयों को खदेड़ेंगे क्योंकि हमारे आसपास के घरों में भी सिक्ख लोग रहते थे। पूरा प्रयास किया हम लोगों ने उनको बचाने का, वो बचपन की यादें आज भी याद हैं। 1984 से पहले हम गर्मियों में अपनी चारपाईयॉ बाहर लेके आ जाते थे, सोते थे, इतना माहौल भाई–चारे का था और किसी को कोई खौफ और डर नहीं था लेकिन 1984 के बाद से, वो सब चीजें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। इतना खौफ, इतना डर आज पैदा कर दिया गया, अध्यक्ष जी। और मैं बिल्कुल उस, वो जगदीश कौर आज 77 साल की है, 34 साल की लड़ाई को, पाँच उनके परिवार के सदस्यों को, उस माँ जगदीश कौर के सामने खत्म कर दिया गया और माँ अकेली उस लड़ाई को आज तक लड़ती रही और शर्म आनी चाहिए, आज श्रेय लेने के लिए सब कूद पड़े और अपनी पीठ थपथपाने लग गए हर कोई। लेकिन वो माँ और वो हमारे जो फुल्का जी हैं, इस्तीफा तक देना चाहा कि मैं पंजाब से अपनी जिम्मेदारियों से इसलिए इस्तीफा देना चाहता हूँ क्योंकि मैं 1984 के इस मुकद्मे को, पूरा समय देकर कोर्ट

में लड़ना चाहता हूँ। क्योंकि उन्हें पता था कि अंजाम तक पहुँचना है। हमारे एक ओर विधायक जो अभी नहीं हैं, राजौरी गार्डन से, जिनका खून खोलता है, वो अपने आपको रोक नहीं सकते हैं, गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, कांग्रेस की प्रेस कॉफ्रेंस में जूता उछाला, उनसे रुका नहीं गया, हर तरीके से अपनी भावनाओं को बता रहे थे। हमारे एक भाई हरि नगर से विधायक जगदीप जी, अपना दर्द कह रहे थे, आंखों में आँसू आ रहे थे, भावुक हो रहे थे, इतनी गंभीर चर्चा यहाँ पर हो रही है। मुझे नही समझ आ रहा, मैं अपने सिक्ख भाइयों को, जो है बधाई दूँ या क्या कहूँ ये जीत है, क्या है! लेकिन वो जो जख्म, जो चले गए उसकी भरपाई अब कभी भी नहीं हो सकती है। ये लड़ाई मुझे अभी भी लगता है, अधूरी इसलिए है क्योंकि ये बार–बार जब बात कर रहे थे कि आपने कॉग्रेस और आरएसएस के संगठन के साथ किस तरीके से दिया मैं दो लाइनें कह देना चाहता हूँ। क्योंकि 2002 के दंगों का जिक्र सो, कोर्ट का हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया, 'व्हाइ गुजरात गुजरात 2002 फाइंडस मेन्शन इन 1984 राइटस ऑर्डर ऑन सज्जन कुमार...' खुद कोर्ट ने 2002 के दंगों का जिक्र, 1984 के इस दंगों के अपने आदेश में किया है। आज एक प्रधानमंत्री है और एक मुख्य मंत्री की अभी–अभी शपथ ली है उन्होंने। उनके ऊपर दो शब्द कहूंगीः

'जो बागबाँ फूलों का वफादार नहीं है,

गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है।'

चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो कहीं का मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हों, कोई हक नहीं है इन लोगों को। अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, मुझे अभी–भी पंजाब की चिंता हो रही है, पंजाब आतंकवाद से गुजरा, पंजाब में कत्लेआम देखें, पंजाब ने

1984 देखा और हम सबने उस खौफ और मंजर को देखा, क्या 1984 के दंगे पहले दंगे थे। मैं जब 9 वर्ष की थी तो मेरे लिए तो ऐसा लगा, ये पहला... बाद में मैं महसूस कर रही हूँ, ये पहले दंगे थे। ये पहले नहीं थे, लेकिन क्या ये अंतिम हो सकते थे, 1984 के दंगे हिन्दुस्तान के अंदर? हाँ ये बिल्कुल अंतिम दंगे हो सकते थे अगर समय रहते जिन लोगों ने भी इस हिंसक जो घटनाओं को जिस तरह से कत्लेआम करके हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, उनको अगर फाँसी की सजा जो है, दे दी गई होती। आज तक लड़ना न पड़ना। हो रहा होता, तो जरूरी एक डर और खौफ इन दंगाइयों के मन में होता। पंजाब की चिंता आज भी हो रही है। आज भारत में ऐसी सरकार बैठी है जो कश्मीर का आतंकवाद, कश्मीर में पत्थरबाजी, कश्मीर में हिंसा को नहीं रोक पा रही और उसी देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का इंडियन एक्सप्रैस की, अखबार के पन्ने में सुर्खियाँ हैं; पढ़ लीजिएगा। इसलिए आज भी पंजाब और अपनी कौम की चिंता हमें होती है। आज के अखबार में: 'रेडिकल ऐलीमेंटस एब्रॉड ट्राइंग टु रिवाइव पंजाब टैरर।' कश्मीर को आप संभाल नहीं पाए और अब चेतावनी राजनाथ सिंह जी दे रहे हैं कि आपकी सरकार थी दस साल तक पंजाब में और आज देश में आपकी है और आज भी आप कह रहे है, पंजाब में कट्टरपंथी जो है, वो टैरर, आतंक फैला सकते हैं, कत्लेआम दुबारा कर सकते हैं, जिम्मेदार कौन है? अमेरिका बाहर से, ये कट्टरपंथी बता रहे हैं, अखबार इंडियन एक्सप्रैस में आया है कि ये कहाँ बैठे हुए हैं। ये अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए हैं और इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? ये राजनाथ सिंह जी का कहना है कि अमेरिका हो, कनाडा हो, यहाँ पर जो बैठे हैं कट्टरपंथी, चाहे वो हिन्दू राइट विंग है, चाहे वो सिक्ख राइट विंग है, चाहे वो मुस्लिम राइट, कट्टरपंथी जो एक कट्टर सोच रखता है कि बस हम हैं, बाकी

सब को खत्म करना है। आज उनको जो संरक्षण देने की उंगली जो है, राजनाथ सिंह जी कहते हैं, पाकिस्तान उठा रहा है। क्या कर रहे हैं, क्यों ट्रंप के साथ गलबंदियॉ कर रहे हैं आप? क्यों नहीं जाके कहते इन कट्टरपंथियों को निकालिए जो पंजाब में दुबारा आतंकवाद फैलाना चाहते है!

अध्यक्ष जी, ये एक बहुत गंभीर अपने आप में मामला है और मैंने जैसे कहा ये पहला था। नहीं, इससे पहले कलकत्ता में 1946, आजादी से पहले का सबसे पहला 10 हजार लोग कलकत्ता के अंदर, जब हिन्दू पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के... हिन्दू और मुस्लिम पर सबसे पहले हुआ। उसके बाद 1969 में आजाद भारत का सबसे पहला दंगा गुजरात में 1969 में हुआ, उसके बाद भिवंडी में 1970 में 250 लोगों को मार दिया गया, मुरादाबाद 1980 में अध्यक्ष जी, 400 लोग मार दिए गए और उसके बाद एँटी सिक्ख राइट्स हमारे 1984 में होता है। तीन हजार से पाँच हजार लोग... अभी भी लोग पूछ रहे हैं, कितने सिक्ख लोग मारे गए? कितने का अंतिम संस्कार हुआ? उनका क्या किया गया? आज भी प्रश्न बना हुआ है, 34 सालों के बाद। भागलपुर कोई नहीं भूलता, बिहार का भागलपुर, उसमें भी हजारों लोग कत्लेआम करके, सब हिन्दू–मुस्लिम, हिन्दू–मुस्लिम या आपको हिन्दू–सिक्ख राइट्स के तौर पर देखने लगे। कश्मीर 1989 में... आज नेता विपक्ष पूछ रहे थे, कश्मीरी पंडितों की बात। सब सलैक्टिव हो चुके हैं, कोई हिन्दू की बात कर रहा है कोई मुस्लिम, कोई सिक्ख होके। शर्म आती है! मैं पूछना चाहूँगी अध्यक्ष जी, किसकी सरकार थी? अभी है जो भी राष्ट्रपति शासन है ये किसके अधीन अभी जम्मू कश्मीर की सरकार थी? किसकी केंद्र में सरकार है? क्यों आपको पूर्ण बहुमत देकर वहाँ और यहाँ सरकार बनाई? क्यों कश्मीरी पंडितों को आप न्याय नहीं दिला पाए? क्यों आज वहाँ का युवा पत्थर उठाने पर मजबूर है? क्यों ये हिंसा हो रही है?

अध्यक्ष जी, आज नसीरूद्दीन शाह एक्टर हैं, उन्होंने कहा, 'ये देश रहने लायक नहीं रहा है।' इतना ही नहीं, हमारे पूर्व जो है, एक्स फॉरन सैक्रेटरी श्याम सरन जी ने खुद लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जिसमें 80 आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों ने ओपन लेटर लिखा है कि बुंदेलखण्ड की जो यूपी में अभी एक पुलिस अधिकारी को गौरक्षा के नाम पे मौत के घाट उतार दिया, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक क्या सुरक्षित होगा! उससे डर से इन लोगों ने जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की अपील की है। अगर आप नहीं हटाएँगे तो 2019 नजदीक है, मंदिर की माँग उठाई जा रही है दुबारा से दंगे भड़काए जाएँ। नसीरूदीन शाह ने कहा, 'मुझे डर लगता है, आप पूछें हिन्दुस्तान में लोगों से। आज जो लोग आर्थिक तौर से थोड़े से भी सक्षम हैं, वो इस देश में अपने आने वाले बच्चे या पीढ़ियों को नहीं रखना चाहते। हर कोई चाहता है, पिता जो सक्षम है थोड़ा भी आर्थिक रूप से, वजहें चाहे किसी की, कोई भी हो सकती है, हर कोई चाहता है कि इस देश से अपने बच्चों को बाहर भेज दिया जाए। जिस तरीके का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है। दो भागों में बांट दिया है। अध्यक्ष जी, कश्मीर में कुछ होता है, अगर आप उनका साथ देंगे तो आरएसएस वाले आपको जो है, संघी जो है ना, आपका जीना हराम कर देंगे और आप अगर सेना के लिए भी बोलेंगे तो वहाँ का जो मुस्लिम कट्टरपंथी है, वो आपका जीना हराम कर देगा।

ये मैं भुगत रही हूँ। दो–तीन दिन से, मेरे टेलीफोन... आप कहेंगे हर जगह, क्योंकि मैंने पत्थरबाज जो थे, सिर्फ उनके लिए बोला था कि पत्थरबाज चाहे वो बुलंदशहर का हो, जिसने गौरक्षा के नाम पर मॉबलिचिंग करके कत्लेआम करते हैं और चाहे वो कश्मीर का पत्थरबाज हो, अगर युवा है, भटका है तो बात कर

लीजिए लेकिन हिंसा कहाँ तक का रास्ता है? मुझे आज मालूम है कि कितना सुनना पड़ रहा है इस चीज को लेकर। क्योंकि सबकी सोच कट्टरपंथी और एकतरफा जा चुकी है।

मैं अध्यक्ष जी, बस यही कहूँगी कि समय बहुत कम है लेकिन बहुत से हमारे जो है, आज अलवर के अंदर भी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, राजस्थान का अभी चुनाव होकर हटा है। योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना के वहाँ पेश किया गया, ये दंगों के ऊपर बात हो रही है, कत्लेआम के ऊपर बात हो रही है। वहाँ जाकर हिन्दू–मुस्लिम करने की कोशिश की और मैं सलाम करती हूँ राजस्थान की धरती को, उन लोगों को, अलवर के लोगों को जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के जहरीले भाषणों के बाद भाजपा का जमानत जब्त करके योगी आदित्यनाथ को वापस भेज दिया कि ये देश अब दंगे नहीं चाहता है, ये देश भाई–चारा और प्यार चाहता है, सब एक होना चाहते हैं। और ये बात करते हैं कि कांग्रेस जो है, वो इसमें शामिल थी, इनका एक कार्यकर्ता है, भूख हड़ताल पर बैठा था, लेकिन कौन कमलनाथ का हाथ, जो मुख्यमंत्री की शपथ लिया जिनको भाजपा आज भी कहती है कि 1984 के दंगों के दोषी थे। शिवराज सिंह चौहान ही थे जिन्होंने मंच पे उनका हाथ पकड़ के गलबहियाँ करके उनका स्वागत किया था... आप, नहीं, व्यापम तो अलग है, दंगों की बात कर रही हूँ। अगर कमलनाथ दोषी था तो शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ के उस मंच पर, कांग्रेस के उस मंच पर वो क्या कर रहे थे? ये जवाब इनको देना होगा। 1984 के दंगों में आपकी भी सरकारें आयीं। आपको भी मौका मिला है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी, एक आदमी का कसूर होता है और पूरी कौम को, पूरी पीढ़ियों को उसका जो है, खामियाजा भरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध को, उस व्यक्ति को ही उसकी श्रेणीं में रखकर कानून के तहत जो सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए थी।

1984 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। उनकी हत्या हो गई। हत्या के बाद... मुझे भी यह महसूस हो रहा था कि जिन्होंने ये किया है, उन्हें फाँसी होनी चाहिए। तो हुई भी लेकिन उसकी सजा पूरी कौम को दी गई। पूरी कौम को खौफ और डर और दहशत में आज तक न्याय की लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। आज भी अगर जगदीप भाई जैसे लोग अपने दर्द को कहते हैं तो जख्म आज भी लगता है, हरे हैं, आज भी वैसे आँसू बहते हैं। तो इस देश में, मैं कहूँगी आज भी ऐसा माहौल वापिस बना दिया गया है। 2013 के मुजफ्फर नगर के दंगे सबसे लेटेस्ट दंगे हैं। लास्ट के अगर आप दंगें कहेंगे, जिसमें वोही हिन्दू–मुस्लिम हुआ, उसमें 423 हिन्दू और 20 मुस्लिम मारे गये। और हमारी 13 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं बस यही कह रही हूँ कि जब ये दंगे होते हैं, उसमें बेटियों के साथ बलात्कार या बच्चियों की भी बलि दी जाती है। आज देश में जो सरकार है, मुझे लगता है, वो सबसे बड़ा घातक इस सरकार के लिए इसलिए है क्योंकि जो भी अब दंगे हो रहे हैं देश के अंदर; 2013 का मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, गुजरात के 2002 के दंगे...

अध्यक्ष जी, छोटा सा बोलना चाहती हूँ, संजीव भट्ट आईपीएस अधिकारी हैं। बड़े पुलिस के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में शपथ में नाम लिया है देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि इन दोनों के इशारों पे 2002 के कत्लेआम और दंगे हुए थे। आज वो जो है, उन्हें कोर्ट ने, कोर्ट ने आज इनकी पुलिस, सरकार है वहाँ पर वापिस आज। कुछ दिन पहले संजीव भट्ट को जो

है, वो वापिस जेल भेज दिया गया है। जो जज थे पूर्व जज, उन्होंने भी कहा है कि कोर्ट में सबूत के तौर पे ऑडियो टेप जिसमें अमित शाह मोदी जी की जो है... मैं माफी चाहूँगी नाम ले रही हूँ देश के आज के प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष का उस टेप में आवाज है जिसमें 2002 के दंगों में किस तरीके से जो है, मुसलमानों को कत्लेआम करने के लिए कहा जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये ही कहूँगी कि इस देश में कट्टरता पैदा हो रही है और कट्टरता कोई और नहीं, कोर्ट के फैसले में कहा है, ये वो राजनीतिक दल हैं सिर्फ जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जैसे इन्हें मात्र कश्मीरी पंडितों का धोखा कर रहे हैं कश्मीरी पंड़ितों को भी कहूँगी, इनके बहकावे, धोखे में मत आइये। सिर्फ एक बयान सदन में देकर सुर्खियाँ बटोर कर आपके रहनुमा बनना चाहते हैं। देखिए, हमने विधानसभा में कश्मीरी पंडितों की बात उठायी। मैं उन कश्मीरी पंड़ितों से कहूँगी, पूछियेगा, आपकी जम्मू–कश्मीर में सरकार थी, आपका वहाँ राष्ट्रपति शासन है। आपकी केन्द्र में सरकार है। आपने उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो करना चाह सकते थे, पाँच साल में क्यों नहीं किया, ये जवाब मांगेंगे। वो सिर्फ आपके यहाँ पर प्रश्न उठाने से नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी...

माननीय अध्यक्षः अलका जी, अब कन्क्लूड करिए।

सुश्री अलका लाम्बाः बस, कर रही हूँ।

माननीय अध्यक्षः प्लीज नहीं, अब कन्क्लूड करिए।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी...

माननीय अध्यक्षः नही। नो मोर टाईम प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः तथ्य हैं आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख बालासाहब देवरस ने 1984 में चुनावों में खुलकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी। ये इतिहास में दर्ज है। अभी हमारे अवतार सिंह कालका जी जब पढ़ रहे थे। उन्होंने खुद बताया आडवाणी जी ने अपनी किताब में खुद सो अपना इंदिरा गांधी जी उस समय जो है, ये कहा कि आप हमला कर दीजिए पंजाब के टैम्पल पे। ये उड़िसा का है 2002, 2008 कंधामल राइटस 'बीजेपी एमएलए सेंटेंस्ड सेवन इयर्स जेल।' ये दंगाइयों ने भाजपा का यहाँ देखिए, ये कांग्रेस का सांसद सदापुर नेता, ये भाजपा का नेता है। दोनों दंगाइयों में जिन्दगियाँ निकल गईं लोगों के लड़ने में। अब जाकर सजाएँ हो रही हैं। साफ हो चुका है, भाजपा हो या कांग्रेस दोनों पार्टियाँ...

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद अलका जी। धन्यवाद प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः एक दूसरे के दंगाइयों को संरक्षण देती हैं, इसलिए न्याय नहीं मिलता है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सदन का आधा घंटा समय बढ़ा लिया जाये। मेरी सदस्यों से प्रार्थना है। जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, 1984 सरकारी कत्लेआम जैसे संवेदनशील मामले पर मेरे को समय देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। उस अकालपुरख की कृपा से उसी कौम का हिस्सा हूँ और उसी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसमें वो हजारों परिवार जिनको उजाड़ दिया गया है, आज भी वहाँ रहते हैं। 34 साल हो गये ने, अध्यक्ष जी, उत्थे ही मैं पड़ेया, उसी इलाके च वड्डा होया। उन्ना परिवारां दे नाल ही रेया। पर पिछले चार दिन पहले

17 दिसंबर, 2018 नू जो इक इतिहासिक फैसला आया, लोकां दीयाँ अक्खां विच इक चमक जई आ गई है अध्यक्ष जी। ते मैं आज मैं वैखेया, मेरे कई सारे साथी भावुक हो गये, अक्खां च उन्हांदियाँ अथरू आ गये। पर मैं वेख रेया कि इलाके दे लोकां दी अक्खां विच कुज चमक है। वो चमक जिस करके है, सबतो पैल्ला मैं उस वास्ते धन्यवाद करांगा। जस्टिस एस.मुरलीधरन जी दा, जस्टिस विनोद गोयल जी दा। जिन्हांनें ओ एतिहासिक फैसला सुणाया ते सज्जन कुमार वरगे कातिलां नू ते ओदे साथियाँ नू ओदे अंजाम तक पहुंचान दी शुरूआत कीती। अध्यक्ष जी, नाल ही मैं धन्यवाद करांगा माता जगदीश कौर जी दा, सरकार एचएस फुल्का साहब दा जिन्हांने अपनी विधायकी दी लीडर आफ आपोजिशन दी कुर्सी दी परवाह नहीं कीती। ते ओ लड़ाई लड़न वापस अपनी जगह ते पोंच गये। मैं ओ सारे सिक्ख, गैर सिक्ख नेतावां दा वी धन्यवाद करांगा जिन्हांने इस मसले नू टैम टैम ते चकेयाँ। मैं सारे पत्रकारां दा इक–इक उस बंदे दा जिसने थोड़ा जेया वी इस मसले नू रेज़ करन वास्ते एफर्ट कीते सबदा धन्यवाद करदां। अपने पूरे इलाके दे जो विक्टम्स दे परवार ने उनां सब वालों। पर अध्यक्ष जी, अज कुछ फैक्ट इस सदन दे सामने रखना चावांगा। इक–इक गल जो मैं कहांगा, हर चीज दी दलील मैं दवांगा जो कोर्ट दे ऑर्डर होंणगे। जो कमीशंस दी रिपोर्ट होंणगियाँ, वो सामने रखके मैं गल्ल करांगा। अध्यक्ष जी, 34 साल तो मैं वैखदा सी इक सेकण्ड क्लास सिटीजन होनदा इक सौतेले पन दा व्यवहार जेया लगदा सी इस देश दे विच साढ़ी कम्युनिटी दा जो मैं खुल्ले तौर ते कह सकदा आं। पर कुछ सूरत हुन बदलना शुरू होई एँ। सूरत कीवें बदलना शुरू होई है अध्यक्ष जी, 1984 विच जो कत्लेआम होया, बड़ी सोणीं किसी ने लाइन कही है नजरवालों को तो हिन्दु और मुस्लमान नजर आता है। हम गुरूनानक के बच्चे हैं, हमें हर शख्स

में इंसान नजर आता है। एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई ऐ संदेश इस मार्ग ते चलण वालेयाँ नू ए की कीत्ता गया उन्नादे नाल। करां विचों कड–कड के सड़कां ते जला के मैं उस गल्ल विच जावांगा ही नहीं अध्यक्ष जी। मेरे बड़े सारे साथियाँ ने बहुत सारे मिसाल दीती सारी दुनिया जाणदी है कि 34 साल पहले दिल्ली दी सड़कां ते की वा परेयाँ पर आज आपां जिस चीज दी डिस्कस करना चाहदें आं, जिस चीज दी मैं समीक्षा चानां आं सदन करे ओ चीज ए है कि 34 साल क्यों लग गये। इस कौम नू इंसाफ मिल्लन ते हरेक इंसाफ पसंद आदमी इंतजार करदा रेया। भई, 34 साल न्याय प्रणाली साढ़ी फेल हो गई। टाइम सिर न्याय देण विच एदादा की होयाँ। इक बहुत वड्डा फैक्ट अध्यक्ष जी, त्वाडे सामने रखांगा। हालांकि 34 साल विच काफी कुछ बदल गया है। जे आपा साईंस दी गल्ल करिएँ, काफी डेवलपमेंट हो गई है। काफी तरक्की हो गई है। टैक्नीक दी गल्ल करिए काफी बुलंदी ते पहुँच गये आं। पर वो बुलंदी किस काम की जनाब, जिसमें इंसान तो बड़े पर इंसानियत गिर जाये। 34 साल हो गये अध्यक्ष जी, इंसान बहुत वद गये ने पर इंसानियत बिल्कुल गिर गई ये। आज वी माहौल विच कुज चैंज नहीं आ पाया। आज वी आपा मुजफ्फरनगर दी डिस्कस कर रहे आं। आज वी आपां 2002 दी उसतो बाद डिस्कस करदे आं। ते जो मैं सबतो पैल्लां सबूत त्वाडे अगे रखन लगेयाँ अध्यक्ष जी, ओ सबूत ए है कि 1984 कत्लेआम विच जित्थे कांग्रेस ते मुख्य दोषी है। ओदे नाल–नाल भारतीय जनता पार्टी दे 49 ओदेदारां ते वी एफआईआर कीती गई ए। उन्हां सबदे नां प्रीतमसिंह, रामकुमार, रामचन्द्र, रतनलाल, ज्ञानलाल, चन्द्रसैनी, प्रदीपकुमार, हंसराज, बाबूलाल, वेदमहाबल, प्रधानसिंह, सुरेशचंद ए सब दे उत्ते एफआईआर भी होई है। ए सब ते चार्जशीट वी होई है। ते ए सबनू एक्यूज बनाके कोर्ट अग्गे रखेया वी गया है।

ए सब भारतीय जनता पार्टी दे औहदेदार सी। आज तक आपां ये कहदें रये सदन विच पहले कई वारी डिस्कस होई कि ए समझौता है जी ए 1984 ते 2002 दंगेयाँ दा आपस विच समझौता ये। पर अध्यक्ष जी, ए 1984 ते 2002 दा समझौता होन तो पहले 1984 वर्सिस 1984 कांग्रेस वर्सिस बीजेपी दा समझौता पहले ही हो चुकेया सी। इक ने एफआईआर दा जिक्र करन लगेयाँ। अध्यक्ष जी, इस एफआईआर दे नम्बर 315/92 है जो 18 जून, 1992 नू होई। ऐ बीजेपी दे सारे वर्कस ते होई। जे बीजेपी वाले इस चीज नू गलत साबित करदे ने। क्योंकि एफआईआर दा टाईम गुजर चुकेया इस तो वड्डा कोई सच नहीं, ऐ ते ठीक है नहीं ते अज बीजेपी वाले अपने स्टैंड क्लीयर करन, ईक एन्नाते अध्यक्ष जी, ओहदे दार दा नाम रामकुमार जैंन जो बीजेपी दा औहदेदार सी, इन्हांदे घर दा एड्रेस 87 हरि नगर आश्रम कालोनी है। एन्नादे उत्ते एफआईआर होई 44–46/93 ते बादच ऐ स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दे पोलिंग स्टेशन विच वडे उन्हांनदे लोकसभा चुनाव विच। किस हद तक दोवें पार्टियाँ जो देश दी सत्ता दे काबिज सन। दोवां ने मिलके ऐ फिफ्टी–फिफ्टी दा गेम खेड्या ते ये इंसाफ ना मिले इसी, कौम नू ऐ इंसाफ ना मिले, कम्युनिटी नूं उस दे ऐफर्ट कर दे नी। 1998 तो लेके 2004 तक बीजेपी दी गर्वमेंट रही, क्यों नहीं अध्यक्ष जी, ये गल्ला कर दे सी, जी अकाली दल बादल दे सिरसा जी मैनूं पता सी ये उठकर चले जानगे। अज सवाल वो कह रहे सी जी विधवा कालोनी विच बिजली माफ नहीं कीती गई, विधवा कालोनी दे बच्च्याँ नूं नौकरी नहीं दीती गई। मैं उस दिन इस्तीफा दांगा। मैं इस सदन दा मेंबर होन तो इस्तीफा दांगा। मैं उसके पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर जरा सी भी शर्म है तो जिस बीजेपी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़कर जीते हो। सबसे पहले उस बीजेपी से इस्तीफा दो क्योंकि ये बीजेपी भी 1984 के कत्लेआम में उतनी शामिल है, जितनी कांग्रेस शामिल थी। सबसे पहले आप वहाँ से इस्तीफा दो।

अध्यक्ष जी, इसके बाद किस तरीके से ये जो श्रेय ले रहे हैं आज कि मोदी जी की एसआईटी बनी, मोदी जी की एसआईटी पर ये कार्रवाई हो गई। उसके भी फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके सामने रख रहा हूँ अध्यक्ष जी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अध्यक्ष जी शुरूआत ये हुई थी 2013 से बहन निरप्रीत कौर जो अब अहम गवाह है। उन्होंने बहन जगदीश कौर माता जी ने कुछ लोगों ने जंतर–मंतर पर अनषन रखा था। उस अनषन में हमारे मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी भी गए और उन्होंने एश्योर किया कि हम इस लड़ाई के लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, आपके साथ जायेंगे। उसके बाद हमारी दिसंबर 2013 में सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद एक हफ्ते में आम आदमी पार्टी की सरकार एसआईटी बनाती है। उस एसआईटी को अलका जी ने बताया कि इस तरीके से नजीब जंग जी जो तत्कालीन एलजी थे, वो रोक देते हैं। उसके बाद जब 2015 में हमारी 70 में से 67 सीटें आती है फिर वो खतरा मंडराने लगता है कि ये तो फिर आ गए इंसाफ दिलाने वाले। 10 फरवरी 2015 को हमारा फैसला आता है 70 में से 67 सीटों का, 14 फरवरी, 2015 में हमारी सरकार बननी होती है। उसके ठीक दो दिन पहले की हमारी पोल ना खुल जाए कि अगर इन्होंने जाँच की तो सारी पोलें खुल जायेंगी। सारे बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को सजाएँ हो जाएगी। वो 12 फरवरी 2015 को अपनी एसआईटी बना देते हैं कि हमारी एसआईटी काम करेगी। अब एक मामले पर दो एसआईटी नहीं बन सकती, केन्द्र कहेगा जी, हमने पहले एसआईटी बना दी है। हम भी खुष हुए। चलो जी, कुछ शायद काम करेंगे। पर हमें पहले से मालूम था इनकी नियत काली है। तो उसके नतीजे हमें क्या देखने को मिले अध्यक्ष जी, ये पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं एक और षख्स का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा जिसका नाम है गुरलाड सिंह। ये गुरलाड सिंह सरदार गुरलाड सिंह ने एक रिट

पिटिशन लगाई कि एसआईटी अपना काम तरीके से नहीं कर रही। उस रिट पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या किया अध्यक्ष जी, मैं सदन के रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता हूँ। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का: 'We have pursued that the report of Supervisory committee on persual of the same, we find that the SIT, *ye wo hi SIT hai, jo modi ji ne banai thi,* we find that the SIT has not done further investigation in respect of 186 cases. Regard being had to the nature of the case, we think it appropriate that a fresh SIT should be constituted for carrying on the further investigation.' कि तुम्हारी एसआईटी ने बिना केसों की जाँच किए केसिज बंद किए हैं। सिरसा जी ने पिछली बार भी बोला था, तब भी भाग गए थे। आज भी शर्म आनी चाहिए अपने आप को सिक्खों का लीडर कहते हुए और सिक्खों के सबसे बड़े मसले पर जब डिस्कस हो रही है तो सदन से उठकर भाग गए है, शर्म आनी चाहिए! आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है: 'Ms. Pinki Anand Ld. ASG Apprising on behalf of the Union Of India and Mr. H.S. Fulka, Ld. Sr. Counsel appearing on behalf of the petitioner shall file three names constituting of a former Judge of a high court, former IPS officer not below the rank of IG or equivalent to the post of and presently serving police officer of IPS status available of the Delhi constitution of SIT.'

ये उस एसआईटी को अध्यक्ष जी खुले तौर पर फटकार पड़ी। उसके बाद एक मानिटरिंग कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में बनाई। उस मानिटरिंग कमिटी की निगरानी में जब केसिज रिओपन किए गए तो ये नतीजे आने शुरू हुए हैं। अध्यक्ष जी, इनकी नियत नहीं थी इंसाफ देने की। आज जब ये सारे केसिज खुल रहे हैं, आज जब इनका असली चेहरा सामने आ रहा है तो परेशानी हो रही

है। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ माननीय हाईकोर्ट का जिन्होंने ये फैसला दिया और अब एक उम्मीद बंधी है। हमारे इलाके में लोग खुश थे हालांकि वो दर्द, वो गम, वो जो जल्लादों की तरह सड़क पर सरेआम कत्ल किए गए वो भूलने लायक नहीं हैं। पर फिर भी लोगों का आस एक जो वो सेकेण्ड ग्रेड सिटीजन अपने आपको फील कर रहे थे, उन्हें ये अहसास हुआ, उन्हें लगा कि हमें भी इंसाफ मिल सकता है। हमें इंसाफ मिलेगा। पर इनके असली चेहरे भी सामने आना जरूरी है अध्यक्ष जी। आज इस सदन में इतने सारे सदस्य बैठे हैं हरेक सदस्य की आंखों में चमक है। कुछ दो—तीन बंदे हैं जिनकी आंखों में अभी भी चोर है और मैं आज मेरा उस भगवान के प्रति उस वाहेगुरू के प्रति और विश्वास दृढ़ हो गया जो मेन आरोपी थे 60—40 पार्टनरशिप रही है अध्यक्ष जी, इसमें 60 परसेंट वाला तो एक भी सदन के अंदर नहीं है। नहीं तो वो तो वैसे ही शर्म से आज डूब जाता। ये जो 40 परसेंट वाले बैठे हैं, ये अपना स्टैण्ड क्लीयर करें जब कोर्ट की रिपोर्ट सामने हैं, जब एफआईआर तक तुम्हारे बीजेपी के वर्करों पर हुई है तो क्या तुम माफी माँगोगे, इस बात का जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि क्या माफी माँगोगे? क्या सिरसा जी और आप लोग इस बात पर इस्तीफा दोगे कि हम षर्मिंदा हैं। 1984 के कत्लेआम में हम बराबर के शामिल हैं। हम इस चीज के लिए षर्मिंदा हैं पर नहीं माँगोगे। तुम्हारी बेशर्मी 2002 में सारे देख चुके हैं।

अध्यक्ष जी, आज एक नौजवान जिसने 34 साल उन पीड़ितों के साथ गुजारे हैं, वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि इस देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया जाए कि न 1984 ना 2002। आगे से सिस्टम इतना मजबूत बना दिया जाए कि एक एक्जांपल सेट हो कि जो भी इस तरीके के कत्लेआम की सोचेगा भी, उसके साथ क्रूर से क्रूर सजा दी जाएगी। उसको ऐसी सजा दी

जाएगी कि आने वाली पुश्तें तक उसको न भूल पाए। ऐसी एक मिसाल सेट की जाए और ये अध्यक्ष जी, जो मैं कल सुन रहा था, हमारा भाई सौरभ भारद्वाज कुछ बोल रहा था। उसने गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी के जो जनरल सैक्रेटरी है जो हमारे इस हाउस के भी मेंबर हैं। उनको चोर बोला आपने वो शब्द कार्यवाई में से निकलवा दिया जबकि वो चोर बोलने का एक आधार था। अध्यक्ष जी, चोर बोलने का आधार ये था कि पिछले दिनों उसी गुरूद्वारा कमिटी के एक मेंबर ने...

माननीय अध्यक्षः अब जरनैल जी, अब उस विषय को मत लाइए प्लीज।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, वो मसला बहुत जरूरी है, वो इसी से जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्षः नहीं ये...

श्री जरनैल सिंहः जब–जब सत्ता में ऐसा नकाब पहने लोग आयेंगे तब तक लोगों के साथ ये ही परेशानी होगी......

माननीय अध्यक्षः आप इतना अच्छा बोले हैं।

श्री जरनैल सिंहः या कोई भी मसला हो अध्यक्ष जी...

माननीय अध्यक्षः आपने क्लोजिंग बहुत बढ़िया किया है उस विषय पर मत जाइए प्लीज। आप जनरल तो सीमित रखिए इसको।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, बात को समझना बड़ा जरूरी है। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगाः

'फिजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते,

किसी भी हादसे के सारे मंजर क्यों नहीं दिखते।

छोटी–छोटी बातों पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों,

तुम्हें 1984 और 2002 वालों के आँसू क्यों दिखते?

उनके आँसू क्यों नहीं दिखते, क्योंकि आपस में मिले हो, इसलिए नहीं दिखते।

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी बैठिए।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ उन सबकी तरफ से आज धन्यवाद करता हूँ और तुम भागोगे, तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है तुम भी शामिल हो, तुम्हारी 60–40 की पार्टनरशिप है 1984 के कत्लेआम में। तुम भागोगे, तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है।

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी, आप अपनी बात रखिए। पूरा करके बैठिए। आपने इतना अच्छा विषय रखा उसके बाद आप भटक जाते हैं। उनको बोलने दीजिए नोट करिए, प्लीज।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, चाहे बात हो सज्जन कुमार की चाहे बात हो जगदीश टाइटलर की...

माननीय अध्यक्षः आप कन्क्लूड करिए, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री जरनैल सिंहः मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। चाहे बात सज्जन कुमार की हो चाहे जगदीश टाइटलर की हो, चाहे उन 72 पुलिसवालों की हो, चाहे उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स की हो जो इस कत्लेआम में शामिल थे। सबको कांग्रेस पार्टी ने समय–समय पर नवाजा और हम हर स्टेज पर उस चीज की खिलाफत करते आए हैं पर ये भी पीछे नहीं थे।

अध्यक्ष जी, मैं आज अपने उस कम्युनिटी की तरफ से अध्यक्ष जी आज सारे पीड़ित परिवारों की तरफ से मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ हाईकोर्ट का, इनकी परेशानी, इनकी असलियत सामने आ रही है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ और आगे से चाहता हूँ कि हमारी न्याय प्रणाली जो कि असफल रही टाइम से न्याय देने में। वो अब आने वाले दिनों में ऐसी मिसाल सेट करे कि आने वाले दिनों में कोई कत्लेआम की सोच भी ना सके। आपने इतने अहम मुद्दे पर मेरे को बोलने का समय दिया, आपका बहुत–बहुत पूरी सिक्ख कम्युनिटी की तरफ से, हरेक न्याय पसंद आदमी की तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद, थैंक्यू वेरी मच अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे, श्री सत्येन्द्र जैन जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय 1984 में जो दंगे दिल्ली में और देश के कई हिस्सों में हुए, वो इस देश के इतिहास में बहुत ही दुःखद अध्याय है। देश के आजाद होने के बाद ऑर्गनाइज तरीके से लोगों की अपने ही नागरिकों की हत्यायें करने का, इसे दंगे कहना तो गलत है। ये तो पूर्वनियोजित हत्याएँ थीं। 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी का मर्डर हुआ और चार दिन तक पूरी दिल्ली के अंदर और नॉर्थ इंडिया में जगह–जगह पर कत्लेआम चलता रहा। 4 नवम्बर को आर्मी को बुलाया गया यानी लगभग 80–90 घण्टे या 100 घण्टे फ्री फॉर ऑल खुली छूट दी गई। जिन लोगों ने ये कत्लेआम किया और उसको लीड किया, उसके बारे में बच्चा–बच्चा जानता है। दिल्ली के अन्दर ही जो कत्लेआम हुआ उन नेताओं के नाम सब जानते हैं कि किस नेता ने काम कराया। अगर उस जमाने में जब फोन कहीं कहीं होते थे। फोन तो मतलब 100

घरों में एक घर में फोन होता था। दंगा करना और इतना ढूंढ–ढूंढ के एक–एक घर को ढूंढ के चिन्हित करके। इसका मतलब कोई ऑर्गनाइज्ड लोग ही कर सकते हैं और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज्ड कौन है? पॉलिटिकल पार्टी थी। तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके इस काम को किया और किसके आदेश पे किया? नेताओं के आदेश पे किया। नेताओं की अगुवाई में किया। जगदीप जी ने बताया कि ट्रकों में भरके लोहे की रोड लेके आई जा रही हैं। लोगों को उकसाया जा रहा है। मिट्टी का तेल जा रहे हैं, फास्फॉरेस लाया जा रहा है और उसके बाद पूरी दिल्ली के अन्दर ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जी, चलो जी, चलो, मिलके करके आएँगे ये काम। 1984 में जब दंगे हुए, मैं भी 20 साल के करीब था तो हमारे वहाँ पर भी एक दो बारी ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लो जी, चलो लेके चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो हमने कहा भई क्यों ऐसा क्या है? क्योंकि हमारे इलाके में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे। सिक्ख भी बहुत सारे रहते थे पर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई दंगा–वंगा कुछ हुआ नहीं। सब शांति से रहे और हमारे घर के 3–4 किलोमीटर दूर हमने खुद देखा शकूरपुर में जगह–जगह आग जल रही थी। तो घर की छत पे जाके देखो तो जगह–जगह आग जल रही है। तो पता लग रहा था दिल्ली दिल्ली न हो के ऐसा युद्ध क्षेत्र सा बन गया है कि जहाँ पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, कारों में जलाया जा रहा था, घरों के अन्दर जलाया जा रहा था, पकड़–पकड़ के मारा जा रहा था और उससे भी ज्यादा भयावह ये है कि जिन लोगों ने ऐसा किया, उनको पता था कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं और ऐसा ही हुआ। अगर इस देश के अन्दर 1984 में जिन लोगों ने ये कत्लेआम किया, उनको सजा मिली होती तो फिर बार–बार इस तरह के दंगे करने की लोगों की हिम्मत नहीं होती।

2002 में गुजरात में दंगा हुआ। मुजफ्फर नगर में दंगा हुआ। जगह–जगह होते रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो पार्टी इन पावर है, वो उनको बचा लेगी और इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो पार्टी इन पावर है वही इस तरह के काम करती है। ये भी क्लीयर है क्योंकि अगर वो पॉवर में है तभी तो बचा सकते हैं। अभी साथियों ने बताया कि जिन पुलिस वालों के एरिया में काम हुए, जिनके जो प्रत्यक्षदर्शी थे। अरे भई! पुलिस वाले का काम है उनको बचाना, दंगे को रोकना। वो 1984 के अन्दर जो ड्यूटी पर थे, वो पूरे पूरे प्रमोशन लेकर बड़े से बड़े पदों पर जाकर रिटायर भी हो गए। उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं। तो आगे के लिए सबको रास्ता ये मिल गया कि दोबारा भी अगर ऐसा करेंगे तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं और उनको इनाम के अन्दर प्रमोशन मिलेगी।

मेरा सरकार की ओर से बस एक ही कहना है कि जो कानून है, उसका पालन होना चाहिए। जो भी दोषी हैं, उन सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और इसी केस में नहीं सभी केसों में मिलनी चाहिए।

बीजेपी वाले कहते हैं उन्होंने एसआईटी बनाई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 1984 के बाद बीजेपी की छः साल सरकार रही बीच में। 2004 तक उनकी सरकार थी; पूरे छः साल सरकार में रहे। उस छः साल में उन्होंने क्या किया था? कौन–सी एसआईटी बनाई थी और किसने रोका था उनसे पूछना चाहता हूँ। जब 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार ने आते ही तुरंत एसआईटी बनाई यानी कितने साल पहले बीजेपी की सरकार आई थी लगभग 98 में।

माननीय अध्यक्षः 1993 में आई थी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः 1993 में भी आई थी। पर मैं कहता हूँ छः साल तो उनके अकेले की सरकार थी। हमने इतने सालों के बाद हमारी सरकार आई, आने के बाद तुरंत हमने एसआईटी बनाई। एसआईटी बनाई तो पता लगा, अरे भई! एसआईटी आई है तो जाँच चालू हो गई, सब डर गए। चारों तरफ अफरा–तफरी मच गई कि अब तो सजा मिलेगी अब तो। जब बीच में एक साल का पीरियड रहा; दिल्ली सरकार, हमने रिजाइन किया था तब 14 फरवरी, 2015 को दिल्ली सरकार दोबारा बनी। केजरीवाल सरकार दोबारा बनी तो उससे दो दिन पहले केन्द्र सरकार ने एसआईटी बना दी। क्यों? अगर बीजेपी ने एसआईटी बनाने की इतना ही संजीदा थे वो लोग, उनको लगता था एसआईटी बनानी चाहिए तो उन्होंने 20 साल पहले क्यों नहीं बना ली थी। उन्हें डर था कि अगर केजरीवाल सरकार आ रही है दो दिन बाद इन्होंने एसआईटी बना दी तो किसी को बचाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए उन्होंने एसआईटी बनाई और उसी एसआईटी के बारे में अभी साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कैसे–कैसे स्ट्रक्चर्स आए हैं कि एसआईटी ने कोई खास काम नहीं किया। अब तो उस एसआईटी को बने हुए भी साढ़े तीन साल हो गए, ये क्या, हम कहते हैं, गेम खेल रहे हैं क्या? 34 साल हो गए, 34 साल में उनको न्याय नहीं मिला। अब जगदीप को देख लीजिएगा, जगदीप के बच्चे भी कितने बड़े–बड़े हो गए होंगे। ये जगदीप खुद 13 साल का था और मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में किसी भी विधान सभा के अन्दर या लोकसभा के अन्दर इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिव उधर जगदीप जी हमारी साथी हैं जिनके पिता को भी इस दंगों की भेंट चढ़ाया गया था। आज भी मुझे लगता है कि सिम्बोलिज्म है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सबको सजा दी जाएगी अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो तो हाईकोर्ट की इंटरवेंशन से जिनको

पहले छोड़ दिया गया था, हाईकोर्ट ने इंटरविन किया और कोर्ट के अन्दर अपील की। अन्दर फुल्का जी ने अच्छी तरह से उसको परस्यू किया तो सजा को दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है बच जाएँगे। हमारा मानना ये है कि सभी लोगों को, एक एक आदमी को किसी भी दंगे के अन्दर सजा मिलनी चाहिए। हर आदमी को सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक इंडिविज्युअल क्राइम जो होता है उससे 100 गुना जघन्य अपराध है, जब ऑर्गनाइज तरीके से किसी इंसान को मारा जाए और वो भी पॉलिटिकल संरक्षण के अन्दर।

मैं इसके अन्दर एक और आपको टेक्नीकल बात बताना चाहूँगा हिन्दुस्तान की जो पुलिस है, उस पुलिस को कोई रिफॉर्म नहीं करना चाहता। क्यों? पुलिस का एक्ट चल रहा है 1961 का अंग्रेजों ने एक पुलिस बनाई थी, एक कानून बनाया 1857 में जब इस देश के अन्दर पहली क्रांति हुई तो उनको लगा इस देश के ऊपर काफी समय तक राज करना मुश्किल है तो उस राज को पक्का करने के लिए वे पुलिस एक्ट लेकर आए और वो एक्ट क्या था? गुलामों के ऊपर राज करने का एक्ट था। पुलिस को अनलिमिटिड पॉवर दी गई। आज भी सुप्रीम कोर्ट कहता रहता है, कमिशंस कहते रहते हैं। आज भी उस एक्ट को कोई भी सरकार बदलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस सरकारी अत्याचार का पर्यायवाची है और 1984 के दंगों ने उसको सिद्ध करके दिखा दिया। अगर सरकार पुलिस को हथियार की तरह यूज करती है। पुलिस के थ्रू क्राइम कराती है और ऐसी भी शिकायतें, ऐसे भी कैसेज हैं, जहाँ पे पुलिस वाले खुद उस क्राइम के अन्दर एन्वॉल्व थे। उस सिस्टम को बदलना क्यों नहीं चाहते कि जब अब देश का आजाद हो गया, 77 के अन्दर 90 साल से 70 साल हमार को आजाद हुए हो चुके हैं तो उस

कानून को भी बदल दीजिएगा ना पुलिस सिस्टम को बदल दीजिएगा। उसकी जान और माल की रक्षा करने की ड्यूटी होनी चाहिए और देश के संविधान को पालन करने की ड्यूटी होनी चाहिए, न कि क्रिमनल्स को बचाने की ड्यूटी होनी चाहिए। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों ने एक ने 84 के दंगे किए, एक ने 2002 के दंगे किए और दोनों ने ही कत्लेआम किया और दोनों ही कत्तई नहीं चाहते कि दंगे करने के ऊपर सख्त से सख्त सजा मिलने लगे। हमारी पार्टी... हमारी सरकार चाहती है कि कोई भी दंगा हो, उसको जैसे अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, किसी भी विधायक, एमपी का केस है तो एक साल में फैसला होगा। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी दंगा होता है, कोई भी इस तरह का मसला आता है तो ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी करने से लेकर सजा मिलने तक एक साल के अन्दर फैसला हो जाना चाहिए ताकि लोगों का उसके अन्दर विश्वास बन सके और आगे से ये चीज रिपीट न हो सकें।

अगर 30–30 साल, 34–34 साल लगेंगे और उसमें कुछ लोगों को सजा मिलेगी तो विश्वास तो नहीं बनेगा। अब पूछ के देखिए कि जिनको इन्होंने मारा था, उनके वाईफ, बच्चे... हो सकता उसमें से कुछ लोग जा चुके हों। उनको तो न्याय नहीं मिला ना। उनकी तो बूढ़ी आंखें तरसती, किसी के बेटे को 18 साल के बेटे को मार दिया, पिता 50 साल के थे। 34 साल में तो 84 साल के उम्र हो गयी। हो सकता है वो भी जा चुके हों। न्याय तो नही मिला उनको। तो न्याय का मेरा डिमान्ड है कि जल्द से जल्द जितने भी पेन्डिंग केसेज हैं, उन सबका फैसला होना चाहिए और सभी केसेज के अन्दर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और

सभी लोगों को डर बैठना चाहिए कि इस तरह के दंगे करेंगे तो वो बच नहीं पाएँगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब श्री जरनैल सिंह जी दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को प्रारम्भ चर्चा से सम्बन्धित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति लेंगे।

श्री जरनैल सिंहः मैं दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को प्रारम्भ चर्चा में सम्बन्धित एक संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः श्री जरनैल सिंह जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति लेने का प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

अतः श्री जरनैल सिंह जी को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी। अब श्री जरनैल सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री जरनैल सिंहः बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं को देखते हुए यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को निर्देश देता हैः ''कि वह दृढ़ता से गृह मंत्रालय को व्यक्त करे कि भारत की राजधानी दिल्ली में हुए सबसे बुरे नरसंहार के पीड़ित और उसके

निकट परिजन अभी तक न्याय से वंचित हैं। यह सदन गृह मंत्रालय पर प्रभाव डालने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को निर्देशित करता है कि मानवता के खिलाफ इस नरसंहार को विशेष रूप से घरेलू अपराधिक कानून में शामिल करने के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम उठाएँ जैसा कि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने हाल ही में ऐतिहासिक निर्णय में सज्जन कुमार और अन्य कांग्रेसियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सिफारिश की है;

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि 1984 के नरसंहार के सभी मामलों में जिसमें कि अभी पहले ही 34 वर्षों का लम्बा दर्दनाक समय व्यतीत हो चुका है और कई पीड़ित परिवार पहले ही न्याय के इंतजार में स्वर्ग सिधार चुके हैं। इनमें त्वरित ओर समयबद्ध परीक्षणों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएँ;

दुर्भाग्य से 1984 के नरसंहार के पीड़ितों के मामले में न्याय व्यवस्था पहले से ही समय से न्याय दिलवाने में असफल हो चुकी है;

यह सदन संकल्प करता है कि इसे स्पष्टता अब तक का सबसे क्रूर नरसंहार घोषित किया जाए;

इस मामले में आगे किसी भी तरह का विलम्ब आम आदमी की आंखों में जाँच एजेंसियों और न्याय देने वाली संस्था की विश्वसनीयता को खत्म कर देगा;

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को 1984 के जनजातीय पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई रखना जारी रखना चाहिए;

साथ ही यह सदन संकल्प करता है कि सिक्ख कत्ले आम 1984 को औचित्य साबित करने वाले तबके तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिनको भारत रत्न का अवार्ड देकर नवाजा गया, केन्द्र सरकार को वो अवार्ड वापिस लेना चाहिए व इससे सम्बन्धित तुरन्त कार्रवाई करते हुए कदम उठाने चाहिए।''

बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्री जरनैल सिंह जी द्वारा इस चर्चा से सम्बन्धित प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने हैं। ये बड़ा गम्भीर मुद्दा हैं। समाज के जख्मों को, जिस ढंग से उस वक्त दिये गये वो बहुत पीड़ित लोग हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब खड़े होकर इस संकल्प का समर्थन करें।

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने खड़े होकर संकल्प का समर्थन किया)

संकल्प पारित हुआ।

सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पूर्व दो जानकारियाँ मैं माननीय सदस्यों को देना चाह रहा हूँ।

30 दिसम्बर को सदन के प्रांगण में पिछले वर्ष की भांति नव वर्ष साथ में क्रिसमस डे, ये दोनो मनाये जाएँगे। आप सभी 5.00 बजे सादर आमंत्रित हैं।

दूसरा 1 तारीख को दोपहर बाद 3.00 बजे यह आपको जानकर के हर्ष होगा कि अपनी विधान सभा का ये प्रांगण सौर ऊर्जा से सुसज्जित हो गया और माननीय उर्जा मंत्री से उपयुक्त और कौन हो सकता है अधिक कि वो उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में रहकर उस सौर उर्जा के शिलान्यास का... मेरी बातचीत

हो गयी थी, लोकार्पण करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में श्री सत्येन्द्र जैन जी। ये दो जानकारियाँ मुझे देनीं थी।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूँ। अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 3 जनवरी, 2019 अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

माननीय सदस्य दिनांक 2 जनवरी, 2019 को सांय 5.00 बजे तक नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के मामलों के नोटिस दे सकते हैं। आज ऋतुराज जी का जो नोटिस मुझे प्राप्त हुआ था, इस पर सीलिंग पर। इस पर कई अन्य सदस्यों के मुझे कहा गया हम भी इस पर बोलना चाहते हैं। कम से कम ये चर्चा दो–ढाई घंटे रहेगी और ये 3 जनवरी को जो समय दिया गया उसमें यही एक चर्चा का विषय दिल्ली के लोग उससे बहुत पीड़ित हैं। सीलिंग का लें।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूँ। स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह। सदन की कार्यवाही अब 3 तारीख तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार 3 जनवरी को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।